लोक-सभा
वाद-विवाद

(छठा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड २४ में अंक २१ से अंक २६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
*तारांकित प्रश्न संख्या ६५७ से ६६५, ६६७, ६६८, ६७१ और ६७४ से ६७६ . . .	२८५३—७७
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६६, ६६९, ६७०, ६७२, ६७२—क, ६७३ और ६७७ से ६७८ . . .	२८७७—८०
अतारांकित प्रश्न संख्या १९२५ से १९८०	२८८०—२९०४
निवारक निरोधक (जारी रखना) विधेयक	२९०४—१७
विचार करने का प्रस्ताव	२९०४
श्री नन्दा	२९०४—१६
खंड २ और १ . .	२९१६
पारित करने का प्रस्ताव .	२९१६–१७
बैंकिंग विधियां (विविध उपबन्ध) विधेयक	२९१७—३८
विचार करने का प्रस्ताव	२९१७
श्री ब० रा० भगत	२९१७—२०
श्री प्रभात कार	२९२०–२१
श्री हिम्मतसिंहका	२९२१–२२
श्री मी० रु० मसानी	२९२२—२४
श्री मुरारका .	२९२४–२५
श्रीमती सुभद्रा जोशी .	२९२५—२८
श्री बड़े . .	२९२८–२९
श्री व० बा० गांधी . .	२९२९
श्री भागवत झा आजाद .	२९२९–३०
श्री गौरी शंकर कक्कड़	२९३०–३१
श्री केप्पन . .	२९३१–३२
श्री बालकृष्णन .	२९३२
श्री कृ० चं० शर्मा .	२९३२–३३
श्री हेमराज	२९३३–३४
श्रीमती सावित्री निगम .	२९३४–३५
श्री श्यामलाल सर्राफ	२९३५—३८
अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर संख्या ५ और ६ . . .	२९३८—४६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	२९४६—४९
अमरीका के सातवें बेड़े द्वारा अपना कार्य-क्षेत्र हिन्द महासागर तक बढ़ाया जाना	

*किसी नाम पर अंकित यह -।- चिह्न इस बता का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिए

गुरुवार, १९ दिसम्बर, १९६३

२८ अग्रहायण, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

निवृत्ति-वेतन पाने वालों को सहायता

+

†*६५७. श्री प्रताप सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब सरकारी निवृत्ति-वेतन पाने वालों को कुछ वित्तीय सहायता देने का कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता दी जायेगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). जी हां। आदेशों की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है :। [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २१८७ / ६३**]

†**श्री प्रताप सिंह** : क्या माननीय वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ये रियायतें इसी तरह से मध्य प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर तथा त्रिपुरा जैसे भूतपूर्व भाग "ग" राज्यों की सेनाओं के निवृत्त-वेतन पान वाले व्यक्तियों पर भी लागू हैं ?

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर ही लागू होंगी। भूतपूर्व भाग "ग" राज्यों के निवृत्ति-वेतन पाने वाले व्यक्तियों पर लागू करने के प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों को भी लिखा है कि जहां तक उनके निवृत्ति-वेतन पाने वालों का सम्बन्ध है, उन्हें भी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये किये गये परिवर्तनों के अनुसार परिवर्तन करने चाहियें ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : इस मामले में मुझे कोई उपस्थानाधिकार नहीं है । परन्तु जब अवसर आयेगा तो मैं वित्त मंत्रियों तथा मुख्य मंत्रियों से चर्चा कर सकता हूं। सामाजिक सुरक्षा चर्चा की मदों में से एक है और वित्त मंत्रियों को इस पर सोचने को कहा जाता है । परन्तु वास्तव में मुझे कोई ऐसी शक्तियां प्राप्त नहीं हैं कि मैं उन से कुछ करने को कह सकूं ।

†**श्री यशपाल सिंह** : पेन्शनर्ज को जो चार-चार, पांच-पांच महीने बाद पेन्शन मिलती है और टाइम पर पेमेंट नहीं होती है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो दूसरा सवाल है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वित्त मंत्रालय ने निवृत्ति-वेतन पाने वालों को अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना का लाभ देने के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत योजना की भी स्वीकृति दे दी है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं याद नहीं कर पा सकता कि वह योजना किस अवस्था में है । मैं समझता हूं कि यदि माननीय सदस्या स्वास्थ्य मंत्री से पूछें तो अधिक अच्छा होगा ।

दिल्ली से कार्यालयों का स्थानान्तरण

\+

*६५८. { **श्री विश्राम प्रसाद** :
श्री रा० गि० दुबे । :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री १९ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ७५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में सरकारी कार्यालयों को अन्य स्थानों पर ले जाने के मामले में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : इस बारे में आगे और कोई प्रगति नहीं हुई है ।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार दिल्ली में बढ़ती हुई जनसंख्या तथा रहन-सहन में ऊंचे स्तर को देखते हुए कुछ कार्यालयों को दिल्ली से बाहर भेजने का विचार कर रही है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : सरकार सदा विचार करती है....

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है और कई बार इसका उत्तर दिया गया है ।

†**श्री दाजी** : हमने भी कई बार प्रश्न पूछा है और कई बार यही उत्तर दिया गया है । हम जानना चाहते हैं कि मामला अब किस अवस्था में है और क्यों इसे अन्तिम रूप नहीं दिया जा रहा है ? कठिनाई क्या है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : यही उत्तर नहीं दिया गया है । सरकार कुछ ऐसे कार्यालयों को स्थानान्तरित करने का सच्चे दिल से प्रयास कर रही है जो दिल्ली के बाहर अच्छी तरह चल सकते हैं । पिछले वर्ष हम ने २० कार्यालयों को बाहर भेजने का फैसला किया । अब तक ७ कार्यालय बाहर भेजे गये हैं । अन्य १३ कार्यालयों को अभी स्थानान्तरित किया जाना है । एक बड़ी कठिनाई उन स्थानों पर उपयुक्त जगह ढूंढ़ने की है जहां हम कार्यालयों को भेजना चाहते हैं । परन्तु उन्हें बाहर भेजने के लिये प्रत्येक प्रयास किया जाता है ।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रतिवर्ष संसद् का कम से कम एक सत्र दक्षिण में करने की वांछनीयता की जांच की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यालयों के बारे में नहीं है ; यह अलग सवाल है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : उत्तर से प्रकट होता है कि सरकार अभी तक कार्यालयों को स्थानान्तरित करने का निर्णय किए हुए है । परन्तु पिछले कई महीनों में कोई प्रगति नहीं हुई है । क्या मैं जान सकता हूं कि प्रगति न होने के क्या कारण हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने बताया है कि जहां वे स्थानान्तरण करना चाहते हैं वहां जगह का न मिलना ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस संबंध में अन्तिम निर्णय लेने में सरकार कितना समय लगायेगी ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : मुख्य प्रश्न उपयुक्त जगह ढूंढ़ने का है । हम दो तरफ से काम कर रहे हैं । एक तो दिल्ली में उपयुक्त स्थान बनाना तथा बाहर भी उपयुक्त स्थान ढूंढना । पिछले एक वर्ष में हम ने कार्यालय की जगह के लिये लगभग २५ लाख वर्ग फुट भूमि मंजूर की है ।

अधिमूल्य पुरस्कार बन्धपत्र[1]

+

†*६५९. { **श्री यशपाल सिंह** :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या **वित्त** मंत्री १७ अगस्त, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्तमान अधिमूल्य पुरस्कार बन्धुपत्रों के स्थान पर एक अन्य योजना बनाने के प्रस्ताव को इस बीच अंतिम रूप दे दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Premium Prize Bonds.

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : जी हां। १ जनवरी, १९६४ से लागू होने वाली नई अधिमूल्य पुरस्कार बन्धपत्र योजना की घोषणा करने वाली दिनांक १६ दिसम्बर, १९६३ की अधिसूचना की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २१८८/६३**]

श्री यशपाल सिंह : क्या उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की तरह यहां भी लाटरी का कोई सिस्टम शुरू करने का ख़याल है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जी, नहीं । जो प्राइज़ बांड्ज़ की स्कीम है, सिर्फ़ वही स्कीम है। उस के अलावा कोई और स्कीम नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य लाटरी के हक में हैं ?

श्री यशपाल सिंह : जी नहीं । मैं उसके हक में नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर माननीय सदस्य उसके बारे में पूछते क्यों हैं ?

श्री यशपाल सिंह : पहले प्राइज़ बांड्ज़ और इन प्राइज़ बांड्ज़ में कितना फ़र्क है ? पहले कितनी तादाद रही है और अब कितनी तादाद है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : तादाद तो प्राइज़ बांड्ज़ के बिकने पर मालूम होती है । पहले के प्राइज़ बांड्ज़ और इन में फ़र्क इतना ही है कि पहले प्राइज़ बांड्ज़ (सौ रुपये वाले और पांच रुपये वाले) का जब भी ड्रा होता था, तो उनका भी ड्रा होता था । जो नये बांड्ज़ निकाले गए हैं, उनका ड्रा साल में सिर्फ दो बार हुआ करेगा। मान लीजिये १९६३ में हम ने बांड्ज़ निकाले, तो उनकी गिनती दो बार १९६४ में होगी और अगर उन में इनाम निकल सकेंगे, तो इनाम दिये जायेंगे । १९६५ में नये बांड्ज़ की गिनती होगी इनामों के लिए । एक फ़र्क यह भी है कि जो पुराने बांड्ज़ थे, उन पर कोई सूद नहीं मिलता था, जब कि नये बांड्ज़ पर बराबर दो प्रतिशत का सूद भी मिलेगा।

राजघाट समाधि

\+

*६६०. **श्री प्रकाशववीर शास्त्री :**
श्री रामरतन गुप्त :
श्री बसुमतारी :

क्या **निर्माण, आवास और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि के निर्माण में इस बीच और क्या प्रगति हुई है और इस काम को कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या यह सच है कि समाधि के मध्य में उत्कीर्ण शब्द 'हे राम' वहां से हटा दिए गए हैं और उनको अब समाधि के नीचे के भाग की ओर उत्कीर्ण कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) मुख्य समाधि पर, जिस में आंगन, संगमर्मर की आड़ और चारों ओर बनी मिट्टी की मेंड़ सम्मिलित है, काम पूरा हो चुका है । आस पास की भूमि को बगीचे, बनावटी नहरें इत्यादि बना कर विकसित करने का काम इस समय चल रहा है और आशा है कि वह मार्च १९६५ तक पूरा हो जायेगा।

(ख) और (ग). महात्मा गांधी की समाधि को फिर से संवारने में उस पत्थर की शिला की जगह, जिस पर 'हे राम' खुदा हुआ था, एक काले ग्रैनाइट की शिला लगाई जानी थी, जिस पर वे ही शब्द अविकारी इस्पात (स्टैनलैस स्टील) के अक्षरों में लगाये जाने थे । उसी के अनुसार 'हे राम', ये अक्षर ग्रैनाइट शिला के खड़े हुये पार्श्व में और ऊपर की ओर भी जड़ दिये गये हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जब यह समाधि तैयार हुई थी, तो उस समय "हे राम", जो कि गांधी जी के अंतिम शब्द थे, उनके हृदय-प्रदेश पर, अर्थात् समाधि के ऊपर, लिखे हुए थे । लेकिन बीच में इस प्रकार की बात उठाई गई कि "हे राम" लिखने से साम्प्रदायिकता की बू आती है, जिसके कारण कुछ लोगों को समाधि पर फूल-माला चढ़ाने में कष्ट होता है और इस आधार पर उन शब्दों को बिलकुल हटा दिया गया । बाद में जनमत के प्रभाव से वे शब्द फिर लिख दिये गए, परन्तु वे हृदय-प्रदेश पर न लिखे जा कर चरणों पर लिखे गए, जब कि उनको हृदय-प्रदेश पर, अर्थात् समाधि के ऊपर, लिखा जाना चाहिए था । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन शब्दों को उसी जगह पर, अर्थात् समाधि के ऊपर, हृदय-प्रदेश पर, लिखने का विचार कर रही है, यदि हां, तो कब तक ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): यह दुरुस्त है कि शब्द "हे राम" वैसे ही लिखे हुए थे, जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा है । फिर हमें यह सूचना दी गई कि जहां लोग सामने आते हैं और चरणों पर फूल चढ़ाते हैं, वहां भी "हे राम" लिखा जाए । इसलिए हम ने दोनों जगह, ऊपर भी और सामने भी, "राम" लिख दिया है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : "हे राम" पहले गांधी जी के हृदय-प्रदेश पर ही था । अब जो समाधि है, उस पर ये शब्द केवल चरणों में हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि दोनों जगह पर हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : इस समाधि पर सरकार ने कुल कितना रुपया व्यय करने का निश्चय किया है और उस में अब तक कितना व्यय हो चुका है और शेष कितना व्यय होना बाकी है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : इस समाधि परियोजना को दो चरणों में रखा गया है । पहले चरण की लागत लगभग ३७ लाख रुपये है और दूसरे की लगभग ५० लाख रुपये ।

अध्यक्ष महोदय : अब तक कितना खर्च किया गया है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : हम ने केवल पहले चरण का काम किया है और वह लगभग पूरा हो गया है । मैं ठीक से यह नहीं बता सकता कि कितना खर्च हुआ है; केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने अभी हमें आंकड़े नहीं भेजे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बसुमतारी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या समाधि के डिज़ाइन को चुनने के लिये एक समिति बनाई गई थी; यदि हां, तो उस समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के नाम क्या हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम उस अवस्था से बहुत आगे बढ़ गये हैं ।

†**श्री बसुमतारी** : जब इस विषय में कुछ झगड़ा हुआ था तो एक समिति बनाई गई थी । मैं व्यक्ति का नाम जानना चाहता हूं ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : राजघाट समाधि समिति है । मेरा विश्वास है कि इसे संसद् के कहने पर नियुक्त किया गया है और उस समिति में दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य हैं । अधिकतर वह समिति ही इन सभी बातों की जांच करती है ।

†**श्री बसुमतारी** : मैं व्यक्ति का नाम जानना चाहता हूं ।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : मुख्य आयुक्त अध्यक्ष हैं । उसके बाद मैं समझता हूं कि इस सदन से श्री शिवचरण गुप्ता हैं । दूसरे सदस्य का नाम मैं नहीं जानता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में श्री जी० एस० मुसाफिर सदस्य हैं ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मुझे पक्का पता नहीं है । राज्य सभा से भी एक सदस्य हैं । उसके बाद श्री चांदी वाला हैं तथा गांधी स्मारक निधि का कोई प्रतिनिधि है । इस समिति में काफी अच्छा प्रतिनिधित्व है ।

श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा : क्या कोई ऐसा संकेत भी लिखा जायेगा कि यह महात्मा गांधी की समाधि है क्योंकि इस तरह की कोई चीज़ कहीं पर लिखी हुई नहीं है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : इसका नाम तो राजघाट है । यह गांधी समाधि है और हम जो चीज़ करते हैं, एक आर्किटक्ट जो बम्बई का है और जिनका बड़ा नाम है, उनके कहने के ऊपर ही हम तमाम चीज़ कर रहे हैं । जो माननीय सदस्य का सुझाव है यह मैं राजघाट समाधि कमेटी के पास पहुंचा दूंगा । आगे जैसी उनकी सिफारिश होगी, उसको हम करेंगे ।

श्री शिव नारायण : क्या सारा खर्च सरकार ही करती है या गांधी मैमोरियल फंड जो है उसमें से भी रुपया खर्च हो रहा है ?

श्री पू० शे० नास्कर : सारा सरकार का खर्चा है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि "हे राम" जो गांधी जी के वक्ष-स्थल पर था उसका लोग बहुत आदर करते थे और अब इन शब्दों को पैरों के पास लिख देने से लोगों को एतराज़ है । क्या यह अच्छा नहीं होगा कि ये शब्द छाती पर ही लिखे रहें ?

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब दे दिया गया है ।

श्री विभूति मिश्र : ैरों के पास अब ये शब्द लिखे हुए हैं और लोग इसका विरोध करते हैं । मैं चाहता हूं कि वक्षस्थल पर ही "हे राम" शब्द रहें ।

अध्यक्ष महोदय : वह चाहते हैं कि यहां पर ये न रहें । सरकार इस पर भी गौर कर ले ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री गुलशन : महात्मा गांधी पोलिटिकल विचारधारा के साथ साथ ईश्वर के भी उपासक थे। हम यह चाहते हैं कि उनकी समाधि के ऊपर कोई प्रार्थना करने के लिए पार्टी रखी जाये। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी पार्टी रखने का सुझाव भी क्या सरकार के विचाराधीन है ?

अध्यक्ष महोदय : यह नई सजैशन है। मिनिस्टर साहब इस पर भी विचार कर लें।

श्री ओंकारलाल बेरवा : गांधी स्मारक निधि के पास अब तक कितना रुपया इकट्ठा हुआ है और उसमें से इस काम के लिए कितना रुपया लगाया गया है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : जैसा कि मैंने पहले बताया, वह सारा खर्च . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : संग्रह कितना है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : वह मैं नहीं बता सकता। अभी तक सारा खर्च सरकार द्वारा किया गया है।

श्री गुलशन : मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि न दें।

अधिमूल्य दरें

†*६६१ **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री थेनगौंडर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जीवनांकिक परिस्थितियों के अनुसार जीवन बीमा की अधिमूल्य दरों का पुनर्विलोकन किया है अथवा करने का विचार है; और

(ख) क्या अधिमूल्य दरों को कम करने की संभावना पर विचार करने के लिये कोई विस्तृत जीवनांकिक अध्ययन किया गया है ?

†**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). जीवन बीमा निगम द्वारा वर्ष १९६१ से १९६४ तक के लिये बीमाशुदा व्यक्तियों की मरण संख्या की विस्तृत जांच की गई है। अधिमूल्य दरों के पुनर्विलोकन के प्रश्न पर इस जांच के परिणामों के उपलब्ध होने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या जीवन बीमा निगम यह मानने की स्थिति में है कि औसत आयु बढ़ गई है और उसके परिणाम स्वरूप तथा जीवनांकिक परिस्थितियों के कारण अधिमूल्य दर घटा दी जानी चाहिये यदि यह पता चले कि मर्त्यता के बारे में अनुभव अनुकूल रहा है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : ठीक इसी बारे में जीवनांकिक कार्य हो रहा है। और भी कई चीजें हैं। वे इन सभी अनुकूल तथा प्रतिकूल बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या मैं जान सकता हूं कि यह विचार कब तक पूरा हो जायेगा तथा सदन को इसके परिणामों के बारे में सूचित किया जायेगा ?

†**श्री ब० रा० भगत** : समें कुछ समय लगेगा । उन्होंने कोई तिथि नहीं बताई है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : जीवनकाल बढ़ने के अतिरिक्त क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विचार योग्य कोई अन्य बातें भी हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मूल्यों, मजूरी, वेतन तथा अन्य चीजों में वृद्धि जैसे कारक हैं ।

कुष्ठ रोगियों तथा पागलों का बन्ध्यीकरण

+

†*६६२. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुष्ठ रोगियों, पागलों तथा अन्य लाइलाज रोगों के रोगियों के बन्ध्यीकरण का विस्तृत कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) और (ख). कुष्ठ तथा अन्य लाइलाज रोगों के रोगियों और पागलों के लिये अलग से कोई बन्ध्यीकरण कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार नहीं है ।

भारत सरकार ने कुष्ठ, तपेदिक तथा मानसिक रोगों आदि से ीड़ित ोगियों सहित व्यक्तियों के स्वैच्छिक बान्ध्यीकरण की सुविधाओं की आवश्यकता पर जोर दिया है । राज्य सरकारों से यह भी प्रार्थना की गई है कि इन रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिये एक चलता-फिरता परिवार नियोजन चिकित्सालय चला कर सुविधाओं का विस्तार किया जाये जो न ोगियों के निमित्त संस्थाओं में जा सके ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि जब तक इन लोगों के बच्चों को पूर्णत: अलग न कर दिया जाये, नवजात शिशुओं पर इसका संक्रामक प्रभाव अवश्य पड़ेगा; यदि हां, तो सरकार या तो उन्हें अलग करने के लिये या इन ोगों से ीड़ित व्यक्तियों के लिये बन्ध्यीकरण अनिवार्य करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : माननीय सदस्या द्वारा उल्लिखित कोई कार्यवाही स सीधे से कारण से करने का विचार नहीं है कि भारत में बच्चों का सम्पर्क केवल माता या पिता से ही नहीं होता बल्कि परिवार के अन्य सदस्य भी, जैसे दादी, चाचे-मामे, चाचियां-मौसियां आदि, बच्चों के निकट सम्पर्क में आते हैं । इसलिए माननीय सदस्या द्वारा दिया गया सुझाव अधिक सहायक नहीं होगा । दूसरा कारण यह है कि यह भी सच है कि को अब लाइलाज ोग नहीं रहा । यदि हम कुष्ठ के किसी ोगी के लिये बन्ध्यीकरण अनिवार्य कर ेंगे तो हो सकता है कि लोग लाज करवाने की बजाय बीमारी को छिपाने की कोशिश करें। यह भी है कि जब हम तपेदिक आदि के रोगियों का बन्ध्यीकरण नहीं करते तो कोई कारण नहीं कि इस ोग के रोगियों के लिये अनिवार्य बन्ध्यीकरण क्यों हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या माननीय मंत्री को ऐसी कोई जानकारी है कि कितने देशों में अनिवार्य बन्ध्यीकरण प्रचलित है ?

†**डा० सुशीला नायर** : ऐसे बहुत से देश नहीं हैं जहां इस समय कुष्ठ है । इसलिए इस तरह की जानकारी एकत्रित करने का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण नहीं है । इस समय यह जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या मंत्री महोदय को पता है कि जो आदमी कोढ़ी है, उसके बाल-बच्चे जो उसके साथ रहते हैं, उनको भी कोढ़ हो जाता है ? वे अलग रहें, इसका क्या इंतजाम सोचा जा रहा है ?

डा० सुशीला नायर : अगर दवाई दे देते हैं जिसको कुष्ठ रोग है, उस मरीज़ को और उसके बच्चे को भी तो उसका बहुत अच्छा प्राफीलैक्टिक, प्रिवेंटिव असर होता है । बीमारी बच्चे को नहीं होती है ।

श्री यशपाल सिंह : सरकार ने क्या गौर किया है कि अगर ऐसा रूल बना दिया जाये कि जब तक कम्पलीट हैल्थ का सर्टिफिकेट डाक्टर न दे दे तब तक किसी को मैरेज की इजाज़त न दी जाये तो फिर स्टेरेलाइज़ेशन की ज़रूरत ही न रहे . . . . . जवाब नहीं मिला है । उनके लिए अगर यह चीज़ लाज़िमी कर दी जायेगी तो स्टेरेलाइज़ेशन की जरूरत ही नहीं रहेगी ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा सजैशन है । उन तक यह पहुंच गया है और वे गौर कर लेंगे ।

श्री राम सेवक यादव : यह कोढ़ के बीमार हिन्दुस्तान के किस राज्य में सब से अधिक हैं और उस राज्य के किस इलाके में ?

डा० सुशीला नायर : करीब २४-२५ लाख कुष्ठ रोगी इस देश में हैं । उनमें से कोई आधे दो राज्यों में, मद्रास और आंध्र प्रदेश में हैं, ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है ।

†**श्री कपूर सिंह** : सदन को उन सुविधाओं के बारे में बताया गया है जो स्वैच्छिक बन्ध्यीकरण के लिये सरकार देती है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने बन्ध्यीकरण के मनोवैज्ञानिक पार्श्विक प्रभावों का ज्ञान प्राप्त किया है जो नाज़ी जर्मनी में न्यूरेमबर्ग विधियों की क्रियान्विति के अध्ययन से प्रकाश में आये हैं ?

†**डा० सुशीला नायर** : मझे खेद है कि मैं प्रश्न का दूसरा भाग सुन नहीं पाई ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नाजी जर्मनी में न्यूरेमबर्ग विधियों की क्रियान्विति के अध्ययन से प्राप्त परिणाम ।

†**डा० सुशीला नायर** : भारत में बन्ध्यीकृत लोगों के बारे में कई अध्ययन किये गये हैं और ९८ प्रतिशत मामलों में किसी भी तरह के दुष्प्रभाव नहीं पाये गये हैं । एक या दो प्रतिशत लोगों ने कुछ शिकायतें की हैं परन्तु ऐसा विचार है कि वे प्रत्यक्षत: बन्ध्यीकरण का परिणाम नहीं हैं ।

†**श्री कपूर सिंह** : मेरे प्रश्न को समझा नहीं गया है या उत्तर नहीं दिया गया है । उसे टाल दिया गया है । क्या सरकार ने उन अध्ययनों का पता लगाया है जो जर्मनी में नाजी

---

†मूल अंग्रेजी में

शासनकाल के दौरान न्यूरेमबर्ग में अधिनियमत बन्ध्यीकरण विधियों की क्रियान्विति के बारे में किये गये हैं ?

†**डा० सुशीला नायर** : मैं नहीं समझती कि न्यूरेमबर्ग का इस प्रश्न से क्या सम्बन्ध है। मैं इस बारे में अधिक नहीं जानती ।

श्री प० ला० बारूपाल: क्या स्वास्थ्य मंत्रालय के ध्यान में यह बात आई है, और आई है तो कहां तक सत्य है, कि राजस्थान के रोणीचा गांव में रामदेव नाम के एक सिद्ध पुरुष हुए हैं और वहीं पर एक पानी की बावड़ी है, वहां पर हजारों रोगी लोग जाते हैं और स्नान करके उन सिद्ध पुरुष की ढ़ आराधना करते हैं जिससे उनका कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : वहां कुष्ठ रोगियों का एक मेला हर साल क्यों नहीं करते ।

श्री प० ला० बारूपाल : करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह मेला आप शुरू कर दें तो सब लोग चले जाया करेंगे ।

श्री प० ला० बारूपाल : मेरा मतलब है कि वहां बहुत से लोग जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप उसको और पापुलर कीजिये ।

बिजली बनाने के यंत्रों[1] की खरीद

+

†*६६३. { **श्रीमती सावित्री निगम** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांच बिजली परियोजनाओं के लिए इन्टरनेशनल जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी से बिजली बनाने के यंत्रों को एक साथ खरीदने का है ताकि व्यय में कमी हो सके ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितनी रियायत करा ली गई है और इस कार्यवाही से कुल कितनी बचत हुई; और

(ग) कितने सेट खरीदे जा रहे हैं और किन परियोजनाओं के लिए खरीदे जा रहे हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(ख) एक साथ ६२.५ मेगावाट वाले १४ सेटों का क्रयादेश देकर इन इन्टरनेशनल जनरल इलैक्ट्रिक सेटों में एक एकक मूल्य में लगभग २५ प्रतिशत तक रियायत प्राप्त की गई है । १४ सेटों की कुल लागत लगभग ७८१.३ लाख एफ० ए० एस०, न्यूयार्क है । इसके

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Generating Sets.

फलस्वरूप होने वाली कुल बचत के १८० लाख पये होने का अनुमान है । सेट देने का समय भी घटा दिया गया था ।

(ग) निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए बिजली बनाने वाले १४ सेट खरीदे जा रहे हैं जिनमें से प्रत्येक की क्षमता ६२.५ मेगावाट होगी :—

(१) पारस	१ एकक	अमरीकी एक्सिम ऋण के अधीन
(२) तालचेर	४ एकक	डी० एल० एफ० ऋण संख्या १९० के अधीन
(३) दिल्ली	३ एकक	ए० आई० डी० ऋण संख्या ५० के अधीन
(४) सतपुरा	५ एकक	ए० आई० डी० ऋण संख्या ७७ के अधीन
(५) रामागुंडम	१ एकक	ए० आई० डी० ऋण संख्या ४९ के अधीन
कुल	१४ एकक	

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या मैं जान सकती हूं कि पूर्वी यूरोप के कितने देशों ने ये सेट भारत को बेचने का प्रस्ताव किया है ?

†**डा० कु० ल० राव** : इस विशेष मामले में सहायता ए० आई० डी० की ओर से मिली है । यह एक अमरीकी ऋण है इसलिए केवल अमरीका से ही खरीदे जाने हैं ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या पूर्वी यूरोप के देशों से ये सेट पया भुगतान में बेचने के कोई प्रास्ताव आये हैं ?

†**डा० कु० ल० राव** : यही तो मैं कह रहा हूं । इस विशेष मामले में खरीद केवल अमरीका से ही की जानी है । अन्य स्थानों से खरीदने का कोई प्रश्न ही नहीं है । अन्य मामलों में हम दूसरे देशों से भी खरीद रहे हैं ।

माताटीला परियोजना

\+

*६६४. **श्री म० ला० द्विवेदी** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास : ८
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माताटीला बिजलीघर का निर्माण-कार्य अभी भी आरम्भिक अवस्था में है जबकि इसको कई वर्षों से बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) माताटीला विद्युत परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) से (ग). माताटीला परियोजना की मंजूरी १९५८ में दी गई थी । विद्युत् संयंत्र के क्रयादेश को विदेशी मुद्रा के उपलब्ध

†मूल अंग्रेजी में

न होने के कारण १९६० तक आस्थगित करना पड़ा। मार्च १९६१ में सहायक उपकरण सहित अपेक्षित तीन टरबो-आल्टरनेटर्ज का आदेश दिया गया था तथा ९० प्रतिशत उपकरण आ चुका है। बिजलीघर की इमारत के निर्माण में कुछ विलम्ब हो गया था और इस कारण जनित्र के लगने में देरी हो गई है। खोये समय को पूरा करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। मशीनों का लगाया जाना अगस्त, १९६४ में आरम्भ होगा और आशा है कि दिसम्बर १९६४ तक पहली मशीन वाणिज्यिक स्तर पर चालू हो जायेगी।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि जब बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ इलाका है और आप ने इस बात पर जोर दिया है कि पिछड़े इलाकों का सुधार जल्दी होना चाहिये, तब सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन के कोर में से इस योजना को क्यों हटा दिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य कार्यों से बाहर क्यों रखा गया था?

†**डा० कु० ल० राव** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बहुत सी ऐसी विद्युत परियोजनाओं को योजना के प्रमुख कार्यों से निकाल दिया गया था जिनका इस्पात तथा अन्य पूववर्तिताओं के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था। मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकता।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि जो १० फी सदी सामान एलेक्ट्रिक प्लैन्ट का अब तक नहीं आया है वह कब तक आ जायेगा, और क्या उस की वजह से काम रुका हुआ तो नहीं है।

†**डा० कु० ल० राव** : माताटीला से सम्बन्धित ९० प्रतिशत सामान आ चुका है और शेष इस वर्ष में आ जायेगा। सामान के प्राप्त होने के कारण कोई विलम्ब नहीं होगा। परन्तु विलम्ब बिजली घर के कारण है।

श्री बड़े : माताटीला के निर्माण के सम्बन्ध में शुरू में जो लागत रखी गई थी क्या उसको बदल कर अब उसकी लागत ज्यादा बढ़ा दी गई है। यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को कंसल्ट किया गया है।

†**डा० कु० ल० राव** : मूल प्राक्कलन ३७४ लाख रुपये का था जो इस कारण से ६४३ लाख रुपये हो गया है क्योंकि पहले वे ५ मेगावाट वाले ३ एकक लगाना चाहते थे और अब वे १० मेगावाट वाले एकक लगा रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मध्य प्रदेश से भी सलाह ली गई है?

†**डा० कु० ल० राव** : इस परियोजना में मध्य प्रदेश का कोई भाग नहीं है।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : क्या मैं जान सकता हूं कि माताटीला परियोजना के पूरा होने के बाद वास्तव में कितनी बिजली तैयार होगी और किन प्रान्तों को उससे लाभ पहुंचेगा?

†**डा० कु० ल० राव** : माताटीला परियोजना ३० मेगावाट बिजली पैदा करती है और यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश के लिए है। हाल ही में एक तरह का समझौता हुआ है जिसके अनुसार कुछ बिजली मध्य प्रदेश में जा सकती है। परन्तु मुझे उसका पता नहीं है।

†**श्री बड़े** : श्रीमान्, जानकारी के लिये . . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : बीच में मैं इसकी आज्ञा नहीं दे सकता। दो प्रश्न और हो चुके हैं।

श्री सरजू पाण्डेय : मैं यह जानना चाहता हूं कि माताटीला के निर्माण के लिए कितने फारेन एक्सचेंज की जरूरत है और उसे कब तक हासिल किया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कितनी विदेशी मुद्रा चाहिये तथा वह कब प्राप्त होगी ?

†**डा० कु० ल० राव** : इसके लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा पहले ही दे दी गई है तथा एकक प्राप्त हो गये हैं। यह लगभग ४४ लाख रुपये है और शेष अपेक्षित विदेशी मुद्रा बहुत ही कम है तथा उसे भी शीघ्र ही दे दिया जायेगा।

†**श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बिजली के वितरण के बारे में मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकारों में कोई मतभेद है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका भी जवाब दे दिया गया है।

†**श्री शिव नारायण** : क्या मैं जान सकता हूं कि १९५८ में प्राक्कलन कितना था और अब कितना है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका भी उत्तर दे दिया गया है।

†**श्री बड़े** : श्रीमान, मेरी एक प्रार्थना है। एक जगह उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के बारे में सोचा ही नहीं गया है। दूसरी जगह उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को कुछ बिजली लेने का अधिकार है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनके वक्तव्य के अनुसार मध्य प्रदेश को अधिक बिजली मिली है।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश उसमें भागीदार नहीं था। अब अभ्यावेदन किया गया है और इस पर सोचा जायेगा कि क्या श्री बड़े को कुछ दिया जा सकता है।

कोयला परिवहन

+

†*६६५. **श्री म० ला० द्विवदी** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :

क्या **वित्त** मंत्री २९ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कोयले के परिवहन की समस्या के बारे में विदेशी परामर्शदाताओं के दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट के मुख्य-मुख्य सुझाव क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) दल ने एक अन्तरिम रिपोर्ट पेश की है।

(ख) रिपोर्ट में दी गई मुख्य मुख्य सिफारिशें सभा पटल पर रखी जाती हैं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २१८६ / ६३।]**

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं इस का हिन्दी में भी उत्तर बतला दूं क्योंकि प्रश्न केवल अंग्रेजी में था।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

(इसके पश्चात उत्तर हिन्दी में पढ़ा गया)

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि टीम ने जो सुझाव दिये हैं उन का परिपालन सरकार कब तक कर देगी और कितनी हद तक।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जो मौजूदा सुझाव दिये गये हैं वे यह भद्दे नजर रख कर दिये गये हैं कि उन का प्रतिपालन तुरन्त हो जाय और जिन मंत्रालयों को उन का प्रतिपालन करना है वे इस पर गौर कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी उसे पूरा करेंगे। रेल मंत्रालय है और जिस मंत्रालय का कोयले से ताल्लुक है वे सब विभाग इस के बारे में तुरन्त कार्रवाई कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जिस प्रश्न का जवाब सिर्फ इतना हो कि "स्टेटमेंट इज़ लेड ऑन दि टेबल आफ़ दि हाउस" या यह कि "दि क्वैश्चन डज़ नॉट एराइज़" और हिन्दी में हो कि "विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है" या यह कि "प्रश्न नहीं उठता" तो उस का दूसरी भाषा में तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है। अब माननीय सदस्यों को कोशिश करनी चाहिये कि एक दूसरे की जबान को ज्यादा समझें।

श्री म० ला० द्विवेदी : माननीय मंत्री महोदय ने जो यह कहा कि स्टेटमेंट सदन पटल पर रख दिया गया है उस के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जो कागजात सदन पटल पर रक्खे गये हैं उन में यह रिपोर्ट नहीं है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट का मुख्य सारांश क्या है और उस के परिणामस्वरूप क्या फायदा हुआ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जो स्टेटमेंट मैंने रक्खा है उस में जो मुख्य सुझाव हैं वे दिये हुए हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : उन में नहीं है। जो कागजात बांटे गये हैं उन में मुझे नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय : था या नहीं इस का फैसला हो जायेगा बाद में।

श्री म० ला० द्विवेदी : मेरे प्रश्न का उत्तर तो दे दिया जाय।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : उसे सभा पटल पर रख दिया गया है लेकिन अगर माननीय सदस्य को नहीं मिले हैं और वह कोई जानकारी चाहते हैं तो मैं दे देती हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर जो विवरण रक्खा गया है उसमें क्या यह रिपोर्ट है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जी हां ।

श्री० म० ला० द्विवेदी : अध्यक्ष महोदय, सभा पटल पर जो कागजात रखे जाते हैं वे हमको आध घंटे पहले मिल जाते हैं। लेकिन इस सवाल के मुताल्लिक कागजात हमको नहीं मिले हैं, इसलिए हम कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि वह स्टेटमेंट हमको बता दिया जाए। उसको केवल सभा पटल पर रखने से हम पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते क्योंकि वह हमको नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : सभापटल पर जो कागजात रखे जाते हैं उनकी नकलें नोटिस आफिस में मिलती हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : नहीं मिलीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी तहकीकात कर लूंगा कि क्यों नहीं मिलीं। लेकिन जो बयान दे दिया जा चुका है उस पर बार बार कितने सवाल दुहराता चला जाऊं।

†**श्री दाजी :** कोयला परिवहन की कमी का सब से बड़ा कारण रेलों की जो कमी बताई गई है उसे दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** मैं समझता हूं कि प्रश्न का अभिप्राय यह है कि रेलों का दोष है। मैं यह नहीं मानता।

श्री भागवत झा आजाद : क्या इस अन्तरिम रिपोर्ट के अलावा ऐसा भी कोई संकेत उन्होंने किया है कि वे कब तक अन्तिम रिपोर्ट देने में समर्थ हो सकेंगे ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : अनुमान है कि मार्च-अप्रैल सन् १९६४ तक यह रिपोर्ट पेश हो जायेगी।

†**श्री दाजी :** दल ने एक कारण यह बताया है कि वैगनों आदि की कमी है जो कोयले के परिवहन की कमी का एक मुख्य कारण है। इस कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य ने 'दोष' शब्द का प्रयोग किया था और उत्त यह है कि 'दोष' नहीं है और माननीय सदस्य का अनुमान गलत है। अब वह कहते हैं कि दोष न हो कर कमी हो सकती है। यह प्रश्न सर्वथा नया है।

श्री शिव नारायण : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कंसलटेटिव कमेटी के कौन कौन से मेम्बर हैं, और उन के मुख्य सुझाव क्या हैं ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जो मुख्य मुख्य सुझाव थे वे स्टेटमेंट में दे दिए गए हैं। जिस स्टीयरिंग कमेटी ने इसके बारे में कुछ कार्रवाई की है, उसके दो मेम्बर हैं। उस कार्रवाई के बाद रिपोर्ट लिखने के लिये कंसलटैटिव कमेटी को दे दी गयी जो कि इस काम में एक्सपर्ट है। स्टीयरिंग कमेटी के एक मेम्बर हैं श्री जी० एल० बंसल, सेक्रेटरी जनरल इंडियन चेम्बर आफ कामर्स, और दूसरे हैं श्री एडवर्ड मेसन हारवर्ड यूनीवरसिटी के।

---

†मूल अंग्रेजी में

धोखाधड़ी निरोधक दस्ता[1]

+

†*६६७. { **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री महेश्वर नायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निगम क्षेत्र में आर्थिक अपराधों को रोकने और उनके लिए दंड देने के लिए उच्चाधिकारयुक्त धोखाधड़ी निरोधक दस्ता स्थापित करने के बारे में सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव के कब तक लागू हो जाने की संभावना है ?

†**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). वित्त मंत्रालय के अधीन प्रवर्तन विभाग के कर्मचारियों के कार्य का क्षेत्र बढ़ाने तथा उनकी संख्या बढ़ाने का प्रश्न, ताकि वे बढ़े हुये काम को कर सकें, विचाराधीन है। परन्तु निश्चित रूप से यह बताना संभव नहीं है कि पुनर्गठन व्यवस्था को कब लागू किया जायेगा।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : अन्तिम निश्चय देने वाली समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यह काम विभाग, संबंधित अधिकारी करते हैं और अन्त में उस पर वित्त मंत्री निश्चय करेंगे।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : समिति इस यूनिट को किस तरह बढ़ायेगी और प्रभावी बनायेगी ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यह काम मंत्री महोदय कर रहे हैं। कोई समिति नहीं है।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या सरकार ने भीतरी नियन्त्रणों के बाहरी नियंत्रणों के मुकाबले में अधिक प्रभावी होने की जांच की है और यदि हां, तो क्या वे सरकारी कार्यालयों की बाहरी निरीक्षण दलों द्वारा जांच करने के बारे में पुनः विचार करेंगे ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं ठीक से प्रश्न नहीं समझ सका हूं। विचार यह है कि राजस्व के ढांचे की जांच के लिए एक संगठन बनाया जाये। परन्तु जहां तक इसके कार्य का संबंध है, यह एक ऐसे संगठन के अनुशासन क्षेत्र के अन्तर्गत रहेगा जो मंत्रालय के बाहर होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य की समझ, बुद्धि और विद्वता की प्रशंसा करता हूं, परन्तु सभी सदस्यों से ऐसी भाषा का प्रयोग करने की प्रार्थना करता हूं जिसे हम में से अधिकतर व्यक्ति समझ सकें।

†**श्री कपूर सिंह** : मैं अस्पष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं। परन्तु मैंने एक मूल प्रश्न पूछा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसमें सन्देह नहीं करता। इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Anti-fraud Squad.

†**श्री अ० प्र० जैन** : आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, औरों की नहीं। यह भेदभाव है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे केवल अपनी बुद्धि की तुलना करनी थी, औरों की बुद्धि की नहीं।

†**श्री वाजी** : क्या पुनर्गठित योजना को लागू होने में कुछ समय लगेगा, पुनर्गठन योजना की मोटी मोटी बातें क्या हैं और यह वर्तमान व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : अभी हम इस पर विचार कर रहे हैं। अभी हमने अन्तिम निश्चय नहीं किया है। ऐसा करते समय हम माननीय सदस्य तथा सभा को सहर्ष सूचना देंगे।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या यह संगठन गुप्तचर या जांच-पड़ताल एजेंसी होगा या दोनों ही रूप धारण करेगा ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : अभी यह सब अनिश्चित है। मेरे मंत्रालय के राजस्व भाग के विभिन्न विभागों में विद्यमान संगठन, जांच-पड़ताल तथा उसके करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम दोष दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं और अभी स्पष्ट स्थिति हमें ज्ञात नहीं है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : इस पुनर्गठन योजना के लागू होने तक सरकार का विचार देश में बढ़ रहे आर्थिक अपराधों के बारे में क्या कार्यवाही करने का है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : विद्यमान संगठन यह कार्य करेगा। जहां तक उत्पादन शुल्क विभाग का सम्बन्ध है, वे कुछ कार्य करते हैं और गृह-कार्य मंत्रालय में विशेष पुलिस संस्थान हैं और हमें उससे भी सहायता मिल सकती है।

श्री रामेश्वरानन्द : पहले की अपेक्षा सारे देश में और सारे सरकारी विभागों में अधिक भ्रष्टाचार फैल रहा है जिसको रोकने का सरकार यत्न करती है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका कारण क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : इसकी बहस हम अलाहिदा से करेंगे।

परियोजना-अतिरिक्त ऋण

†*६६८. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को और अधिक परियोजना-अतिरिक्त ऋण मिलने की संभावना है क्योंकि विश्व बैंक और भारत सहायता संघ (कंसोर्टियम) के सदस्यों ने परियोजना-अतिरिक्त ऋण सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है ; और

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) यदि हां, तो कितना ऋण मिल जाने की आशा है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). इस वर्ष भारत सहायता संघ (कंसोर्टियम) द्वारा (५०१ करोड़ रुपये) की सहायता देना निश्चित हुआ था, इसमें से अनुमानतः लगभग $^2/_5$ भाग (अर्थात लगभग २०० करोड़ रुपया) गैर-परियोजना सम्बन्धी सहायता के रूप में दिया जाएगा, आशा है कि इस सम्बन्ध में ऋण के करार सम्बन्धी वार्ता शीघ्र ही पूर्ण हो जायेगी । ऐसी भी आशा है कि भविष्य में भी इस प्रकार की विकास सम्बन्धी सहायता का एक काफी बड़ा भाग हमें गैर-परियोजना सम्बन्धी सहायता के रूप में प्राप्त होगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मंत्रालय ने परियोजना-अतिरिक्त व्यय का कोई ब्योरा भेजा है, और यदि हां, तो वह क्या है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : परियोजना-अतिरिक्त सहायता का ब्योरा तैयार करना बहुत कठिन है । परियोजना-अतिरिक्त सहायता का आधार दृष्टिकोण में लचीलापन लाना है । जहां कहीं हमें आवश्यकता होती है और जहां कहीं आर्थिक विकास के लिये इसकी आवश्यकता होती है, वहां हम परियोजना-अतिरिक्त ऋण का प्रयोग करते हैं । अतः माननीय सदस्य का कथन पूर्णतया विरोधी है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : दृष्टिकोण में लचीलापन होने के बावजूद भी क्या अब तक कोई मूल्यांकन किया गया है और वे परियोजना-अतिरिक्त व्यय क्या है जिन्हें समूचे भारत में सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जहां तक कंसोर्टियम का सम्बन्ध है, तीसरी योजना के प्रथम $2^1/_2$ वर्ष में उससे १,२०६.९५ करोड़ रु० मिले हैं । इस राशि में से ४४७.१६ करोड़ रु० परियोजना अतिरिक्त व्यय के लिये दिए गए हैं या दिए जायेंगे । हम इस सहायता को कुछ परियोजना प्रोग्रामों की अनुपूर्ति के लिये और पूंजीगत वस्तुओं तथा अपेक्षित मशीनों के महत्वपूर्ण आयात की मूल आवश्यकता की पूर्ति के लिये प्रयोग कर रहे हैं ।

†**श्री त्यागी** : क्या यह परियोजना-अतिरिक्त ऋण किसी विनियोग में लगाया जाएगा जिसमें सामान्य ब्याज मिलेगा या यह उपभोग व्यय में प्रयोग होगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : अन्त में, यह विनियोग होगा । जैसा कि मेरे सहकर्मी ने कहा है, यह परियोजना-अतिरिक्त सहायता ऐसे पुर्जों और तांबा, निकिल, आदि जैसे मूल पदार्थों के रूप में होगी जो सब निर्माण में प्रयोग होते हैं । वास्तव में उनका इस तरह उपयोग नहीं होता जैसे कोई वस्तु खाई जाती है । यह तो बनी रहती है और इस तरह वह उस यूनिट की सम्पत्ति में वृद्धि करती है जिसमें उसका प्रयोग होता है ।

दन्त क्षय[1]

†*६७१. { **श्री स्वैल** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : }

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में दन्त क्षय बड़ी तेजी से बढ़ रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Pyorrhoea

(ख) इस बृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई, है तो क्या ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) भारत में दन्त-क्षय रोग कितना फैला हुआ है या कितनी वृद्धि हो रही है, इसका पता लगाने के लिये कोई देशव्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है । फिर भी, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अखिल भारतीय संस्था के अधीन चुने नगरों तथा क्षेत्रों में दन्त सम्बन्धी 'केरीज' तथा 'पीरियडान टालोजी' के क्षेत्र में किये गये अनुसन्धान के निकर्षों से पता लगता है कि सभी आयु के लोगों में दन्त 'केरीज' रोग का प्रतिशत ६०% तथा 'पीरियडनिटल' रोग का प्रतिशत ९७ प्रतिशत । भारत में दन्त रोगों के महामारी सम्बन्धी अध्ययन सम्बन्धी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषदाधीन कार्यकारी दल अब भी अनुसन्धान कर रहा है । एक उत्तर में अमृतसर में है और दूसरा दक्षिण में त्रिवेन्द्रम में है ।

(ख) वृद्धि होने का मुख्य कारण यह है कि कड़ी चीज़ खाने की आदत बहुत बारीक पिसी और नर्म चीजें खाने में बदल गई हैं तथा मौखिक और दन्त स्वच्छता की उपेक्षा की जाती है ।

(ग) दूसरी योजना अवधि में लगभग ७० दन्त औषधालय खोले गए । ९ राज्य सरकारों से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार, आशा है कि तीसरी योजना के अन्त तक ३५ औषधालय और खुल जायेंगे । चौथी योजना में, दन्त देख-रेख का काम और भी तेज करने का विचार है ।

†**श्री स्वैल** : पटल पर रखे गये विवरण से मुझे आश्चर्य होता है । इसमें आरम्भ में कहा गया है कि भारत में दन्त-क्षय रोग कितना फैला हुआ है या उसमें वृद्धि हो रही है । निश्चित करने के लिये कोई देशव्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है । दूसरे पैराग्राफ में उल्लेख है कि रोग में वृद्धि होने का मुख्य कारण यह है कि खाने की आदतें बदल गई हैं । इसमें यह नहीं कहा गया है कि रोग में वृद्धि नहीं हुई है । परन्तु मैं समझता हूं कि रोग बढ़ा है । यदि देश में दंत-क्षय रोग में वृद्धि हुई है और मंत्री महोदय दंत देख-रेख की सुविधायें बढ़ाने की बात करते हैं तो क्या कारण है कि वे संसद सदस्यों तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दी गई चिकित्सा सुविधाओं में दंत चिकित्स शामिल नहीं करते ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : माननीय सदस्य पहले पैराग्राफ की पहली दो तीन लाइनें पढ़ते हैं और नीचे की पांच छः लाइने नहीं पढ़ते, इससे उन्हें भ्रम हो जाता है । यदि वे सार पैराग्राफ पढ़ें तो उनका भ्रम मिट जायेगा ।

दूसरी बात यह है कि दंत देख-रेख की अलग नहीं रक्खा गया है । हमारे दंत चिकित्सालय हैं । और हम संसद सदस्यों को भी दंत देख-रेख की सुविधा देते हैं । परन्तु कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें स्वयं माननीय सदस्य और प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, जैसा दांतों को साफ रखना, इससे दांतों के बहुत से रोग नहीं होते ।

†**श्री स्वैल** : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री ने ठीक जानकारी नहीं दी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि उनके पास ठीक जानकारी हो तो वे जानकारी क्यों मांगते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स्वैन** : नहीं, उन्होंने वह जानकारी नहीं दी है जो स्वयं उनकी पत्रिकाओं से हमें प्राप्त होती है ।

मंत्री महोदय दंत स्वच्छता की उपेक्षा की बात करती हैं कि देश में दंत क्षय रोग होने का यही कारण है । यदि हम शिक्षण संस्थाओं में दंतस्वच्छता को एक अनिवार्य प्रशिक्षण बना दें तो क्या इससे सहायता न मिलेगी ?

†**डा० सुशीला नायर** : मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं कि दंतस्वच्छता तथा अन्य स्वस्थ्य शिक्षा स्कूलों में अनिवार्य रूप से दी जा सकती है और हम इस दिशा में कार्यवाही कर रहे हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं विवरण में देखता हूं कि दूसरी योजना में सत्तर दंत चिकित्सालय खोले गये हैं और तीसरी योजना के अन्त तक पैंतीस और चिकित्सालय खुलने की आशा है इन अधिक से अधिक एक सौ पांच चिकित्सालयों से देश की आवश्यकता पूरी हो जायेगी ? क्या यह सही नहीं है कि दंत चिकित्सालयों की छोटी सी संख्या से माननीय मंत्री इस रोग के साथ खिलवाड़ कर रहीं हैं ।

†**डा० द० स० राजू** : इसमें सन्देह नहीं कि दंत चिकित्सालय बहुत कम है । हम प्रत्येक जिलें में दंत चिकित्सालय बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं । यही हमारी योजना है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : दिल्ली में हाल में दांतों के चिकित्सकों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था जिस में इस विषय के सब से बड़े विशेषज्ञ ने चेतावनी देते हुए यह कहा था कि अगर दंत क्षय को तेज़ी के साथ न रोका गया तो आने वाले समय में ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि २० वर्ष की आयु के जवान लोग पोपले हो जायेंगे, तो इस चेतावनी के बाद भी क्या सरकार कोई गम्भीर निर्णय लेने का विचार कर रही है ?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, हक़ीकत यह है कि डैंटल क्लीनिक्स को खोलने का धन स्टेट्स के प्लांस में शामिल है । यह ऐडैड स्कीम है । अब स्टेट्स के पास हम पत्र भेजते हैं और उनका ध्यान इस तरफ खीचते हैं लेकिन उन के पास दूसरे ऐसे काम हैं जिन को वह ज्यादा महत्व का समझते हैं और डैंटल क्लीनिक्स उनको जितनी खोलनी चाहिये वह नहीं खोल रहे हैं । हम फिर उनका ध्यान इधर खींच रहे हैं । अब इस से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाशवीर शास्त्री को डर है कि अगर ऐसी ही हालत बनी रही और स्टेट्स जवाब नहीं देंगी तो बीस साल के हम सब लोग दांतों के बगैर हो जायेंगे तो वह जानना चाह रहे हैं कि सेन्टर इसके लिये क्या विशेष कार्यवाही कर रहा है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : मेरा विचार था कि माननीय मंत्री ने कहा था कि संसद सदस्यों को कोई दन्त सहायता दी जा सकती है । मेरे कृत्रिम दांत कमजोर पड़ रहे हैं । क्या मुझे कृत्रिम दांत मुफ्त मिल सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न सीधा ही नहीं पूछा जाना चाहिये । क्या संसद सदस्य अपने दांत बदलवा सकता है ?

†**श्री त्यागी** : संसद में व्यक्तिगत आपत्तिजनक होते हैं । कोई भी व्यक्ति यहां अपनी दो बात नहीं कह सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : इसी कारण मैंने उस प्रश्न की अनुमति नहीं दी थी और यह कह कर उसमें रूपभेद कर दिया था कि क्या कोई संसद सदस्य अपने दांट बदलवा सकता है ।

†**डा० सुशीला नायर** : नहीं, दंत सेवा में कृत्रिम दांतों का दिया जाना शामिल नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री जयपाल सिंह ।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सही है कि डेंटल डिके का सब से बड़ा कारण .....

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने श्री जयपाल सिंह को पुकारा था ।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि क्या सामिष व्यक्तियों को आमिष व्यक्तियों की अपेक्षा दंतस्वच्छता में अधिक कठिनाई होती है । और क्या मद्य निषेध करने वाले व्यक्तियों को मद्य निषेध विरोधी व्यक्तियों की अपेक्षा दंत-क्षय, रोग अधिक होता है ?

†**डा० सुशीला नायर** : माननीय सदस्य का विचार सर्वथा ग़लत है । मद्य-निषेध का दांतों के ठीक रहने से कोई सम्बन्ध नहीं है और शाकाहारी व्यक्तियों को मांसाहारी व्यक्तियों की अपेक्षा दंत रोग अधिक नहीं होते ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : इससे माननीय सदस्यों को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है ।

श्री कछवाय : क्या यह बात सही है कि दांतों में खराबी आने और उनमें रोग पैदा होने का एक सब से बड़ा कारण दांतों के नये नये मंजन हैं जो कि बाजार में बिकते हैं ?

डा० सुशीला नायर : किसी मंजन का दोष तो हमें मालूम नहीं है लेकिन खाने के तुरन्त बाद कुल्ला करने की आदत लोगों में कम हो रही है जिससे कि दांतों को ज़रूर नुकसान हो रहा है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सही है कि भारत संसार में अकेला ऐसा अभागा देश है जहां कि डालडा और कोटोजम की सब से ज्यादा खपत है और यही डालडा और कोटोजम डेंटल डिके का सबसे बड़ा कारण है ?

डा० सुशीला नाय : श्रीमन्, डालडा, कोटोजम के कई दोष हो सकते हैं लेकिन दांतों के डिके का उसके साथ सम्बन्ध है यह मैंने आज नई बात सुनी है ।

गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस, नासिक

*६७४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस, नासिक में कुछ अन्य देशों के नोट तथा डाक टिकट छपने इस बीच बन्द हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सिक्योरिटी प्रेस में दूसरे देशों के नोट छापने का काम बन्द कर दिया गया है लेकिन दूसरे देशों के डाक टिकट अब भी वहां छापे जाते हैं ।

(ख) दूसरे देशों ने खुद ही नासिक प्रेस को नोट छापने के आर्डर देने बन्द कर दिये । इस मामले में उनसे लिखा-पढ़ी इसलिए नहीं की गई कि एक तो इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस में पहले से ही काम का बहुत ज़ोर है और दूसरे विदेशी मुद्रा (फ़ारेन एक्सचेन्ज) की तंगी के कारण उन देशों के आर्डर पूरे

---

†मूल अंग्रेजी में

करने के लिए नोट छापने के काम आने वाला कागज़ बाहर से मंगाने के लिए हम विदेशी मुद्रा की कोई भी रकम ख़र्च नहीं कर सकते ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि नासिक के सिक्योरिटी प्रेस में दूसरे किन किन देशों के नोट छपते थे और क्या उन्होंने इसलिए हमारे यहां आर्डर देना बन्द कर दिया कि उनकी छपाई समय पर नहीं होती थी या अच्छी छपाई नहीं होती थी ? आखिर किस कारण उनके नोट छपने बन्द हो गए ?

श्री ब० रा० भगत : ऐसी बात नहीं है । उदाहरण के लिए हम बर्मा के नोट छापते थे, जिनका छपना अब बन्द हो गया है । उनके लिए जो पोस्टेज स्टैम्प और दूसरे कागज़ छापे जाते हैं, उनमें बाहरी कागज़ लगता है । इसलिए हमने बर्मा सरकार से कहा कि अगर वह बाहरी कागज़ मंगा कर हमको दे, तो हम इनको छापें, क्योंकि हम बाहरी कागज़ मंगाने के लिए अपना फारेन एक्सचेंज नहीं ख़र्च कर सकते ।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं कि हाउस के सब तरफ बातें हो रही हैं, जिनकी वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है । —मेरे कहने के बावजूद भी कई जगह बोलना बन्द नहीं हुआ है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि नासिक के सिक्योरिटी प्रेस में, जहां एक एक कागज़ के ऊपर बड़ी सावधानी और निगरानी रखी जाती है वहां की क्या ऐसी घटना भी कोई वित्त मंत्री के कानों में पड़ी है कि प्रेस के सब से बड़े अध्यक्ष ने उस प्रेस में क्रिसमस के कार्ड छपवाए । अगर आज वह क्रिसमस के कार्ड छपवा सकते हैं, तो कल नोट भी छपवा सकते हैं । इस बारे में सर-कार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य ने क्रिसमिस कार्ड छपवाने के बारे में जो सूचना दी है, मैं उसकी छानबीन करूंगा ।

श्री रामेश्वरानन्द: अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो कुछ भी पूछा जाता है, मंत्री महोदय कहते हैं कि हमें मालूम नहीं है, हम जानकारी लेंगे, आदि । माननीय मंत्री को सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए । आप इस विषय में उनको आदेश दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं । बाकी बहुत से माननीय सदस्यों को जवाब तो वह दे देते हैं, मगर चूंकि स्वामी जी की बात बहुत गहरी होती है, इस लिए शायद वह जवाब न दे सकें । उसके लिए उनको तैयार रहना चाहिए ।

श्री रामेश्वरानन्द : ऐसा नहीं होना चाहिए ।

श्री विश्राम प्रसाद : सिक्योरिटी प्रेस, नासिक में जो कागज़ नोट छापने के लिए बाहर से आता है, उसके लिए भारत सरकार को कितना रुपया ख़र्च करना पड़ता है और क्या उस तरह का कागज़ अपने देश में ही बनाने की व्यवस्था हो रही है ?

श्री ब० रा० भगत : यह सवाल दूसरे देशों के लिए नोट आदि छापने के बारे में है । हम अपने यहां के लिए नोट आदि छापने के लिए कितना कागज़ मंगाते हैं, यह एक अलग सवाल है, अगर माननीय सदस्य सूचना देंगे, तो मैं उसका जवाब दूंगा । जहां तक बाहरी देशों के लिए नोट, पोस्टेज स्टैम्प या स्टेशनरी छापने का सवाल है, हमारा जो ख़र्चा लगता है, वह हम ले लेते हैं । जहां तक बाहर का कागज़ मंगाने का सवाल है, वे मंगा कर दें, तो हम छापें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कपूर सिंह** : क्या नासिक का सिक्योरिटी प्रेस हमारी सिक्योरिटी छपाई की सारी आवश्यकतायें पूरी कर सकता है ? यदि नहीं तो हम किन अन्य देशों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : हमारी सिक्योरिटी छपाई के लिये हम किसी अन्य देश से अपना काम नहीं कराते । हम अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका विकास करते रहे हैं ।

श्री सरजू पाण्डेय : मंत्री जी ने अभी बताया कि बाहरी देशों के नोट और डाक-टिकट छापे जाते थे । मैं यह जानना चाहता हूं कि बर्मा के अतिरिक्त और किन किन देशों के नोट और डाक-टिकट छापे जाते थे ।

†**श्री ब० रा० भगत** : बर्मा के पोस्टेज स्टैम्प छपते हैं और नेपाल के करेंसी नोट छपते हैं । सिक्किम और भूटान के भी छपते हैं ।

श्री कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूं कि अन्य देशों के नोट छापना कब से बन्द हुआ और इस समय कितने छपते हैं ।

श्री ब० रा० भगत : नोट तो अब नहीं छपते हैं । पोस्टेज स्टैम्प थोड़े छपते हैं, लेकिन उनके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

श्री कछवाय : नोटों का छपना कब से बन्द हुआ ?

अमरीकी ऋण

+

†*६७५. { **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन परियोजनाओं के लिए अक्तूबर, १९६३ में ३९.६ मिलियन डालर (.८ करोड़ रुपये) के अमरीकी ऋण की व्यवस्था करने वाले तीन करारों पर हस्ताक्षर हुए थे ; और

(ख) यदि हां, तो यह धन किन परियोजनाओं पर व्यय किया जायेगा ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख) ३९५.५ लाख डालर लागत के निम्न तीन परियोजना करार अक्तूबर १९६३ में किये गये थे :

(१) केन्द्रीय रज्जुपथ—"एफ" परियोजना . रेत निकालने तथा भेजने के लिये एक संयंत्र तथा हवाई रज्जुपथ की स्थापना और झरिया कोयला क्षेत्र बिहार में जमा करने के लिये इसका उपयोग करना—७७ लाख डालर

(२) चन्द्रपुर तामील बिजली शक्ति परियोजना चरण २—दामोदर घाटी निगम द्वारा चन्द्रपुर स्टेशन, बिहार पर सहायक सुविधाओं समेत १४० मैगावाट का तापीय बिजली शक्ति एकक की स्थापना—१६० लाख डालर

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) भारतीय रेलों द्वारा अपेक्षित पुर्जों समेत बड़ी लाइन के ५४ डीजल बिजली चालित इंजनों का क्रय तथा कर्मचारियों का प्रशिक्षण—१५८.५ लाख डालर ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : करार की शर्तें क्या हैं और इन करारों के होने के बाद भारत को अमरीकी ऋण कितने मिले हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यह करार अक्तूबर १९६३ में हुये थे । यह ऋण चालीस वर्षों में अमरीकी डालरों में वापस किये जायेंगे और दस वर्ष छूट अवधि (ग्रेस पीरियड) के रूप में मिलेंगे । माननीय सदस्य जानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी एजेन्सी ब्याज नहीं लेती परन्तु ¾ से लेकर एक प्रतिशत वार्षिक ऋण शुल्क लेती है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : प्रश्न के दूसरे भाग का कि कितने ऋण प्राप्त हुये हैं उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : करार केवल अक्तूबर में हुआ है। शायद कुछ मशीनें भी आयात करनी होंगी । उदाहरणार्थ, वैगनों का आयात करना होगा । उनका आयात आदेश देने के बाद ही किया जा सकता है ।

†**श्री त्यागी** : अब तक कितना अमरीकी ऋण प्राप्त हुआ है और हमें प्रतिवर्ष कितना ब्याज देना होगा ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यह प्रश्न इन तीन ऋणों के बारे में है । यदि माननीय सदस्य कुल ऋण के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं बाद में बता दूंगा ।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : क्या किसी अन्य परियोजना के लिये अमरीका से कोई ऋण मांगा गया है यदि हांक तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं फिर कहती हूं यह करार केवल इन तीन परियोजानाओं के बारे में हैं । भविष्य में भी यदि हमें आवश्यकता होगी तो हमें ऋण प्राप्त होने की आशा है । वे भी इनकी शर्तों से सहमत है । सम्बन्धित परियोजनाओं की जानकारी अभी मेरे पास नहीं है ।

किशाउ बांध

†*६७६. **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री ओंकार लाल बरवा :
श्री अब्दुल गनी गौनी :
श्री गोपालदत्त मेंगी :

क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टोंस नदी पर बनने वाले किशाउ बांध का ब्यौरा बना लिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या बांध बनाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकारों के बीच विवाद हल हो गया है ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी नहीं। विस्तृत खोज-बीन तथा परियोजना प्रतिवेदन एवं अनुमान तैयार करने का काम उत्तर सरकार द्वारा आरम्भ किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सम्बद्ध राज्य सरकारों ने लागत में हिस्सा देना और किशाउ बांध का लाभ उठाना स्वीकार कर लिया है।

†श्री दी० चं० शर्मा : इस बांध की परियोजना कब बनाई गई थी और कितने समय से यह विचाराधीन है ?

†डा० कु० ल० राव : मुझे आशा है कि परियोजना जांच कार्य में एक वर्ष लगेगा और लगभग एक वर्ष की अवधि में चौथी योजना में इस परियोजना को शामिल करने का विचार किया जा सकेगा।

†श्री दी० चं० शर्मा : इस बांध से कितनी भूमि की सिंचाई होगी तथा कितनी बिजली तैयार की जा सकेगी ?

†डा० कु० ल० राव : इस परियोजना से लगभग ५० हजार एकड़ भूमि की सिंचाई और लगभग ढाई लाख किलोवाट बिजली मिलने की अपेक्षा की जाती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बाल पक्षाघात निरोधक औषधि

*६६६. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बालगोबिन्द वर्मा :

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बाल पक्षाघात निरोधक औषधि बनाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब से बननी शुरू हो जायेगी और औषधि बनाने का कारखाना कहां बनेगा ; और

(ग) अनुमानतः इस पर कितना धन व्यय होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) अभी तक किसी बाल पक्षाघात निरोधक औषधि का पता नहीं चला है किन्तु प्रतिरक्षण का विकास किया गया है जिससे बाल पक्षाघात से रक्षा हो जाती है। पास्तूर संस्था, कुनूर और हफ्किन संस्था, बम्बई में लाइव पोलियो वैक्सीन के उत्पादन की व्यवस्था की जा रही है। आशा है कि ६ महीनों में ही उत्पादन शुरू हो जाएगा।

(ग) कुनूर में भवन और उपकरणों पर अनुमानतः १४ लाख रुपये खर्च होंगे और हफ्किन संस्था में लगभग १८ लाख रुपये। पोलियो वैक्सीन की एक मात्रा की कीमत लगभग २० नये पैसे होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

शरणार्थियों के लिये ऋण

†*६६९. **श्री फ० गो० सेन :** क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शरणार्थियों पर से ऋण भार को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है क्योंकि वह इसका भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं और चाहते हैं कि घोषणानुसार ऋण का भुगतान आसान किश्तों में ही हो; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) और (ख). जहां तक विस्थापित लोगों से ऋणों को वापिस लेने का सम्बन्ध है नीति यह है कि ऋणों की रकम उन लोगों से ली जाय जो दे सकते हों और यदि पैसा वापिस लेने से उनके फिर निर्धन हो जाने का डर हो तो उनके विरुद्ध अदालती कार्यवाही न की जाय। इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि इन ऋणों का कोई भाग माफ कर दिया जाय और अगर किया जाय तो कितना।

दिल्ली में बिजली का बन्द हो जाना

†*६७०. **श्री अ० व० राघवन :** क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बिजली बन्द हो जाने के अवसरों को कम करने के लिए खम्भों पर तार लगाने के बजाय भूमिगत तार डालने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मामले में कोई निर्णय लिया गया है ; और

(ग) इस परियोजना पर अनुमानतः कितना धन व्यय होगा तथा इसमें विदेशी मुद्रा कितनी होगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) जी हां।

(ख) यह स्वीकार किया जा चुका है कि महत्वपूर्ण विपुल सम्भरण फीडरों तथा अत्यावश्यक विद्युत् भार सम्भरणकर्ता फीडरों को भूमिगत व्यवस्था का रूप दिया जाए।

(ग) प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं।

नदी घाटी परियोजनायें

†*६७२. { **श्री भी० प्र० यादव :**
श्री धवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् बोर्ड की नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी जिसमें नदी घाटी परियोजनाओं की क्रियान्विति में कठिनाइयों को दूर करने के लिए कई सिफारिशें की गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) बोर्ड द्वारा अन्य क्या सिफारिशें की गई थीं; और

(घ) ये किस सीमा तक स्वीकार और क्रियान्वित की गई हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये एल० टी०—२१९०/६३**]

थाईलैंड की एक फर्म के साथ सहयोग करार

†***६७२-क. श्री अजीत गुप्त** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स साहू जैन को अनुमति दी गई है कि वह थाईलैण्ड में पटसन बनाने के कारखानों की स्थापना के लिए प्रविधिक जानकारी बताने के लिए थाईलैण्ड की एक फर्म के साथ सहयोग करार कर ले ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार विदेशों को हमारी अपनी पटसन वस्तुओं के साथ होड़ करने देने के लिये भारतीय सहायता देने को ठीक समझती है ; और

(ग) क्या इस करार को भारतीय पटसन मिल संस्था का पूर्वानुमोदन मिल गया था ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी हां ।

(ख) अपनी विदेशी मुद्रा की सीमाओं को देखते हुये, अन्य विकासोन्मुख देशों को विशेष रूप से हमारे पड़ौसी देशों को, उनके औद्योगिक विकास कार्यक्रम के लिए ऐसी सहायता न देना हमारी सरकार की नीति नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

नजफगढ़ विकास खण्ड, दिल्ली में पानी का भर जाना

*६७३. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के नजफगढ़ विकास खण्ड के गांवों के खेतों में पंजाब के ढासा गांव की ओर से पानी छोड़ दिए जाने के कारण भर गया है;

(ख) क्या इससे फसल को पर्याप्त हानि हुई है ;

(ग) क्या गांव वालों ने इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन और भारत सरकार को अभ्यावेदन दिया है और यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) इसके कारण खेती की कितनी जमीन में पानी भर गया है और कितना नुकसान हुआ है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (घ). दिल्ली क्षेत्र में बाढ़ का नियन्त्रण करने के लिये १९५९ में रेडी सम्मति द्वारा दी गई सलाह के अनुसार नजफगढ़ नाले की क्षमता के बढ़ाने का काम दिल्ली प्रशासन ने आरम्भ कर दिया है। निर्माण कार्य प्रगति पर है और आशा है कि अगली वर्षा ऋतु से पहिले पूरा हो जाएगा। इस नाले को बड़ा करने से पंजाब और दिल्ली दोनों के मर्म क्षेत्रों को जिनमें अभी तक वर्षा ऋतु में तुगियानी आ जाया करती थी, लाभ होगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ीमें

दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि १९६३ में आई बाढ़ ने ४,१५९ एकड़ भमि पर प्रभाव डाला और २,८८५ एकड़ क्षेत्र में खड़ी हुई फसलों को जिनकी कीमत ११,५४,००० रुपये अनुमानित है, नुकसान पहुंचाया ।

दिल्ली प्रदेश में बाढ़ पीड़ित गांवों की ओर से एक आवेदन पत्र मिला है । दिल्ली क्षेत्र और पंजाब के सहवर्ती इलाके की स्थिति की ध्यानपूर्वक निगरानी की जा रही है । कम से कम नुकसान पहुंचे इस बात को ध्यान में रख कर दिल्ली प्रशासन तथा पंजाब सरकार बाढ़ के पानी को निकालने के लिए आवश्यकतानुसार उचित तरीके अपना रहे हैं । इसी अभिप्राय से ढासा बांध से गुजरते हुए पानी के प्रवाह को उस बांध में लगाई गई नालियां के जरिये ध्यानपूर्वक नियमित किया जा रहा है ।

राज्य वित्त मंत्रियों का सम्मेलन

†*६७७. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री गो० महन्ती :
श्री बाल कृष्ण वासनिक :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ७ नवम्बर, १९६३ को हुए राज्य वित्त मन्त्रियों के सम्मेलन में मूल्यों को बढ़ने से रोकने के सम्बन्ध में तथा तीसरी योजना के लिए राज्यों द्वारा अतिरिक्त साधनों को बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिये गये हैं ?

†**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : चूंकि बातचीत संसाधनों का पता लगाने के बारे में थी, इसलिये सम्मेलन से ऐसी अपेक्षा नहीं की गई थी कि उस में कोई अन्तिम निर्णय किये जायेंगे ।

कृषि आय-कर

†*६७८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने राज्यों को सुझाव दिया है कि कृषि आय-कर को केन्द्रीय आय-कर में मिला दें और एकीकृत आय-कर की क्रमबद्ध दरें निर्धारित कर दें;

(ख) यदि हां, तो सुझाव का क्या प्रयोजन है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) से (ग). कृषि संबंधी आय-कर उन विषयों में से एक है, जिन के बारे में नवम्बर, १९६३ में आयोजित वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में विचार विनिमय किया गया था। तथापि कृषि संबंधी आय-कर विधान में सुधारों के बारे में सम्मेलन में कोई निश्चित निर्णय नहीं किये गये ।

कोठागुडम तापीय परियोजना

†१९२५. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स इयूबैंक्स एण्ड पार्टनर आफ यू० के० को आन्ध्र प्रदेश की कोठागुडम तापीय परियोजना के सलाहकार बनाये गये हैं;

(ख) फर्म किस रूप में सहायता देगी; और

(ग) सलाहकारों को कितना धन दिया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) जी हां ।

(ख) सलाहकार इंजीनियरों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सरकारी इंजीनियरों के साथ आन्ध्र प्रदेश के वर्तमान भार पूर्व सूचना की समीक्षा करेंगे, संयंत्र आकार, स्टेशन की किस्म, एकक प्रणाली या अन्य प्रणाली, संबंधी विविध वैकल्पिक प्रस्तावों की आर्थिक जांच करेंगे, प्रचलनकारी जल व्यवस्था और जल सम्भरण, प्रारेषण लाइन योजना की समीक्षा, बिजली घरों के लिये उपयुक्त स्थान ढूंढना, सरकारी इंजीनियरों द्वारा बुआयलर संयंत्र और सहयोगी सामान के लिये तैयार किये गये प्रारूप विशिष्ट ब्यौरों की समीक्षा एवं परिवर्तन करना, टर्बो जैनरेटर और फीड हीटिंग संयंत्र, स्थान का प्लान बनाने, प्राप्त टेंडरों का बोली विश्लेषण करने और सिफारिशें देने, विदेशी तथा देशी मुद्रा को पृथक करते हुए परियोजना की पूर्ण लागत का अनुमान लगाना, सिफारिश किये गये और स्वीकार किये गये संयंत्र तथा उपकरण के आधार आद्यतन इंजीनियरी तरीके के अनुसार बिजलीघरों को पूर्ण डिजाइन बनाना, सभी खाके बनाना, ठेकेदारों के सभी प्रमुख खाकों का प्रमाणीकरण, सभी सिविल, बिजली और मैकेनिकल कामों की अयोजना करना, ताकि निर्माण, निकासी आदि में समन्वय लाया जा सके, जिस से अपेक्षित उत्पादन कार्यक्रम पूरा किया जा सके, निर्माता के कामों का निरीक्षण, सरकारी इंजीनियरों को निर्माण के कामों में भी प्रशिक्षण देना, निर्माण और कार्यारम्भ का अन्वीक्षण संयंत्र तथा इस के सहायक एवं सहयोगी व्यवस्थाओं के कार्यसंचालन के संबंध में व्यापक अनुदेश पुस्तिका तैयार करना ।

(ग) ३३ लाख रुपये ।

आन्ध्र प्रदेश में नर्सिंग कालेज

†१९२६. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश में नर्सिंग कालेज को किसी प्रकार की सहायता दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इण्डो-कर्मशियल बैंक

†१९२७. श्री म० प० स्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक इण्डो-कर्मशियल बैंक (जो अब पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया है) में रुपये जमा करने वालों को कितनी राशि का भगतान किया गया है; और

(ख) क्या बाकी जमा करने वालों को भी पूरा भुगतान किया जायेगा और यदि हां, तो कब तक ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) २५० रुपये का प्रारम्भिक भगतान अथवा खाते में जमा राशि में से जो कम हो, के अतिरिक्त जमा करने वालों को शेष जमा राशि का ६८.६ प्रतिशत राशि का भुगतान किया गया है अथवा यह राशि उनके खाते में जमा की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अग्रेतर भुगतान इण्डो-कमर्शियल बैंक की आस्तियों से प्राप्त राशि पर निर्भर होगा ।

कुत्ते की शल्य-चिकित्सा

†१९२८. श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रा० गि० दुबे :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान रूसी सर्जनों द्वारा मारे गये कुत्तों को सफल शल्य-चिकित्सा से पुनः जीवित करने के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोग से भारत में ई कोउपयोगी परिणाम निकले हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां ।

(ख) हाल में सेठ जी० एस० एम० कालेज तथा के० ई० एम० अस्पताल, बम्बई में एक कुत्ते के हृदय को दूसरे कुत्ते के हृदय में लगाने के लिये किये गये प्रयोग के उत्साहजनक परिणाम रहे हैं । अग्रेतर अनुसन्धान कार्य किया जा रहा है ।

दिल्ली के उपनगर

†१९२९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री १९ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ७६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि फरीदाबाद और गाजियाबाद में दिल्ली की उपनगरियां बसाने के बारे में कुछ समय पूर्व किये गये निर्णय को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ।

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : फरीदाबाद में सड़कों, जल संभरण आदि की व्यवस्था का कार्य किया जा रहा है । कार्यालयों और रहने के लिये मकानों के निर्माण के टैन्डर प्राप्त हो चुके हैं और विचाराधीन हैं ।

गाजियाबाद में हमारी प्रार्थना पर गाजियाबाद विकास ट्रस्ट ने, केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित भूमि के अर्जन के लिये कार्य आरम्भ कर दिया है ।

पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये विदेशी सहायता

†१९३०. श्री यशपाल सिंह :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री रामनाथन् चेट्टियार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा तीनों पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये विभिन्न देशों से ऋण के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितनी राशि लौटाई जा चुकी है; और

(ग) इस राशि पर कुल कितना ब्याज दिया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) ३० सितम्बर, १९६३ तक १३४४.९७ करोड़ रुपये ।

(ख) और (ग). ३० सितम्बर, १९६३ तक क्रमशः १२२.७१ करोड़ रुपये और १४.४१ करोड़ रुपये ।

लाजपतराय मार्केट, दिल्ली

१६३१. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **निर्माण आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाजपतराय मार्केट, दिल्ली का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या रुकावटें उस में आ गई हैं; और

(ग) उन्हें दूर करने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) काम अभी चल रहा है ।

(ख) और (ग). दिल्ली नगर निगम ने, जो इस मार्केट को बनवा रहा है, यह सूचना दी है कि इस स्थान पर अपात्र व्यक्ति अनधिकृत रूप से कब्जा किये बैठे थे । इन अनधिवासियों (स्क्वैटर) में से लगभग ५० प्रतिशत को निगम ने इस क्षेत्र को खाली करने के लिये मना लिया है । एक अनधिवासी ने दीवानी न्यायालय से एक व्यादेश (इंजैक्शन आर्डर) ले लिया है कि निगम को उस का खोखा हटाने से रोका जाये और अब यह मामला न्यायाधीन है । अन्य अनधिवासियों को इस स्थान को खाली करने के लिये मनाया जा रहा है ।

बाल पक्षाघात (पोलियो)

†**१६३२. { श्री भागवत झा आजाद :**
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाल पक्षाघात (पोलियो) रोग के मामलों में वृद्धि हुई है; और

(ख) क्या कुछ दिन पहले रूस तथा कुछ अन्य देशों द्वारा भारत को "पोलिओ वैक्सीन" दिया गया था ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) देश के कुछ भागों में बाल पक्षाघात (पोलियो) रोग के मामलों में वृद्धि है ।

(ख) वर्ष १९६३ में रूस सरकार से भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा २,००,००० पोलियो के टीके उपहार में प्राप्त हुए हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्प बचत

१९३३. { श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री घवन :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री मुरारका :
श्री रवीन्द्र वर्मा : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्प बचत योजना के अन्तर्गत १९६२–६३ और १९६३–६४ में अभी तक कितनी राशि एकत्रित हुई है;

(ख) क्या अल्प बचतों का तीसरी योजना में निर्धारित लक्ष्य पूरा हो जायेगा; और

(ग) देश में अनिवार्य जमा योजना का अल्प-बचतों पर क्या असर हुआ है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) १९६२–६३. . . ७२.९३ करोड़ रुपया।
नवम्बर से अप्रैल, १९६३ तक . . . . ६१.०१ करोड़ रुपया (अस्थायी)।

(ख) अब अनुमान है कि तीसरी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में ६०० करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले लगभग ५०० करोड़ रुपये की वास्तविक रकम इकट्ठी हो जायेगी।

(ग) छोटी बचतों के आन्दोलन पर अनिवार्य जमा योजना के जारी किये जाने का कोई बुरा असर नहीं पड़ा, क्योंकि चालू वित्तीय वर्ष के पहले आठ महीनों में इकट्ठी हुई रकम पिछले वर्ष की इसी अवधि में इकट्ठी हुई रकम के दुगने से भी ज्यादा है। इस के अलावा, आय-कर देने वालों से सम्बन्ध रखने वाली अनिवार्य जमा योजना को छोड़ और सभी अनिवार्य जमा योजनायें अब वापस ले ली गयी हैं। आय-कर देने वालों के लिये जो योजना बनायी गई है उस के अनुसार, आय-कर देने वाले अतिरिक्त अधिभार में कमी की मांग कर सकते हैं। ऐसा न होने पर अधिभार की यह रकम उन्हें अदा करनी पड़ती इसलिये अनुमान है कि अपनी इच्छा से की जाने वाली बचतों पर इस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राजस्थान में मेडिकल कालेज

†१९३४. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों में राजस्थान सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में राजस्थान में मैडिकल कालेज खोलने के विषय में कोई प्रस्ताव अथवा योजना पेश की है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और संघ सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) राजस्थान सरकार से राजस्थान में मैडिकल कालेज खोलने के बारे में कोई औपचारिक प्रस्ताव अथवा योजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें

†१९३५. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की वास्तविक चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताओं और वहां चिकित्सालयों की दशा का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) जी, नहीं । अभी हाल में स्वास्थ्य सर्वेक्षण विभाग तथा योजना समिति (मुदलियार समिति) द्वारा व्यापक सर्वेक्षण किया गया था और समिति द्वारा वर्ष १९६१ में विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें वर्तमान स्थिति भविष्य में देश में चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रवण यंत्रों पर सीमा-शुल्क

†१९३६. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री महेश्वर नायक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमा-शुल्क विभाग द्वारा श्रवण यंत्रों तथा इनके पुर्जों पर कितना प्रतिशत सीमा-शुल्क लिया जाता है ।

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : श्रवण यंत्र और सम्बन्धित उपकरणों पर लागू सीमा शुल्क की संविहित दर, भारत में आयात होने पर ६० प्रतिशत यथामूल्य (स्टैन्डर्ड) और ५० प्रतिशत यथामूल्य (वरीयता युक्त) है । शुल्क का १० प्रतिशत अधिकर इसके अतिरिक्त है किन्तु, एक अधिसूचना द्वारा संविहित दर में १० प्रतिशत यथामूल्य (स्टैन्डर्ड) कम कर दी गई है किन्तु इसमें शुल्क के १० प्रतिशत की दर से अधिकर जोड़ा गया है ; वरीयतायुक्त में कटौती नहीं की गई है । श्रवण यंत्रों के अतिरिक्त अन्य कार्यों में प्रयुक्त किये जाने वाले उपकरणों में शुल्क की कटौती की दरें लागू नहीं होती हैं और विभिन्न वस्तुओं पर पृथक पृथक दरों से शुल्क निर्धारित किया जाता है ।

सीमा शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क विभागों में पुरस्कार

†१९३७. **श्री द० ब० राजू** : हैदराबाद कलेक्टोरेट में वर्ष १९५१ से सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभागों में पुरस्कार के ऐसे मामलों की संख्या क्या है जिनको अभी स्वीकृति देनी है तथा जिनका अभी वितरण किया जाना है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है:

अनिर्णित पुरस्कार के मामलों की संख्या†:—

	वर्ष १९५१	आगे के वर्ष	कुल
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग .	४	१०५	१०९
सीमा-शुल्क विभाग . .	—	२१	२१
कुल .	४	१२६	१३०

स्वर्णकारों को लाइसेंस

†१९३८. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री हेम राज :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वर्णकारों को लाइसेंस देने के लिये क्या प्रणाली है;

(ख) संघ राज्य-क्षेत्रों और अन्य राज्यों में ऐसे स्वर्णकारों की संख्या क्या है जिन्होंने लाइसेंस के लिये आवेदन किया है।

(ग) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में कितने स्वर्णकारों को लाइसेंस दिये गये हैं; और

(घ) क्या ये लाइसेंस केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये हैं अथवा राज्य सरकारों द्वारा?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) लाइसेंस देने की प्रणाली भारतीय सुरक्षा नियमों के नियम १२६ज में दी गई है ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) अभी तक कोई लाइसेंस नहीं दिये गये हैं ।

(घ) लाइसेंस प्रशासक की ओर से राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों के अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा दिये जायेंगे ।

दिल्ली में बिक्रीकर

१९३९. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा बिक्री कर की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए कोई परामर्शदातृ समिति नियुक्त की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उस समिति का गठन कब तक होगा?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) दिल्ली के संघीय राज्यक्षेत्र में बिक्रीकर के प्रशासन से सम्बन्ध रखने वाले मामलों में दिल्ली के चीफ कमिश्नर को सलाह देने के लिए ६ नवम्बर, १९६३ को एक बिक्रीकर सलाहकार समिति बनायी गयी है जिसमें ये लोग हैं:

(१) डाक्टर युद्धवीर सिंह . . . . अध्यक्ष

(२) दिल्ली के विभिन्न वाणिज्य-मण्डलों/व्यापार-संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात सदस्य ।

(३) दिल्ली का बिक्री-कर कमिश्नर . . . सदस्य सचिव

नई दिल्ली में महरौली के निकट अस्पताल

†१९४०. **श्री बसुमतारी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में मेहरौली के निकट फतेहपुर बेरी में स्थित अस्पताल में रोगियों को पीने का पानी नहीं मिलता है; और

(ख) इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

†१९४१. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में वर्ष १९६३-६४ में प्रस्तावित खोले जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या क्या है;

(ख) इस कार्य के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल के प्रथम और द्वितीय वर्ष में अब तक उत्तर प्रदेश में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा चुके हैं?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) ९८ ।

(ख) २,३४,००० रुपये (९५,००० रुपये आवर्ती और १,३९,००० रुपये अनावर्ती)

(ग) ३१ (तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल के प्रथम वर्ष में २४ और द्वितीय वर्ष में ७)।

आयकर अधिकारियों के लिये आवास व्यवस्था

†१९४२. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में अब तक कितने आय कर अधिकारियों को विभागीय आवास स्थान नहीं दिया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या वर्ष १९६३–६४ और १९६४–६५ में उत्तर प्रदेश में इन अधिकारियों के रहने के लिये क्वार्टर बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) ९१।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विद्युत संयंत्र

†१९४३. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १,००,००० किलोवाट विद्युत शक्ति रक्षित रखने की योजना के अनुसरण में अमेरिका तथा अन्य देशों से कुछ विद्युत संयंत्र मंगाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक देश से कितने तथा किन शर्तों पर मंगाये गये हैं?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) जी, हां । अमेरिका से ।

(ख) अमरीकी एक्जिम ऋण के अन्तर्गत १,१७,२४,००० रुपये (२४,६२,००० डालर) के मूल्य के प्रत्येक १२.५ मेगावाट के २ गैस टर्बाइन सेट एफ० ए० एस० अमरीकी पत्तन पर लिये गये हैं ।

आन्ध्र प्रदेश में ताप विद्युत संयंत्र

†१९४४. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार से गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्र की परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव)**: (क) और (ख) जी, नहीं । यद्यपि एक गैर-सरकारी पक्ष की द्वारा रामागुंडम विद्युत स्टेशन में २०० मेगावाट का विस्तार करने का प्रस्ताव है, जो विद्युत घर के पूरा होने पर सरकार को सौंप देगी ।

वाराणसी में विदेशी सोन का पकड़ा जाना

१९४५. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ अक्टूबर, १९६३ को वाराणसी में दो व्यक्तियों को ४०० तोला विदेशी सोने के साथ गिरफ्तार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) १४ अक्टूबर १९६३ को वाराणसी में दो व्यक्तियों को ४०० तोले सोना, जिस पर विदेशी ठप्पे के निशान थे, ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मामले की जांच की जा रही है। गिरफ्तार किये गये आदमी मजिस्ट्रेट की हिरासत में हैं।

आन्ध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनायें

†१९४६. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार, आंध्र प्रदेश में विद्युत् शक्ति के लिये निर्धारित राशि में ९ करोड़ रुपये की वृद्धि करने के लिये सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, वृद्धि की गई राशि किन परियोजनाओं पर व्यय की जायेगी ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने परियोजनाओं तथा पुनरीक्षित प्राक्कलनों को स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) जी, नहीं। केन्द्र सरकार आन्ध्र प्रदेश में विद्युत् शक्ति के लिये निर्धारित राशि में केवल १३.८७ करोड़ रुपये की वृद्धि करने के लिये सहमत हुई है।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २१९१/६३**]

लाहौल घाटी में बिजली घर

†१९४७. **श्री हेम राज** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने लाहौल जिले की लाहौल घाटी में सिसु शेन्स नुल्लास और पंजाब में स्पिति में दो और बिजलीघर स्थापित करने के लिये केन्द्र सरकार से प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है।

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) जी, हां।

(ख) इन परियोजनाओं सम्बन्धी रिपोर्ट जून १९६२ में प्राप्त हुई थी।

(ग) पंजाब सरकार की सलाह से इस पर विचार किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश को सहायता

१९४८. **श्री कछवाय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश को केन्द्र द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना के चतुर्थ वर्ष के लिये कितना धन सहायता के रूप में दिया जायेगा और वह किन मदों के लिए है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मध्य प्रदेश सरकार को यह बता दिया गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष अर्थात् १९६४-६५ में उन्हें उनके

---

†मूल अंग्रेजी में

योजना कार्यों के लिए ३९.३ करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जायेगी । इस केन्द्रीय सहायता का वितरण विकास की सात मुख्य मदों पर होना है अर्थात् १. कृषि सम्बन्धी कार्य-क्रम २. सामुदायिक विकास और सहकारिता ३. सिंचाई और बिजली ४. उद्योग और खान ५. परिवहन तथा संचार ६. सामाजिक सेवायें और ७. विविध । विकास की मदों पर दी गई इस सहायता के वितरण के बारे में केवल तभी मालूम होगा जबकि इन योजना कार्यों के ब्योरों को अन्तिम रूप दे दिया जायगा ।

दंडकारण्य परियोजना पर व्यय

†१९४९. **श्री गो० महन्ती** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में दण्डकारण्य परियोजना को चलाने पर कितना व्यय किया गया है ; और

(ख) आंशिक रूप से अथवा पूरी तरह से किये गये कामों के कुल व्यय की तुलना में प्रशासन पर कितने प्रतिशत व्यय हुआ है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख) वर्ष १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में पूर्णतः प्रशासनिक कार्यों पर लगे कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों का खर्च ७५ लाख रुपये था । सेविवर्ग को छोड़ कर विभिन्न योजनाओं के व्यय का यह लगभग ९ प्रतिशत बैठता है ।

इसके अतिरिक्त, मशीनों तथा मोटर गाड़ियों में लगे कर्मचारियों, इंजीनियरिंग कर्मचारी-वृन्द, चिकित्सा कर्मचारीवृन्द, अध्यापकों तथा विभिन्न योजनाओं के निष्पादन में प्रत्यक्षतः लगे विविध कर्मचारीवृन्द पर १४० लाख रुपये खर्च हुए थे ।

सरकारी आदाता द्वारा एक कार का खरीदा जाना

१९५०. { **श्री राम सेवक यादव :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी आदाता (रिसीवर) श्री एस० पी० चोपड़ा ने १९६२ में अमरीका से एक डौज कार संख्या बी० एल० एफ० ९३३० खरीदी थी और उसका मूल्य विदेशी मुद्रा में दिया था ;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा में किया गया उपरोक्त भुगतान ऋण पर धन लेकर किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या रिजर्व बैंक ने कार खरीदने के लिये विदेशी मुद्रा ऋण लेने की अनुमति दी थी ; और

(घ) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन एक्ट के अन्तर्गत इस मामले में कोई जांच की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) और (ख). मालूम हुआ है कि मेसर्स एस० पी० चोपड़ा एण्ड कम्पनी के श्री एस० पी० चोपड़ा ने १९६२ में अमेरिका से एक डौज कार मंगायी थी और वह कार एक विदेशी फर्म ने, जिसका प्रतिनिधित्व भारत में मेसर्स एस० पी० चोपड़ा एण्ड कम्पनी करती है, उपहार के रूप में दी थी।

(ग) और (घ). यह सवाल उठता ही नहीं होता।

राजस्थान नहर के लिये अर्जित भूमि

†१९५१. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में राजस्थान नहर परियोजना द्वारा जिन लोगों की भूमि अर्जित की गई है उन्हें उसके बदले में भूमि देने के काम में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सभी को वैकल्पिक भूमि दी जायेगी या कुछ लोगों को उसके बदले प्रतिकर दिये जाने की संभावना है ; और

(ग) इस काम के कब तक पूरा होने की आशा है ;

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)**: (क) और (ख). राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण के लिये पंजाब में जिन लोगों की भूमि ली गई है उन्हें नकदी में प्रतिकर दिया जा चुका है। इस तरह के अधिकतर लोगों को उस बसाऊ नीति के अनुसार, जो भारत सरकार द्वारा पंजाब तथा राजस्थान सरकारों के साथ परामर्श करके तय की जायेगी, राजस्थान राज्य में राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि दे कर फिर से बसाया जायेगा। नीति तय करने के लिये आवश्यक कार्यवाही हो रही है।

(ग) जिन लोगों की भूमि ली गई है उनके पुनर्वास में कुछ और समय लगने की संभावना है।

दामोदर घाटी निगम

†१९५२. **श्री बीनेन भट्टाचार्य**: क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम से पानी के असमय निकास के कारण पश्चिम बंगाल में बहुत सी भूमि जलमग्न हो गई है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने यह मामला केन्द्रीय सरकार को भेजा था ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)**: (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचना दी है कि दामोदर घाटी निगम के मैथन तथा पंचेट बांधों के १,२०,००० क्यूजिक पानी की निकासी के कारण अक्तूबर, १९६३ के प्रथम सप्ताह में पश्चिम बंगाल में लगभग १६·१५ वर्ग मील का क्षेत्र जलमग्न हो गया था।

(ग) दामोदर घाटी निगम से वास्तविक स्थिति सुनिश्चित करने के बाद सरकार ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा सकी जांच करवाई है। सरकार को सन्तोष है कि संगत अवधि में जलाशय का काम दामोदर घाटी निगम द्वारा बुद्धिमत्ता से तथा सोच-समझ कर किया गया था।

---

†मूल अंग्रजी में

पश्चिम बंगाल सरकार को सी के अनुसार सूचित कर दिया गया है और सलाह दी गई है कि निचली दामोदर घाटी में जल-निस्सारण की अवस्था में सुधार के लिये तत्काल उपाय किये जायें क्योंकि विगत काल में भी भूमि के इस प्रकार जलमग्न हो जाने में इसका काफी हाथ है।

मोटवाने प्राइवेट लि०, बम्बई

†१९५३. **श्री द्वारका दास मंत्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटवाने प्राइवेट लि०, बम्बई के विरुद्ध न्याय-निर्णयन कार्यवाही पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निदेशकों के विरुद्ध कोई मुकदमा चलाया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी नहीं। १६ दिसम्बर, १९६३ तक न्याय-निर्णयन कार्यवाही पूरी नहीं हुई थी।

(ख) अभी तक कोई मुकदमा नहीं चलाया गया है।

राजस्थान तथा पंजाब के बीच पानी तथा बिजली का बांटा जाना

†१९५४. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपसी समझौतों तथा वचनों के अनुसार पानी और बिजली बांटने के बारे में राजस्थान तथा पंजाब राज्यों में भारी मतभेद है, और

(ख) यदि हां, तो इन मतभेदों का स्वरूप तथा सीमा क्या है तथा दोनों राज्यों के बीच निर्विवाद सम्बन्धों के लिये भारत सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) और (ख). पंजाब, राजस्थान, जम्मू तथा काश्मीर और भूतपूर्व पेप्सू राज्यों के बीच विभाजन-पूर्व वास्तविक इस्तेमाल के अतिरिक्त रखी तथा व्यास नदियों के फालतू पानी के आवंटन के लिये जनवरी, १९५५ में एक अन्तर्राज्यीय समझौता हुआ था। पंजाब तथा राजस्थान के बीच जो मुख्य मतभेद उत्पन्न हो गये हैं वे निम्नलिखित बातों के बारे में हैं :—

(१) रावी तथा व्यास नदियों के जल को बांटना;

(२) हरिके के जलसंचय को बांटना;

(३) अन्तरिम तथा स्थायी व्यवस्था से सरहिन्द सहायक नदी द्वारा जल संभरण;

(४) व्यास परियोजना की लागत तथा लाभों को बांटना।

मद संख्या (४) के सम्बन्ध में व्यास नियंत्रण बोर्ड ने १३-१२-१९६३ को हुई अपनी बैठक में व्यास परियोजना की लागत तथा लाभों को निम्नलिखित तदर्थ अनुपात में बांटने का फैसला किया था :

	पंजाब	राजस्थान
यूनिट १ . .	८५ प्रतिशत	१५ प्रतिशत
यूनिट २	३२ प्रतिशत	६८ प्रतिशत

†मूल अंग्रेजी में

उपरोक्त मद (३) के बारे में केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् मंत्री तथा राज्यों के सिंचाई और विद्युत् मंत्रियों में बातचीत हुई थी और जो समझौता हुआ था उसका प्रारूप दोनों राज्य सरकारों के विचाराधीन है ।

उपरोक्त मद संख्या (१) तथा (२) के बारे में दोनों राज्य सरकारों में आपसी बातचीत द्वारा फैसला किया जा रहा है ।

बम्बई की बिजली कम्पनियों की तलाशी

†१९५५. **श्री दाजी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिज़र्व बैंक के प्रवर्तन निदेशालय ने अप्रैल, १९६१ में बम्बई की कतिपय बिजली कम्पनियों पर छापा मारा और तलाशी ली;

(ख) किस अभिकथित अपराध पर ये छापे मारे गये थे; और

(ग) उनका क्या परिणाम निकला ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) से (ग). अप्रैल १९६१ में वित्त मंत्रालय के प्रवर्तन निदेशालय के कुछ अधिकारियों द्वारा बम्बई में बिजली के सामान का व्यापार करने वाली कतिपय कम्पनियों की तलाशी ली गई थी । प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उक्त कम्पनियों के विरुद्ध न्याय-निर्णयन कार्यवाही आरम्भ की गई थी । १६ दिसम्बर, १९६३ तक यह कार्यवाही पूरी नहीं हुई थी ।

सेलेनियम मैटल पाउडर पर सीमा शुल्क

१९५६. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री किशन पटनायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस प्रणाली लागू होने से पूर्व सेलेनियम मैटल पाउडर और कोबाल्ट आक्साइड के प्रतिष्ठित आयातकारों से प्रतिवर्ष सरकार द्वारा कितना सीमा शुल्क वसूल किया जाता था; और

(ख) वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस प्रणाली के लागू होने के बाद सेलेनियम मैटल पाउडर और कोबाल्ट आक्साइड पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि के सीमा शुल्क लगाये जाते हैं और वसूल किये जाते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). जिन दो चीज़ों का ज़िक्र किया गया है उनके बारे में अलग-अलग राजस्व सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी, विदेशों से मंगाये गये माल की (चाहे वह प्रतिष्ठित आयातकों द्वारा मंगाया गया हो या दूसरों द्वारा) कीमत के आधार पर (क) अप्रैल, १९६३ से पहले के तीन वर्षों और (ख) अप्रैल, १९६३ से अगस्त, १९६३ तक के पांच महीनों में संग्रह हुए शुल्क के लगभग आंकड़े नीचे दिये

†मूल अंग्रेजी में

गये हैं :— (हजार रुपयों में)

	१९६०–६१	१९६१–६२	१९६२–६३	१९६३–६४ (अगस्त १९६३ तक)
१. सेलेनियम और उसके कम्पाउण्ड .	१५६	१०९	१५०	५८
२. कोबाल्ट आक्साइड .	११८	१८६	१५०	६३

स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी हिन्दी पत्रिका

†१९५७. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी एक हिन्दी पत्रिका प्रकाशित करता है;

(ख) यदि हां, तो अब तक उसके कितने संस्करण निकल चुके हैं; और

(ग) इस काम के लिये कितने व्यक्ति लगाये गये हैं और प्रति वर्ष इस काम पर कितना धन व्यय होता है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (ग). स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी हिन्दी पत्रिका के प्रकाशन का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

चार्टर्ड एकाउन्टेंट एप्रेन्टिस

†१९५८. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चार्टर्ड एकाउंटेंट कौंसिल द्वारा जारी किये गये विनियम २२(३) के सम्बन्ध में राज्य सनद प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंट एप्रेन्टिसों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी हां । राज्य सनद प्राप्त लेखापाल प्रशिक्षुओं की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स विनियमों के विनियम २२(३) में परिवर्तन करने की प्रार्थना की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ यह उपबंध है कि राज्य सनद प्राप्त लेखापाल की अन्तिम परीक्षा के अभ्यर्थी के मामले में, जिसने दो निर्धारित विषय वर्गों में से केवल एक पास की है, उसको उस वर्ग में बैठे बिना, जिसको उसने पास कर लिया है, दूसरे वर्ग में पास होने के लिए छः अवसर दिये जायेंगे ।

(ख) अभ्यावेदन पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने अनुभव किया है कि विनियम में कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं है । अतः अभ्यावेदन पर कोई अग्रेतर कार्रवाई करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

†मूल अंग्रेजी में

ब्रिटेन से सहायता

†१९५९. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग सचिव श्री राबर्ट कार ने, जो इस देश में आये हुए हैं, हमारी विकास परियोजनाओं के लिये अग्रेतर सहायता देने के लिये केन्द्रीय मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के साथ परामर्श किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन परियोजनाओं के लिये इस सहायता का उपयोग किया जायेगा; और

(ग) क्या कोई नवीन परियोजनाएं स्थापित करने के प्रश्न पर भी चर्चा की गई थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग सचिव श्री राबर्ट कार, अपनी पहली यात्रा पर भारत आये और नई दिल्ली में ठरहने पर, उन्होंने वित्त मंत्री तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रियों एवं सरकारी अधिकारियों के साथ सामान्य चर्चाएं कीं। वह ब्रिटेन की सहायता के साथ कार्यान्वित की जा रही कुछ परियोजनाओं को देखने भी गये। तथापि उन्होंने हमारी किसी विकास परियोजना को, सामान्यत: अथवा विशिष्टत:, कोई अधिक सहायता देने के लिये, किसी प्रस्ताव पर बातचीत नहीं की ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

चीनी दूतावास को आवंटित प्लाट

†१९६०. **श्री ह० च० सोय** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में चाणक्यपुरी में चीन के राजदूतावास को एक बहुत बड़ा प्लाट आवंटित किया गया है; और

(ख) राजधानी में विदेशी दूतावासों को बड़े आकार के ऐसे स्थान आवंटित करने की कसौटी क्या है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: (क) और (ख). चाणक्य-पुरी, नई दिल्ली में ३०.५९६ एकड़ का एक प्लाट जनवरी, १९५५ में चीनी दूतावास को आवंटित किया गया था। उस समय किसी मिशन को आवंटित किये जाने वाले स्थान की कोई उपरि सीमा निर्धारित नहीं थी, और आवंटन मिशनों की प्रार्थनाओं पर कर दिया जाता था ।

भारत-पाक बैंक करार समझौता

१९६१. **श्री कछवाय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाकिस्तान बैंक करार के अन्तर्गत कितने लोगों को अब तक पाकिस्तानी बैंकों में छोड़े हुए रुपये-पैसे का भुगतान मिला है;

(ख) यह कुल कितना रुपया है; और

(ग) भारत के बैंको में छोड़े गये रुपये के भुगतान कितने पाक-नागरिकों को किये जा चुके हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) पश्चिम पंजाब और बहावलपुर से आये हुए व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के १०२६ खाते ३० नवम्बर, १९६१ को पाकिस्तान से भारत भेजे गये थे और जिन बैंकों से इन खातों का सम्बन्ध है उनसे अदायगियां करने के लिए कह दिया गया है।

(ख) ५.१७ लाख रुपया ।

(ग) भारत छोड़ कर गये हुए व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के १८३३ खाते ३० नवम्बर, १९६१ को पंजाब (भारत) से (जिसमें वे इलाके भी आते हैं जो पहले पेप्सू में शामिल थे) पाकिस्तान भेजे गये थे । इन खातों में ११.६६ लाख रुपया था ।

एस० एम० अब्दुल्ला बिल्डिंग, दिल्ली

१९६२. श्री कछवाय : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोशनारा रोड, दिल्ली पर स्थित एस० एम० अब्दुल्ला बिल्डिंग कस्टोडियन द्वारा किन्हीं शरणार्थियों को बेच दी गई है;

(ख) क्या उक्त इमारत का मूल्य एक लाख रुपये से अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो स इमारत को नीलाम द्वारा न बेचने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) हां, बारह शरणार्थियों को ।

(ख) नहीं, सक्षम अधिकारी द्वारा नियत की गई कीमत ६०,००० रुपये है ।

(ग) यह जायदाद उसमें रह रहे विस्थापित अलाटियों को सम्बन्धित पक्षों में हुए एक समझौते के अनुसार हस्तान्तरित की गई थी ।

होम्योपैथी की डिस्पैंसरियां

†**१९६३. श्री रणं जयसिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत दिल्ली/नई दिल्ली में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लाभार्थ होम्यो पैथी की डिस्पैंसरियां खोलने के प्रस्ताव की आधुनिकतम स्थिति क्या है ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत बनने वाले विविध पदों पर होम्योपैथी के अनुभवी डाक्टर नियुक्त करने के लिये क्या पग उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) निर्धारित तथा निर्धारित की जाने वाली योग्यताओं का ब्योरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (ग). ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर-सरकारी संस्थाओं को बंगले देना

१९६४. **श्री कछवाय** : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी मकान गैर-सरकारी संस्थाओं व अन्य व्यक्तियों को नहीं दिए जाते ; और

(ख) यदि हां, तो जंतर मंतर रोड का बंगला नं० ९ विश्वायतन योगाश्रम को क्यों दे रखा है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी नहीं । सरकारी बंगले कभी कभी गैर सरकारी संस्थाओं तथा अन्य व्यक्तियों को प्रत्येक मामले के औचित्य के आधार पर दिये जाते हैं ।

(ख) विश्वायतन योगाआश्रम को जंतर मंतर रोड, नई दिल्ली का बंगला नं० १ दिया गया था, न कि जंतर मंतर रोड का बंगला नं० ९, जैसा कि माननीय सदस्य ने जिक्र किया है । योगाश्रम को यह बंगला इस आधार पर दिया गया था कि यह संस्था नई दिल्ली की जनता को एक सुविधा प्रदान कर रही है ।

विदेशों में फिल्मों की शूटिंग

†१९६५. **श्री ब्रजराज सिंह** (कोटा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि हाल ही में कुछ भारतीय फिल्म कम्पनियां स्थल शूटिंग के लिये यूरोप तथा दूसरे देशों में गईं ; और

(ख) यदि हां, तो उनको कितनी विदेशी मुद्रा की मंजूरी दी गई ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी हां । यूरोप तथा अन्य देशों में स्थल शूटिंग के लिये भारतीय फिल्म कम्पनियों के तीन प्रस्तावों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा गत दो वर्षों में दी गई है ।

(ख) उनको इस प्रकार विदेशी मुद्रा दी गई है :—

(१) मैसर्स आर० के० फिल्मज लिमिटेड—३.३ लाख रुपये ।

(२) मैसर्स आल इंडिया पिक्चर्स लिमिटेड—१.५ लाख रुपये ।

(३) मैसर्स फिल्मालय लिमिटेड—शून्य

(विदेशों में स्थल शूटिंग का व्यय विदेशी सहयोगियों द्वारा वहन किया जाता है)

नागपुर निगम को भुगतान

†१९६६. **श्री बाल कृष्ण वासनिक** : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को नागपुर निगम को, जल शुल्क, सफाई शुल्क और सम्पत्ति कर आदि कर देने पड़ते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि देनी पड़ती है ; और

(ग) क्या राशि बकाया जमा हो गई है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) से (ग). (१) **जल शुल्क** और **सफाई शुल्क** का पुनर्निगम द्वारा १ अप्रैल, १९५८ से ३० सितम्बर, १९६३ की अवधि के लिये मांगी गई २,७६,००० रुपये की राशि में से २,२५,००० रुपये की राशि निगम को दी जा चुकी है। निगम को यह राशि देनी बकाया है :——

जल शुल्क	४८,९५३.४७ रुपये
सफाई शुल्क	३००,१.०० रुपये
योग . .	५१,९५४.४७ रुपये

लगभग ५२,००० रुपये की राशि के इन बिलों के सम्बन्ध में, लगभग ४२,००० रुपये के बिल, जो प्राप्त हो चुके हैं, उनकी जांच की जा रही है और शेष राशि के बिलों की प्रतियां अभी निगम से प्राप्त नहीं हुईं। बिलों के आने और जांचे जाने के पश्चात् राशि दे दी जायगी।

(२) **सम्पत्ति शुल्क** : निगम ने १ अप्रैल, १९५८ में ३१ मार्च १९६३ तक की अवधि के लिये सम्पत्ति शुल्क के रूप में ९८,६८२ रुपये मांगे हैं। इस दावे के सम्बन्ध में नियत ब्यौरा अभी निगम और राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ।

नागापट्टिनम पर यात्रियों की जांच

†१९६७. **श्री थेनगौंडर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में खंजाबूर जिले के नागापट्टिनम पत्तन पर सीमाशुल्क पदाधिकारियों द्वारा सिंगापुर से आये यात्रियों की जांच करने में अनावश्यक विलम्ब होता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सीमा शुल्क कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने के लिये कोई पग उठाए गए हैं ताकि यात्रियों की जांच जल्दी की जा सके ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) कभी कभी नागापट्टिनम में समुद्र सीमा शुल्क पदाधिकारियों द्वारा सिंगापुर से आये यात्रियों की जांच करने में बिलम्ब हो जाता है, मुख्यतः इसलिये कि अधिकांश यात्री अनपढ़ होते हैं और वे प्रायः निजी सामान के रूप में अपने साथ साधारणतः बहुत सी किस्मों का उपभोक्ता माल लाते हैं।

(ख) स्थानीय कर्मचारियों की संख्या यात्री जहाजों के आगमन वाले दिनों में समुचित वृद्धि कर दी जाती है। स्थिति को सुधारने के लिये अग्रेतर पग उठाये जा रहे हैं, जो खुले तथा आधुनिक ढंग के सामान शैड की व्यवस्था होने पर निर्भर करते हैं।

व्यायामशालायें

१९६८. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में जंतर मंतर के निकट रोगों को मिटाने के लिये व्यायामशाला खोली गई है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कहां कहां पर ऐसी व्यायामशालायें खोली गई हैं और उनको सरकार द्वारा क्या सहायता दी जाती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

सोने के तस्कर व्यापारियों की गिरफ्तारी

१९६९. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्रीमती शशांक मंजरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ललितपुर, झांसी में ३ सोने के तस्कर व्यापारी ३० नवम्बर, ६३ को पकड़े गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस दल में कितने व्यक्ति थे ;

(ग) इनके पास से कितने रुपये का सोना पकड़ा गया ; और

(घ) यह सोना कहां से लाया गया था ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) २५ नवम्बर, १९६३ को ललितपुर में तीन आदमियों को चोरी-छिपे सोना लाने के अभियोग में गिरफ्तार किया गया।

(ख) तीन ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय दर से १३,१२५ रुपये का ।

(घ) जो सोना बरामद हुआ है उस पर विदेशी ठप्पे के निशान हैं लेकिन यह बताना सम्भव नहीं है कि वह सोना कहां से लाया गया था।

केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य सेवा के कार्ड

†१९७०. **श्री कपूर सिंह :**
श्री य० न० सिंह :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री प० ह० भोल :
श्री सोलंकी :
डा० न० न० सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सी० बी० एच० एस० कार्ड नवीन सरकारी कर्मचारियों को जारी करने के लिये, परिवार के सभी सदस्यों के बारे में प्राधिकृत डाक्टर से एक प्रामाणपत्र देना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो नया तरीका अपनाने के क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** (क) और (ख). यह देखा गया है कि बहुत से सरकारी कर्मचारियों को, जिनका परीक्षण किया गया, कोई न कोई बीमारी या खराबी थी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

उनको उस का पता नहीं था। अतः यह फैसला किया गया है कि योजना में सम्मिलित होने वाले नए लोगों तथा परिवार के अन्य लोगों की डाक्टरी जांच, उनको इस योजना में शामिल करने से पूर्व की जानी चाहिये। उस परीक्षण के निष्कर्ष उ को योजना में शामिल करने में बाधक नहीं होते। ऐसा ख्याल किया जाता है कि यह सरकारी कर्मचारियों और उ के परिवारों के हित में है। इसके अतिरिक्त, डाक्टरी जांच का परिणाम प्राप्त होने तक, उनको कठिनाई न हो, इस लिये अस्थायी कार्ड जारी कर दिया जाता है।

भारत तथा पश्चिम जर्मनी के बीच विनियोजन प्रत्याभूति करार

†१९७१. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पश्चिम जर्मनी के बीच विनियोजन प्रत्याभूति करार होने की गुंजाइश पश्चिम जर्मनी के आर्थिक सहयोग मंत्री के दिल्ली में हाल में आने पर हुई बातचीत के फलस्वरूप बढ़ गई है ;

(ख) क्या मंत्री ने असहमति के मामलों को मध्यस्थता समिति को सौंपने का उपबन्ध करने के द्वारा समझौता सुझाव पेश किया है ;

(ग) यह समिति किस प्रकार बनाई जाएगी और उसका क्षेत्र तथा कार्य क्या होंगे ; और

(घ) भारत सरकार की पश्चिम जर्मनी के मंत्री के प्रस्ताव के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) भारत और पश्चिम जर्मनी के बीच विनियोजन प्रत्याभूति करार का प्रश्न कुछ समय से विचाराधीन है और हाल ही में पश्चिमी जर्मनी के आर्थिक सहयोग मंत्री की हाल की दिल्ली यात्रा में चर्चा भी की गई थी। बातचीत के अन्तर्गत कुछ बातों में प्रगति हुई है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर दोनों देशों के बीच अग्रेतर बातचीत तथा पत्र व्यवहार की आवश्यकता है।

(ख) से (घ). मध्यस्थता संबंधी बात उन्हीं बातों में शामिल है।

व्यास नियंत्रण बोर्ड

†१९७२. **श्री हेम राज** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यास नियंत्रण बोर्ड और भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड की बैठक दिसम्बर, १९६३ के पहले सप्ताह में तालवाड़ा में हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो किन प्रमुख विषयों की चर्चा की गई और पृथक् २ क्या निष्कर्ष निकले ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) जी हां। भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड की बैठक २-१२-६३ को तथा व्यास नियंत्रण बोर्ड की बैठक ३-१२-६३ को तालवाड़ा में हुई।

(ख) इन बैठकों में चर्चित विषयों और निष्कर्षों का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २१९२/६३]।

---

†मूल अंग्रेजी में।

शाहजहां रोड (नई दिल्ली) पर क्वार्टर

†१९७३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शाहजहां रोड (नई दिल्ली) पर संघ लोक सेवा आयोग की इमारत के सामने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के क्वार्टर बनाने में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के कुल कितने क्वार्टर बनाये गये हैं या वहां बनाये जायेंगे ; और

(ग) क्या केवल 'अफसर' टाइप के क्वार्टर ही उस स्थान पर बनाये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये शाहजहां रोड पर ये मकान बनाये जा रहे हैं :

टाइप ५ (१३०० रुपये से कम, किन्तु ७०० रुपये से कम नहीं) .	४४
टाइप ६ (२२५० रुपये से कम, किन्तु १३०० रुपये से कम नहीं) .	३२
टाइप ७ (२२५० रुपये और अधिक) . . .	२६

टाइप ६ के मकान बन चुके हैं । टाइप ५ और टाइप ७ के २२ मकान बन रहे हैं और मार्च तथा अक्तूबर १९६४ के बीच पूर्ण होने की आशा है । टाइप ७ के ४ और मकानों का निर्माण शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा ।

सोने के तस्कर व्यापार के लिये गिरफ्तारी

†१९७४. **श्री द्वारका दास मंत्री** : क्या **वित्त** मंत्री २८ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७०० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सोने के तस्कर व्यापार के लिये केन्द्रीय आबकारी विभाग के कर्मचारियों के द्वारा निपानी में गिरफ्तार किये गये छः व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: अब वे व्यक्ति न्यायिक हवालात में हैं । मामले की जांच हो रही है ।

कलकत्ता में निषिद्ध माल की पकड़[1]

†१९७५. **श्री द्वारका दास मंत्री** : क्या **वित्त** मंत्री २८ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७३७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस जहाज के मालिक का क्या नाम है, जिस से कलकत्ता के सीमा शुल्क अधिकारियों ने ८ अक्तूबर, १९६३ को कुछ निषिद्ध माल पकड़ा ; और

(ख) क्या जहाज के मालिक के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जहाज के मालिक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि यह सिद्ध नहीं हुआ कि जहाज का उसकी जानकारी या उसकी सहमति के साथ माल के तस्कर व्यापार के लिये वाहन के रूप में प्रयोग किया गया था । अतः मालिक का नाम बताना वांछनीय नहीं समझा जाता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Seizure of contraband control and goods.

सरगोधा इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लि०

†१९७६. **श्री द्वारका दास मंत्री** क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री ५ सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५३५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरगोधा इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि० ने प्रतिकर के लिये भारत सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो कम्पनी को कितनी राशि दी गई ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: (क) और (ख). सरगोधा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि० का क्षतिपूर्ति अदायगी का दावा १९५६ में पाकिस्तान सरकार के पास भेज दिया गया था, किन्तु अभी तक उन्होंने उसका सत्यापन नहीं किया । चूंकि इस कम्पनी को निष्क्रांत सार्थ माना गया है, करार के अन्तर्गत इसको केवल अपनी चल सम्पत्ति की क्षतिपूर्ति का हक है, उस देश में छोड़ी गई अचल सम्पत्ति की क्षतिपूर्ति का नहीं ।

मन्दिरों को दान

†१९७७. **श्री म० प० स्वामी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनियों द्वारा मन्दिरों को दिये गये नकद दान के लिये आयकर से छूट दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कर-छूट की कोई सीमा नियत की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) मन्दिरों को दिये गये दान को, उस रूप में, दाता के लिये कर-छूट प्राप्त नहीं करवाते । तथापि किसी मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा-घर या अन्य किसी स्थान के लिये, जिसको केन्द्रीय सरकार ने ऐतिहासिक, पुरातत्व या कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान घोषित कर रखा है, मरम्मत या उसके जीर्णोद्धार के लिये दिये गये दान पर, आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा ८८(६) के अन्तर्गत कर-छूट दी जाती है ।

(ख) २५० रुपये की निम्नतम् सीमा के अन्तर्गत, ऐसे दान, जो दाता की कुल आय के १० प्रतिशत से अधिक न हों, या दो सौ हजार रुपयों से अधिक न हो, जो कम हो, उस पर कर-छूट दी जाती है । किसी भी स्थिति में कर छूट दान की राशि में ५० प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती ।

सी० एच० एस० की नई डिस्पेन्सरियां

†१९७८. **श्री पाराशर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) सी० एच० एस० की नई डिस्पैंसरियां खोलने की क्या कसौटी है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि कैलाश कालोनी, नई दिल्ली में बहुतेरे सरकारी कर्मचारी रहते हैं और वहां ऐसी डिस्पैंसरी नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार उतने अधिक कर्मचारियों की चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये क्या पग उठाने का विचार करती है, जो कैलाश और ग्रेटर कैलाश बस्तियों में रहते हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) यह इस बात पर निर्भर करता है कि एक बस्ती में कितने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी रहते हैं और उस क्षेत्र की वर्तमान डिस्पैंसरी से कितने

---

†मूल अंग्रेजी

लोगों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त होती है । एक डिस्पेंसरी औसतन २८०० परिवारों की सेवा करती है ।

(ख) और (ग). इन बस्तियों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों की संख्या २०० से अधिक नहीं । ये सी० जी० एच० एस० डिस्पेंसरी ऐंड्रूजगंज से चिकित्सा सुविधा प्राप्त करते हैं । अतः नवीन डिस्पेंसरी खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

तेवरा दाल

†१९७९. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या मानव शरीर के लिये तेवरा दाल की घातकता के प्रश्न पर अग्रेतर जांच की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो किसके द्वारा ;

(ग) अब तक कितनी प्रगति की गई है ; और

(घ) अन्तिम निर्णय कब होने की संभावना है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां ।

(ख) निम्न संस्थाओं द्वारा इस समस्या के विविध पहलुओं के बारे में जांच की जा रही है :—

(१) पोषक भोजन अनुसंधान प्रयोगशालाएं, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, हैदराबाद—प्रयोगात्मक चिकित्सा में हानि के उत्तरदायी सक्रिय सिद्धांत का प्रयोगात्मक त्रिपुट रोग रूप ।

(२) बायो—कैमिस्टरी विभाग, भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर—सक्रिय तत्व का प्रयोगात्मक न्यूरोलैथिरिज्म तथा रसायनिक रूप ।

(३) बायोकैमिस्टरी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, न्यूरोलैथिरिज्म के उत्तरदायी सक्रिय तत्वों का रासायनिक विश्लेषण ।

(४) बौटेनी विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय—रीवा में मनुष्य में लैथिरिज्म होने में लैथिरिस सेंटिवों के मैंगनीज तत्व का संभव कार्य ।

(५) ब्यूरो—पैथालोजी यूनिट, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारतीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, बम्बई—लैथिरिज्म सेटिव्स खाये बन्दरों में न्यूरोलैथिरिज्म नहीं हो सकता ।

(ग) यह स्थिति होने के विकास के बहुत से तत्व अब मान लिये गये हैं । पोषक भोजन अनुसंधान प्रयोगशालाओं के अनुसंधानकों के दलों और भारतीय विज्ञान संस्था ने सफलतापूर्वक पहली बार एक दिन के चूजे में न्यूरोलाजिकल लैज़ने का प्रदर्शन किया है ।

(घ) इन अध्ययनों के अन्तिम परिणाम कब तक प्राप्त हो सकेंगे, यह अभी बताना संभव नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

'मल्टिपल आफिसर्स रेंज' योजना[1]

†१६८०. **श्री द० ब० राजू** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के अन्तर्गत मलटिपल आफिसर्स रेंज योजना कब कार्यान्वित की गई थी और (ख) क्या इस योजना के कारण हैदराबाद मजिस्ट्रेट के प्रशासन में मितव्ययता हुई है?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) योजना विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तिथियों को अप्रैल, १६५८ के पश्चात् कार्यान्वित की गई थी ।

(ख) जी हां, सामान्यतया ।

निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : दो अल्प-सूचना प्रश्न हैं, एक ध्यान दिलाने वाला प्रस्ताव और एक सूचना श्री दाजी द्वारा दी गयी है । एक वक्तव्य डा० लोहिया द्वारा दिया जाना है । यदि सभा सहमत हो तो इन मदों को ४.३० बजे ले लिया जाये और पहले गृह-कार्य मंत्री उत्तर दे दें ताकि जिस मत-विभाजन के होने की संभावना है वह सदस्यों के मध्यान्ह भोजन के लिये जाने से पूर्व ही हो जाये ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : हम इस से सहमत हैं ।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा)** : विरोधी दलों के सदस्यों द्वारा मुख्यतया तीन चार बातों की आलोचना की गई है । एक बात यह कही गयी है कि संविधान तैयार करने वालों ने अनुच्छेद २२ को रख कर बहुत बड़ी गलती की । कुछ सदस्यों ने स्वयं संविधान की आलोचना की और कुछ ने यह आरोप लगाया कि निवारक निरोध अधिनियम का प्रयोग संविधान के उद्देश्यों के विपरीत हो रहा है । यह भी कहा गया कि हम इस विधान का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिये कर रहे हैं । कुछ सदस्यों ने कहा कि जिन परित्राणों की चर्चा मैंने की वह भ्रामक हैं । मैं निष्पक्ष एवं स्पष्टवादी ढंग से इन बातों की चर्चा करूंगा ।

कुछ सदस्यों ने मेरी व्यक्तिगत त्रुटियों की भी चर्चा की जिसके बारे में मुझे केवल यही कहना है कि मैं अपनी खामियों के प्रति पूर्णतया सचेत हूं ।

पहले मैं चर्चा के वातावरण का उल्लेख करते हुए यह कहूंगा कि जो कुछ इस विधेयक के बारे में कहा गया है उसमें तर्क और सच्चाई का अभाव था । तर्क और वास्तविकता का स्थान शब्दाडम्बर और आलोचना नहीं ले सकते । हमें बताया गया कि यह विधेयक एक धब्बा है जिसके बुरे से बुरे परिणाम हुए हैं । श्री फ्रैंक एन्थोनी के तर्क सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ । उन्होंने कटुतापूर्ण शब्दों एवं खुले तौर पर गालियों का प्रयोग किया । उन्होंने संविधान, इस विधि सलाहकार बोर्ड सरकार, न्यायपालिका जजों, पदाधिकारियों आदि सब के लिये घृणा का प्रदर्शन किया और सभी की आलोचना की । वह स्वयं अपने को ही पूर्णतया एवं सदगुणों का भण्डार समझते हैं, शेष सभी लोग इस देश में गलत तौर पर सोचते और कार्य करते हैं । उन की बातों में संयम का पूर्णतः अभाव था । वह अपने आप को संविधान का ज्ञाता समझते हैं परन्तु निवारक निरोध अधिनियम के विषय में जो कुछ उन्होंने कहा उससे मुझे यह यकीन हुआ है कि वह इतना कुछ नहीं समझते । जो कुछ उन्होंने इस अधिनियम के बारे में कहा वह तथ्यों से भिन्न है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Mutiple Officers' Range Scheme.

संविधान पर आलोचना की गयी । संविधान सभा में अनुच्छेद २२ के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी थी । संविधान सभी की चर्चाओं में भाग लेने वाले कुछ सदस्य यहां पर उपस्थित हैं । जिन सदस्यों ने इस उपबन्ध को संविधान में रखने संबंधी उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया वह उस समय कई वर्षों से सत्ताधारी नहीं रहे थे वरन् स्वतंत्रता संग्राम से उसी समय निकले थे । उनमें से जो नेतागण थे वह स्वतंत्रता के अर्थ को समझते थे और उनकी देशप्रियता अथवा स्वतंत्रता-प्रियता पर किसी प्रकार का आक्षेप लगाना अनुचित है । कुछ सदस्य यह समझते हैं कि निवारक निरोध संबंधी उपबन्ध रख कर देश से स्वतंत्रता का अन्त किया जा रहा है । परन्तु वह भूल जाते हैं कि देश में हर प्रकार की स्वतंत्रता है । वर्ष में केवल २८० के करीब लोगों के निरुद्ध रहने पर स्वतंत्रता का अन्त होने की धारणा पैदा करना अनुचित है ।

इन व्यक्तियों को क्यों निरुद्ध रखा गया ? इस का कारण यह है कि उन्होंने हिंसात्मक कार्यवाहियां कीं, उन्होंने अपने पड़ोसियों तथा अन्य लोगों को डराया तथा वह राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियां करते रहे । इनमें गुंडे और जासूस आदि भी हैं जिनके लिये किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं हो सकती ।

मैं स्वयं इनको निरुद्ध रखने के पक्ष में नहीं हूं परन्तु यदि इन को निरुद्ध रखना वांछनीय समझा गया तो इसका गलत मतलब नहीं लिया जाना चाहिये । इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब संविधान पारित हुआ था तो इस खंड के बारे में सभी एकमत थे ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : सभी एकमत नहीं थे ।

†**श्री नन्दा** : मेरा तात्पर्य व्यावहारिक दृष्टि से एकमत होने से है । माननीय सदस्य ने तब कुछ और कहा था परन्तु अब कुछ और कह रहे हैं । कांग्रेस दल को बार बार देश में बहुमत प्राप्त होने का अर्थ यह है कि इस दल ने जिस प्रकार विधान का प्रयोग किया जनता उससे सन्तुष्ट है । जो सदस्य इस विधान को एक धब्बा कह कर पुकारते हैं उन्हें यह बात वहां कहनी चाहिये थी जहां कि इस विधान का प्रयोग किया गया है । मुझे विश्वास है कि इस आधार पर उन्हें एक भी मत प्राप्त नहीं हो सकता । (**अन्तर्बाधायें**)

अब यह प्रश्न आता है कि इस विधान का प्रयोग किस प्रयोजनार्थ किया जा रहा है । श्री मसानी सदैव कहते रहे हैं कि साम्यवादियों को जेलों में बन्द करके रखना चाहिये और कि इस अधिनियम का प्रयोग केवल उन्हीं पर किया जाना चाहिये । इस में सन्देह नहीं कि बहुत से साम्यवादी राष्ट्र-विरोधी और चीनी पक्ष की कार्यवाहियों में लगे रहते हैं ।

सरदार वल्लभभाई पटेल ने उस समय अपने भाषणों में कहा था कि हम साम्यवाद के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं हैं परन्तु इसकी अभिव्यक्ति के बारे में हमें आपत्ति है । कुछ भी हो श्री मसानी ने सिद्धान्त रूप से इसे स्वीकार किया है । अन्य सदस्यों ने भी निवारक निरोध में विश्वास प्रकट किया है यह कह कर कि समाज-विरोधी तत्वों, निहित स्वार्थ रखने वालों मुनाफाखोरों और चोरबाजारी करने वालों को नजरबन्द किया जाना चाहिये । इसलिए सिद्धान्त के रूप में निवारक निरोध पर किसी को भी आपत्ति नहीं है ।

अब मैं आपको बताऊंगा कि संविधान सभा में इस खंड पर चर्चा के समय क्या कुछ कहा गया था । सरदार पटेल ने कहा था :

> "विधि का पालन करना सभी नागरिकों का मूल कर्त्तव्य है । जब अपराध किये जाते हैं तो दण्ड विधि लागू की जाती है । परन्तु जब विधि के आधार पर ही आपत्ति की

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

जाती है और जब लोग कानून को कानून ही नहीं मानते तो असाधारण विधियों का प्रयोग करना न्यायसंगत होता है ।"

साम्यवादियों के बारे में उन्होंने कहा :

"अब हमारा देश एक जनतंत्रीय देश है और कोई भी दल जनतंत्रीय पद्धति से सत्ता प्राप्त कर सकता है, परन्तु यदि इस सरकार ने उन लोगों को मतदान की अनुमति दी जो हिंसा द्वारा जनतंत्र का नाश करना चाहते हैं तो यह बात देश के लिए घातक होगी ।

"इंग्लैंड के साम्यवादी दल को लीजिये । वह मतदान कर सकते हैं परन्तु वह हमारे देश के साम्यवादियों की तरह रेलवे लाइनें नहीं उखाड़ते, संचार साधनों में बाधा नहीं डालते और सार्वजनिक सम्पत्ति को आग नहीं लगाते । वह पुलिस पर हमला भी नहीं करते ।"

उन्होंने यह बात साफ कर दी थी कि इस विधान का प्रयोग उन लोगों के विरुद्ध किया जायेगा जो मासूम लोगों पर हिंसा का अपराध करते हैं । मासूम लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिये सावधानी बरतना वांछनीय ही था ।

बहुत से प्रसिद्ध विधि वेत्ताओं का भी इस विधि को बनाने में हाथ था । श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने उस समय कहा था :

"व्यक्तिगत स्वतंत्रता के वह अर्थ नहीं हैं जो कुछ लोगों द्वारा लगाये जाते हैं । मुझे यकीन है कि सभा किसी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व भारत के भावी विकास राज्य की सुरक्षा स्वतंत्रता को बनाये रखने की आवश्यकता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण में समन्वय आदि पहलुओं को ध्यान में रखेगी ।"

इन शब्दों के साथ उन्होंने इस विधान का समर्थन किया था । जो विधि वेत्ता संविधान के इस भाग के लिये मुख्यतया उत्तरदायी हैं उन्होंने इस प्रकार कहा :

"इस समस्या का सामना हमें अवश्य करना है चूंकि भारत की वर्तमान परिस्थितियों में निरोध एक ऐसी बुराई है जिस के अलावा कोई चारा नहीं है ।"

स्वतंत्रता के एक उत्साही समर्थक का कहना है :

"इस देश में कुछ लोग संविधान और राज्य का ध्वंस करने पर तुले हुए हैं । यदि हमें आगे बढ़ना है और व्यक्तिगत सम्पत्ति की रक्षा करनी है तो इस बुराई को समाप्त किया जाना है । यदि इस प्रयोजन के लिये राज्य को पर्याप्त शक्तियां न दी गईं तो जिस व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हम इच्छुक हैं उस के लिये कोई गारंटी नहीं होगी ।"

डा० अम्बेडकर ने कहा था :

"इस बात को मानना पड़ेगा कि देश की वर्तमान परिस्थितियों में कार्यपालिका के लिये आवश्यक है कि वह एक ऐसे व्यक्ति को नजरबन्द रख सके जो सार्वजनिक व्यवस्था अथवा देश की रक्षा सेवाओं के साथ खिलवाड़ करता हो । ऐसे मामले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राष्ट्र हित से ऊपर नहीं रखना चाहिये ।"

इसी आधार पर यह खण्ड रखा गया है।

स्वयं श्री कामत ने २५ फरवरी, १९५० को कहा था कि :

"मैं इस से सहमत हूं। मैं गृह मंत्री की इस बात को पूर्णतया स्वीकार करता हूं कि सभी तोड़ फोड़ की कार्यवाहियां करने वालों को और घातक तत्वों को उनके लिये जो उचित स्थान है वहीं पर रखना चाहिए।"

इसके पश्चात् उन्होंने कहा था :

"केवल इतना कह देना ही पर्याप्त नहीं है। भारत की सुरक्षा सर्वोच्च महत्वपूर्ण विषय है। देश की रक्षा भी आज महत्वपूर्ण विषय है। परन्तु हमें सर्वोच्च महत्व की इस बात को अवश्य सामने रखना है कि नागरिक स्वतंत्रताओं की तब तक रक्षा करनी है जब तक कि यह राज्य की सुरक्षा स्थायित्व आदि के लिये खतरा न बन जाये।"

"हमें इस बारे में सावधानी बरतनी है कि पर्याप्त परित्राण इस प्रकार रखे जायें कि कार्यपालिका मनमाने ढंग से व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का दमन न कर सके।"

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरा औचित्य प्रश्न है। जो जो बातें मैंने तब कही थीं उन पर मैं अब भी कायम हूं। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे निवारक निरोध का समर्थन होता है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मंत्री मेरा उद्धरण गलत प्रकार से कर रहे हैं और वह सभा को भ्रान्ति में डाल रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। यह औचित्य प्रश्न नहीं है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या मंत्री महोदय गलत प्रकार से मेरा उद्धरण दे कर सभा को भ्रांति में डाल सकते हैं? उन्होंने कहा कि मैंने इस विधि का समर्थन किया था परन्तु मैंने निवारक निरोध अधिनियम का कभी समर्थन नहीं किया।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगर गलत बयानी की गयी है तो आप बाद में वक्तव्य दे कर इसे मेरे ध्यान में ला सकते हैं।

†**श्री नन्दा** : मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा। मैं तो संविधान सभा के कार्यवाही वृत्तान्त से उद्धरण दे रहा था। उन्होंने यह और कहा था कि :

"मैं यह कदाचित नहीं कहता कि हमारी सरकार जान-बूझ कर, अनुचित प्रकार से लोगों को नजरबन्द रखेगी।"

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैंने यह बात १९५० में कही थी।

†**श्री नन्दा** : इन्होंने कहा था :

"किन्तु जब हम इस प्रकार विधान बनाते हैं तो हमें कुछ सावधानियां भी रखनी चाहियें जिनके अभाव में अधीनस्थ कर्मचारी जो काफी बुद्धिमान हैं अधिक उत्साही होने के कारण हम जो शक्तियां उन्हें देना चाहते हैं उनसे भी अधिक शक्ति का प्रयोग करेंगे।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

फिर उन्होंने आगे कहा :

> "क्या मैं इस बात की आशा करूं कि इस विधान द्वारा जो शक्ति हम केन्द्रीय और राज्य सरकारों में निहित करना चाहते हैं उनका उपयोग उचित प्रचार से, बुद्धिमानी से और युक्तिपूर्ण ढंग से किया जायेगा और किसी भी व्यक्ति को यह कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि उसकी स्वतंत्रता पर आघात पहुंचाया गया है.... ।"

यह सब बातें विधान के सावधानियों की और उन बातों के संबंध में हैं जो मैं कह रहा हूं। निश्चय ही इस बात के विषय में चर्चा की जा सकती है कि इन सावधानियों का उचित उपयोग किया गया है या नहीं।

अब मैं प्रश्न के दूसरे पहलू को लूंगा। एक के बाद एक सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि क्या इस विधान को उस कार्य के लिये प्रयोग किया गया है जिसके लिये यह बनाया गया था। मैंने भी पहले ही उनके साथ इस विषय में कुछ सहमति व्यक्त की थी कि पर्याप्त रूप से इसका प्रयोग नहीं किया गया है, कम से कम इस देश में विद्यमान बुराइयों को, मुनाफाखोरी को, पदार्थों आदि के संसाधकों के दुरुपयोग को देखते हुये मुझे यहीं प्रतीत हुआ। किन्तु उस समय मैं इस अधिनियम के संबंध में उल्लेख कह रहा था। बाद को मुझे पता लगा कि अन्य कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। भारत प्रतिरक्षा नियमों के अतिरिक्त जो पिछले एक वर्ष से लागू हैं अत्यावश्यक पण्य वस्तु अधिनियम, १९५५ भी है। इस विधान के अन्तर्गत कई मामले लिये गये। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार काला बाजारियों और माल रोकने वालों के विरुद्ध १९९७ मामले चलाये गये। इसी प्रकार अन्य विधानों के अन्तर्गत लगभग १५०० मामले चलाये गये। अतः यह सरकार कर सकती है कि इस पहलू की उपेक्षा नहीं की गई है। अन्य कानूनों के अधीन प्राप्त शक्ति का उपयोग किया गया है। किन्तु मैं अब भी अनुभव करता हूं कि इस संबंध में और भी बहुत कुछ किया जाना चाहिये। जिससे कि लोगों को इस शोषण से बचाया जा सके जिसके कि वे शिकार हैं।

अब मैं एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर आता हूं। इस बात से सहमत होते हुये कि कुछ स्थितियों में सरकार का इन विशेष शक्तियों को प्राप्त करना और इनका प्रयोग करना उचित था क्या अन्य भी स्थितियां इसी प्रकार की हैं? क्या वे उसी असामान्य स्वरूप की हैं कि यह विधान जारी रखा जाये? इस प्रश्न पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। पहले मैं "अन्तर्कालीन अवस्था" के संबंध में कुछ शब्द कहूंगा। आपात काल के अतिरिक्त कुछ असामान्य परिस्थितियां भी हो सकती हैं। यही अन्तर्कालीन अवस्था है। यदि परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं, यदि कुछ गड़बड़ी होती है, यदि कुछ ऐसे तत्व हैं जो लोगों की भावनाओं को उभारते हैं उनका गलत प्रयोग करते हैं, साम्प्रदायिक विद्वेष को प्रज्ज्वलित करते हैं और जहां भाषावाद, प्रादेशिकता, प्रान्तीयता है वहां अभी हम पूर्ण लोकतंत्रीय मूल्यों के आधार पर राष्ट्र को संगठित नहीं कर पाये हैं। फिर हमारे सामने यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि अब भी ऐसी स्थिति है जिसमें उपद्रव की संभावना हो सकती है। गत ३ वर्षों के अनुभव के आधार पर हमें इसका निर्णय करना है। मैं कह सकता हूं : यदि स्थिति अच्छी नहीं है, यदि लोग अनुभव करते हैं कि काफ़ी सुरक्षा नहीं है और हम अपनी सामान्य शक्तियों

के द्वारा स्थिति का मुकाबला नहीं कर सकते तो क्या हमें इन विरोधी शक्तियों को प्राप्त करना चाहिये? क्या हमें स्थिति को इतना बिगड़ने देना चाहिये कि हमें आपातकाल की घोषणा करनी पड़े अथवा यदि स्थिति सामान्य न हो तो हमें इस अन्तर्कालीन स्थिति को उत्पन्न करना चाहिये जबकि कुछ विशेष शक्तियों के प्रयोग से ही हम स्थिति को उस सीमा तक बिगड़ने से रोक सकें जहां कि प्रजातंत्र के सम्पूर्ण आधार को ही क्षति पहुंचेगी? जो कुछ मैं कह रहा हूं वह निरर्थक नहीं है। माननीय सदस्य श्री मसानी ने कहा था "दुनियां की ओर और एशिया की ओर देखिये।" कुछ देश हैं—मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है किन्तु वहां प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र की स्वयंसिद्धि नहीं समझ लेना चाहिये। यदि हम इसके विषय में सतर्क नहीं रहे तो इसे खो सकते हैं।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय) : हमने इसे खो दिया है। साम्यवादियों का मार्ग क्यों नहीं अपना लिया जाता?

†**श्री नन्दा**: बाद में मैं बताऊंगा कि मैंने उनके विषय में क्या कहा था। इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने कर्तव्य से न हटें। जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है उसे असभ्य और उग्र कहा गया है। असभ्य शब्दों से किसी अच्छे ध्येय को समाप्त नहीं किया जा सकता।

जो कुछ बातें कही गई हैं और देश में जो तनाव उत्पन्न किया गया है अतिरिक्त हमारे सामने गरीबी, बोरोजगारी और समानता की स्थिति उत्पन्न करने की समस्यायें हैं। उदार सिद्धांतों का चिर प्रतिष्ठित प्रत्यय ही हमें सन्तुष्ट नहीं कर सकता। हमारा मत देने का अधिकार है, कानून के समक्ष समानता प्राप्त है, यही केवल पर्याप्त नहीं है। हमारी क्रान्ति अपूर्ण है उसे पूर्ण किया जाना है। इस देश में मौलिक परिवर्तन लाने हैं जिससे लोगों को आवश्यकता की सारी सामग्री मिल सके और इस ध्येय के लिये विकास का यह कष्टप्रद कार्यक्रम हमारे सामने है। जन संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। चीजों की कमी हो रही है जब कि प्रगति भी हो रही है। इस दृष्टिकोण से हमें सब बातें देखनी हैं। पहले से अधिक चीजों का उत्पादन हो रहा है और फिर भी चीजों की कमी है और इतना दबाव भी पड़ रहा है। हमारे सामने यह समस्या है। यह बात नहीं कि इनमें से कोई एक इस स्थिति का कारण है अथवा इसका औचित्य सिद्ध करती है। स्थिति कुल मिलाकर ऐसी है। यह कुछ जासूसों का, कुछ गुंडों का अथवा इस या उस वर्ग का प्रश्न नहीं है। यह इस प्रकार के कारनामों का परिमाण है। जिस समाज में ये बातें हो रही हैं उसकी भी ऐसी स्थिति है। यह स्थिति हमारे सामने यह समस्या उत्पन्न कर देती है। अतः हमारे सम्मुख जो समस्या है उसके संदर्भ में हम यह विधान ला रहे हैं। यदि हम इन बातों को ठीक न कर सकें, इस तनाव को दूर न कर सकें तो और क्या मार्ग है और इसका क्या परिणाम होगा? हम इन समस्याओं को सुलझाने में पूर्ण असमर्थ सिद्ध हो सकते हैं। अतः जबकि प्रजातंत्र के सम्पूर्ण मूल्यों की हमें चाह है और हम अपने विधान में उन्हें स्थान देना चाहते हैं, हमें ऐसे कार्यों में अपने को नहीं लगाना चाहिये जो देश की स्थिति को और बिगाड़ने का कार्य करें।

अब मैं इस संदर्भ में एक बात और कहूंगा। प्रश्न यह था : क्या यह एक स्थायी विधान होगा?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : निश्चय ही।

†**श्री नन्दा** : नहीं। माननीय सदस्य इसकी हंसी उड़ा सकते हैं। किन्तु मेरा ऐसा अभिप्राय नहीं। कई वर्षों से हमारे देश में यह विधान है। अन्य देशों से हमारी स्थिति कुछ भिन्न भी है। उन देशों में सैकड़ों वर्षों से प्रजातंत्रीय परम्परा का विकास हो रहा है और वे कई स्थितियों में से गुजर चुके हैं, उन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं और हमारी उनके साथ तुलना करना उचित नहीं है जबकि यहां प्रजातंत्रीय परम्परायें स्थिर नहीं हुई हैं। मैं माननीय सदस्यों से एक बात कहना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि यह अधिनियम शीघ्र तिशीघ्र समाप्त हो जाये। इसे स्थायी बनाने का कोई इरादा नहीं है, यह तीन वर्ष के पहले भी समाप्त हो सकता है। किन्तु कुछ शर्तें हैं। माननीय सदस्य हमारे सम्मुख स्थित समस्या को देखें। जैसा कि मैंने कहा यह परिस्थितियों की ही उपज है। यदि यह कहा जा सकता है कि साम्यवादी प्रजातंत्र को चोट पहुंचा सकते हैं तो वे भी ऐसा कर सकते हैं जो साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काते हैं और जो धनी वर्ग है वह भी ऐसा कर सकता है। मेरा प्रस्ताव यह है: मैं गुंडों की समस्या को देखता हूं।

†**श्री हरि विष्णु कामत**: साधुओं की ओर गुंडों की, दोनों की।

†**श्री नन्दा** : साधुओं के प्रति उनका विद्वेष.....

†**श्री हरि विष्णु कामत** : विद्वेष नहीं। यह सच बात है। वे साधु समाज के अध्यक्ष है।

†**श्री नन्दा** : वे बहुत से अच्छे कार्यों के लिये काफी उपयोगी है। प्रस्ताव यह है कि हम इस समस्या को सुलझाने का भरसक प्रयत्न करेंगे। क्या वे यह शपथ लेंगे कि दान, राजनैतिक दल, संगठित दल ऐसा कोई आन्दोलन नहीं करूंगा जो हिंसा को जन्म दे। और न डराने धमकाने का ही कार्य करेंगे ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**, (बैरकपुर) : आप श्री मसानी से आश्वासन ले लें, इसके बाद हम भी आश्वासन दे देंगे।

†**श्री नन्दा** : यह अधिनियम ३ वर्ष के पहले ही समाप्त कर दिया जायेगा। हमें इसके विषय में कुछ करना चाहिये। हमें इतना कुछ करना है कि प्रशासन की समस्या जटिल हो जाती है। यदि हमें इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाये, यदि जिम्मेदार दल यह सुनिश्चित कर लें और ऐसा तरीका निकालें कि उनकी ओर से--हां, आन्दोलन किया जा सकता है, प्रदर्शन किये जा सकते हैं और हम ऐसा प्रयत्न करेंगे कि लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें, किन्तु डराना-धमकाना, और हिंसा नहीं होनी चाहिये। यदि हमें यह आश्वासन मिल जाये तो मैं सरकार को भी सलाह दूंगा कि यह अधिनियम समाप्त कर दिया जाये। हमें इस आधार पर आगे बढ़ना है। यह जिम्मेदारी अब उनकी है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या पूंजीपतियों द्वारा किया जाने वाला शोषण और डराया धमकाया जाना भी सम्मिलित होगा ?

†**श्री नन्दा** : वे भी उसी वर्ग में हैं। श्री मी० रु० मसानी उन लोगों के समर्थक हैं, परन्तु मैं नहीं समझता कि वे इसे स्वीकार करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मो० रु० मसानी :** (राजकोट) : जहां तक मेरे दल का सम्बन्ध है मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं ।

†**श्री नन्दा** : मुनाफाखोरी आदि के सम्बन्ध में कानून विद्यमान हैं ।

†**डा० राम मनोहर लोहिया (फरुखाबाद)**: अध्यक्ष महोदय, उन्होंने आश्वासन चाहा है । मैं आश्वान दे दूं--मुझे पता नहीं कि हमारा दल उनके लिये बहुत छोटा सा होगा या बड़ा होगा, परन्तु हमारा आश्वासन पिछले बीसियों वर्षों से चल रहा है कि हम अहिंसात्मक बलवा करेंगे । हम हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन बलवा जरूर करेंगे । (**अन्तर्बाधा**) हमने हिंसा नहीं की है । हिंसा जो हुई है, उधर से हुई है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा): क्या सरकार यह आश्वासन देने के लिये तैयार है कि वह देश में हिंसात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा नहीं देगी । हम लोग हिंसा के विरुद्ध हैं । हम यह आश्वासन चाहते हैं कि यदि सभा में सारे दलों ने यह शपथ ले ली कि वह हिंसा को बढ़ावा नहीं देंगे तो यह अधिनियम केवल उन्हीं दलों के विरुद्ध प्रयोग में लाया जायेगा जो हिंसा को नहीं त्यागना चाहते ।

†**श्री नन्दा** : जो राष्ट्र के और लोकहित के विरुद्ध कार्य करते हैं उनके विरुद्ध कार्य करने के लिये हमें कुछ उपाय अपनाने पड़ेंगे । पहले हमें इस समस्या को हल करना है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : माननीय मन्त्री अब पहलू बदल रहे हैं ।

†**श्री नन्दा** : नहीं । पहले यह तो समझ लें कि वह पहलू है कौनसा ।

†**श्रीमती रेणुका चक्रवर्ती** : श्री मसानी ने आश्वासन दे दिया है किन्तु उन गुंडों का क्या होगा जिन्हें नियोजक अपने पास रखते हैं और कार्मिक संघों के विरुद्ध उनका प्रयोग करते हैं ?

†**श्री अ० प्र० शर्मा** (बक्सर) : कुछ दल हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं और यह अधिनियम उनके विरुद्ध प्रयोग में लाया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । माननीय मन्त्री ने प्रस्ताव किया है । किन्तु इसका फैसला बाद को होगा, अभी नहीं ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : माननीय मन्त्री ने आश्वासन चाहा था उन्हें हर किसी से आश्वासन मिल गया है, फिर इस अधिनियम को जारी रखने की क्या आवश्यकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक मैं समझ पाया हूं उन्होंने इस रूप में प्रस्ताव नहीं रखा था कि अभी आश्वासन दे दिया जाये तो वे विधेयक को आगे नहीं बढ़ायेंगे । यह प्रस्ताव भी विधेयक को पारित करवाने के लिये एक तर्क था ।

†**श्री बड़े** (खारगोन) : यदि प्रधान मन्त्री और गृह कार्य मन्त्री का यह दृष्टिकोण है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

†**श्री नन्दा** : मैं आपने जो कुछ कहा है उसमें कुछ संशोधन करना चाहता हूं । यह एक तर्क नहीं है । किन्तु मै यह नहीं चाहता कि इसी समय तुरन्त कोई आश्वासन दे दे । पहले वे अपने दल से पूछ लें और तब आश्वासन दें ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : आप अभी आश्वासन ले सकते हैं, इसके लिये दल की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्लि) : कल वाद-विवाद के दौरान यह वार्ता हुई थी :

†**श्री त्यागी**: (देहरादून) : केवल हिंसा ।

†**श्री नम्बियार** : नहीं, साम्यवादी दल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह हिंसा का समर्थक नहीं है ।"

और किस बात की आवश्यकता है । मैंने अपने भाषण के दौरान यह आश्वासन दे दिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । माननीय मन्त्री ने कहा कि जो कुछ मैंने कहा वह उनका अभिप्राय नहीं था । उन्हें इस बात को गम्भीरता से नहीं लेना चाहिये । मैं माननीय सदस्यों से यह अपील कर रहा था कि यह प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका अभी इसी समय निर्णय हो जाये । इस पर विवाद नहीं होना चाहिये ।

†**श्री नाथ पाई**: विवाद नहीं है । किन्तु उन्होंने आश्वासन मांगा था और हमने दे दिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मन्त्री की यह इच्छा है कि पहले यह विधेयक पारित कर दिया जाये फिर वे दलों के व्यवहार का कुछ काल तक अवलोकन करेंगे और तब यह अधिनियम समाप्त किया जायेगा ।

†**श्री ह० प० चटर्जी** (नवद्वीप) : मैं किसी दल से सम्बन्धित नहीं हूं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इस अधिनियम के अन्तर्गत कई बेकसूर व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है ।

†**श्री राम सेवक यादव** : (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसको और नहीं चलने देना चाहता ।

†**श्री नन्दा** : मैं अब वर्तमान स्थिति के बारे में कहूंगा ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, ज़रा मेरी बात सुन लीजिये, क्योंकि और कई माननीय सदस्य बोले हैं, किन्तु कोई भाषा वाला नहीं बोला है । निवेदन यह है कि मन्त्री महोदय के इस पौने घंटे के भाषण से यह स्पष्ट हो गया है कि जो जरायमपेशा लोग हैं, या और कोई ऐसे लोग हैं, उनके लिए बहुत से कानून हैं । कल से जो कानून सदन के सामने है, वह केवल राजनीतिक पार्टियों के लिए ही बनाया जा रहा है, ताकि कोई कुछ कर न सके । इसका और कोई प्रयोजन प्रतीत नहीं होता है । इस तरह के कानूनों से कुछ होने वाला नहीं है । अंग्रेज भी ऐसे कानून बनाया करते थे और अंग्रेजों को हमने निकाल कर सात समुद्र पार कर दिया । यह सरकार तो कुछ दिनों की बच्ची है ।

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी को किसी ने यह सब कुछ तर्जुमा करके बताया है या वह खुद सारी बात को समझे हैं ? क्या सारी अंग्रेजी की पूरी पूरी बात स्वामी जी समझते हैं ?

†**श्री नन्दा** : मैं उन पर अविश्वास नहीं करता किन्तु मेरे इस दृष्टिकोण के भी कारण हैं । हमें देखना चाहिये कि आगे क्या होता है । क्योंकि सब ओर से आश्वासन प्राप्त होने के बाद भी मुझे ऐसे समाचार प्राप्त होते हैं कि सभी तरह की बातें हो रही हैं । यदि अहिंसा के प्रति इस प्रकार की निष्ठा है तो मैं कह सकता हूं कि यह सौ प्रतिशत अहिंसा नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक महिला सदस्या ने 'घेरो' का उल्लेख किया था। यदि वह समझती हैं कि वह इस निश्चय के अनुकूल ही है तो उनके और हमारे विचारों में अन्तर है।

'घेरो' में क्या होता है ? मजदूरों की ओर से मांग होती है। एक माह पहले की ही बात है कि 'घेरो' के बाद एक मैनेजर को मार-मार कर खत्म कर दिया गया था।

†**डा० राम मनोहर लोहिया** : धारासाना नमक सत्याग्रह के बारे में बता दीजिये जहां पर घेरा हुआ था।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि यहां पर हिंसक भावनायें उत्पन्न न होने दी जायें।

†**डा० राम मनोहर लोहिया** : धारा साना नमक सत्याग्रह के बारे में भी बता दीजिये, जहां पर घेरा हुआ था।

†**श्री नन्दा** : मजदूरों की मांगें उचित हो सकती हैं। देश में हर प्रकार के प्रबन्ध और व्यवस्थायें हैं। न्याय निर्णयन की और विवाचन की व्यवस्था है। शिकायतें दूर करवाने के सारे साधन उपलब्ध हैं। फिर यदि वे इस पद्धति को अपनाते हैं तो इसका क्या अर्थ निकलता है ? २००० व्यक्ति एक छोटे से कार्यालय को घेर लेते हैं और अधिकारी से कह देते हैं कि जब तक वह उनकी मांगें स्वीकार नहीं कर लेता बाहर नहीं निकल सकता। कुछ लोग धमकी में आकर हस्ताक्षर कर देते हैं; फिर यदि वे उससे मुकरता है तो अपने प्रानों पर संकट लेकर। यदि ऐसा होता है तो यह हिंसा त्यागने के सन्दर्भ में ठीक नहीं है।

इस मामले को जोश में आ कर नहीं ठंडे दिल से मिल कर विचारना चाहिये। इसमें कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हमने काफी संरक्षणों की व्यवस्था की है। अब मैं इस बात पर आता हूं कि यह कानून किस प्रकार काम करता रहा है। मेरे पास न्यायिक छान बीन के मामलों की रिपोर्ट है। नजरबन्दों को अभ्यावेदन करने के लिये कानूनी सहायता दी जाती है। केवल आधे दर्जन मामलों में नजरबन्दी के कारण पूरे नहीं बनाये गये एक आधार जिस पर कि उच्चतम न्यायालय ने नजरबन्दी को रद्द कर दिया था, यह था कि नजरबन्द व्यक्ति को नजरबन्दी का आदेश एक ऐसी भाषा में दिया गया जिसे वह नहीं समझता था। यह प्रक्रिया की एक कमजोरी है। सरकार इस मामले को तुरन्त सुधार देना चाहती है। परामर्शदाता समिति को ये कारण बताना आवश्यक है। हर प्रकार का संरक्षण दिया जाता है ताकि अधिकारी मनमाने ढंग से अधिकारों का प्रयोग न करें।

परामर्शदाता समिति के बारे में भी कुछ आलोचना हुई हैं मेरा निवेदन है कि उसका सभापति एक सेवा निवृत उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है। और यह परामर्शदाता बोर्ड अपना कर्तव्य भली प्रकार पूरा कर रहे हैं। १२६९ व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया था। अब यह संख्या ३८२ है। ९६ लोगों को रिहा कर देने के आदेश दिये गये थे। ४८८ मामलों में नजरबन्दी को कायम रखा गया था। १३७ व्यक्तियों को सरकार ने अपनी इच्छा से छोड़ दिया १६ को उच्च न्यायालय ने छोड़ दिया। ३ को उच्चतम न्यायालय ने छोड़ दिया। ३९० लोगों की वकीलों तथा मित्रों ने सहायता की। ३७१ स्वयं ही परामर्शदाता समिति के समक्ष उपस्थित हुए। जिन लोगों के मामले में परामर्शदाता समिति ने जानकारी मांगी है उन की संख्या ३६ है। इस से विस्तार के साथ यह पता चलता है कि इस दिशा में स्थिति क्या है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

मुझे इस बात की आशा है कि शीघ्र ही ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी कि निवारक नजरबन्दी नियमों को यथा संभव शीघ्र ही समाप्त कर दिया जा सके ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** स्पष्टीकरण के लिये मैं ने माननीय मंत्री से यह बात पूछी थी कि ऐसे देशों की संख्या कितनी है जहां कि संसदीय लोक तन्त्र प्रणाली चल रही है । और वहां इस तरह का निवारक नजरबन्दी कानून भी है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्हों ने कह दिया था कि वह नहीं बता सकते ।

†**श्री नाथ पाई :** आपात में तो इस कानून की बिल्कुल जरूरत नहीं है । क्या सरकार आपात को समाप्त कर रही है ? यदि आपातकाल जारी रहेगा तो इसकी क्या जरूरत है ?

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, आज लगभग चार मास से गोपाल पेपर मिल्स यमुना नगर का झगड़ा चल रहा है .....

अध्यक्ष महोदय : गोपाल पेपर मिल के झगड़े का इससे मतलब नहीं है ।

श्री रामेश्वरानन्द : मेरी प्रार्थना सुन लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी प्रार्थना नहीं सुन सकता । जो तकरीर नन्दा जी ने कहा है अगर आप उस पर कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ।

श्री रामेश्वरनन्द : मेरी प्रार्थना यह है कि जैसा आप ने मुझ से कहा था कि आप मुझे श्री नन्दा के बोलने के पश्चात् समय देंगे ....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये । पहले इसे खत्म हो जाने दीजिये ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो काले कानून पेश किये जाते हैं उन को आप पास तो कर लेंगे । हम अंग्रेजों के समय में उस सरकार का कोई विधेयक ....

अध्यक्ष महोदय : अब तकरीर नहीं हो सकती ।

श्री यशपालसिंह (कैरेना) : मेरी अर्ज यह है कि भारत माता की पेशानी पर पराजय का कलंक दिया हुआ इस सरकार का है और उस कमजोरी के ऊपर पर्दा डालने के लिये वह इस कानून को लाई है । जब तक चीन से ३८ हजार मुरब्बा मील वापस न लिये जायें तब तक .....

अध्यक्ष महोदय : यह क्या सवाल है । मैं चाहता हूं कि जो जिम्मेदार पार्टियां हैं वह तो कुछ ख्याल करें । कुछ रूल्स कवायद नियम किसी चीज का तो ख्याल होना चाहिये । इस में माननीय सदस्य ने सवाल क्या किया है ?

श्री यशपाल सिंह : इस कमजोरी को कोई बतलायेगा तो उस को सरकार बन्द कर देगी ।

अध्यक्ष महोदय : अपनी बात को आप दूसरी चीज उठा कर कह रहे हैं ।

श्री यशपाल सिंह : जो उसे जाहिर करेगा उसे बन्द कर दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सरजू पाण्डेय** (रसड़ा) : अभी माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इस बिल का मिसयूज़ नहीं होगा। उन्होंने फरमाया कि ऐडवाइजरी बोर्ड के सम्बन्ध में प्राविजन है कि टेडेन्यू वकील रख सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि ला में ऐसा कोई प्राविजन नहीं है।

श्री फ्रैंक एन्थनी : नहीं, नहीं रख सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : आपने गलत समझा उन्होंने कहा है कि रिप्रजेन्टेशन ड्राफ्ट करने के लिये वकील की मदद ले सकता है।

श्री सरजू पाण्डेय: मेरा पूछना यह है कि अगर कोई कास्टेबिल किसी आदमी की स्पीच को गलत रिकार्ड कर लेता है और उसके आधार पर उस आदमी के खिलाफ़ कार्यवाही की जाती है और उस आदमी को अपनी सफाई देने का मौका नहीं मिलता। उसका प्रोटैक्शन कैसे किया जा सकता है?

श्री राम सेवक यादव : माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि अगर राजनीतिक दल यह आश्वासन दे दें कि वे हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे तो वह इस तरह के कानून को समाप्त कर सकते हैं। क्या यह बात उठाते हुए उन्होंने अपनी सरकार से आश्वासन ले लिया है कि वह इसे समाप्त कर देगी?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो उनके दरम्यान की बात है।

श्री बड़े: (खारगोन) : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि यदि विरोधी पार्टीज यह आश्वासन दे दें कि वे वायलेंस नहीं करेंगी तो वह इस कानून को समाप्त कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कोई वायलेंस न होते हुए भी अजमेर में और कुछ अन्य प्रदेशों में पुलिस ने कांग्रेस शासन को खुश करने के लिये कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया और ६ महीने तक कस्टडी में रखने के बाद भी उन को यह कह कर छोड़ दिया कि उन पर मुकदमा साबित नहीं होता इसके बारे में उनको क्या कहना है। अगर हम जनसंघ वाले आश्वासन देगें कि वायलेंस नहीं किया जायेगा तो क्या सरकार आश्वासन दे सकती है कि हम लोगों के खिलाफ ऐसी कार्यवाही नहीं की जाएगी?

श्री ज० ब० सिंह (घोसी) : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन को आप जिले से निकाल देते हैं उनके प्रोटैक्शन के लिये क्या प्राविजन है। वह कहां अपील करे इसके लिये क्या प्राविजन है?

डा० राम मनोहर लोहिया : संविधान की धारा २२ की उपधारा ४, ५, ६, ७ के आधार पर यह नजरबन्दी कानून बनाया गया है अगर उसको स्थायी बना दिया जाता है तो क्या उसका धारा २२ की उपधारा १ और २ से संघर्ष नहीं हो जाता।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : कुछ पार्टियां और लोग बार बार आश्वासन देने के बावजद राष्ट्र विरोधी काम करते हैं। क्या उनसे भी मशविरा लिया जायेगा?

†**श्री नन्दा** : स्थिति स्पष्ट है, इस बारे में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं।

डा० राम मनोहर लोहिया : शायद उन्होंने मेरा सवाल समझा नहीं है। आप उन को मेरा सवाल समझा दीजिये। मेरा सवाल यह है कि धारा २२ की जो उपधारायें नजरबन्दी कानून को बनाने की इजाजत देती हैं उनके आधार पर यह कानून बनाया गया है। लेकिन अगर इसको स्थायी कर दिया जाता है तो क्या २२ वीं धारा की उपधारा १ और २ खत्म नहीं हो जायेंगी।

अध्यक्ष महोदय : यह लीगल क्वेश्चन है, यह नहीं पूछा जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नन्दा** : मैं विस्तार में नहीं जा सकता माननीय सदस्य के सन्देह निराधार हैं। श्री नाथपाई के प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि शायद आपात को समाप्त कर दिया जाय। साथ ही आपात-कालीन कानून में परामर्शदाता बोर्ड की व्यवस्था नहीं है जहां कि प्रतिनिधित्व किया जा सकता है और अभ्यावेदन दिया जा सकता है वहां संरक्षण नहीं है यहां है। एक दो इधर उधर के मामलों में क्या हुआ उसके बारे में तुरन्त कुछ कह सकना संभव नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि निवारक निरोध अधिनियम १९५० को आगे और अवधि तक जारी रखने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ, पक्ष में २३९ ; विपक्ष में ७३।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : खंड २ में कोई संशोधन नहीं, प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक जोड़ दिये गये।

†**श्री नन्दा** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ, पक्ष में २३६; विपक्ष में ६८।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड़) : मैं इस घृणित विधान का विरोध करता हूं। हम सभा का त्याग करते हैं।

श्री अ० क० गोपालन तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से उठ कर चले गये।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : यह एक काला विधान है लोकतन्त्र-विरोधी है इस के विरोध स्वरूप हम सभा का त्याग करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से उठ कर चले गये।

†**श्री बड़े** : इस कानून को पास करने से प्रजा तन्त्र की हत्या हो रही है, इस वास्ते जनसंघ ग्रुप की ओर से विरोध स्वरूप मैं सदन से वाक आउट करता हूं ।

श्री बड़े और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से उठ कर चले गये ।

†**श्री याज्ञिक** (अहमदाबाद) : हम भी विरोधस्वरूप सभा का त्याग करते हैं ।

†**श्री राम सेवक यादव** : यह कानून जनतन्त्र विरोधी और जनमत-विरोधी है ? विरोधियों को दबाने का यह एक साधन है । इस तरह का बेशर्मी का कानून पास कर के यह बहुमत का दुरुपयोग करते हैं । और मैं इस के विरोध स्वरूप सदन का त्याग करता हूं ।

श्री राम सेवक यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से उठ कर बाहर चले गये ।

अध्यक्ष महोदय : कोई मैम्बर बाधा नहीं डालेगा । हमें बाकी कार्यवाही करने दी जाये ।

बैंकिंग विधियां (विविध उपबन्ध) विधेयक

†**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि भारत के रक्षित बैंक अधिनियम, १९३४, बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ और भारत के राज्य बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, १९५९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सितम्बर, १९६३ में सदन ने एक गैर-सरकारी प्रस्ताव पर विचार किया था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये । इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया था और प्रस्ताव २७ के मुकाबले में ११९ मतों से रद्द कर दिया गया था । उस समय सरकार की ओर से यह कहा गया था कि जो बातें कही गयी हैं, उन सब पर विचार किया जायेगा और बैंकों के कानूनों में संशोधन करने वाले विधेयक को सदन के समक्ष रखा जायेगा । मुझे इस बात का हर्ष है कि सरकार अपना वह वायदा पूरा कर रही है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं यह बात प्रारम्भ में ही कह देना चाहता हूं कि इस विधेयक का लक्ष्य आर्थिक विकास की वर्तमान स्थिति में रक्षित बैंक, वाणिज्यिक बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं को अपना उत्तर-दायित्व अधिक सक्रिय ढंग से निभाने में सहायता देना है । इस दृष्टि से यह विधेयक स्वीकारात्मक है, नकारात्मक नहीं । इस विधेयक को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है । प्रथम यह कि बैंकों के बाहर प्राप्त जमा राशि को केवल खातेदारों के हित में नहीं प्रत्युत सामान्य और व्यापक लोकहित में नियंत्रित किया जाये । हमारा विचार यह भी है कि ऋण, विनियोजन और किराया खरीद समवायों अथवा साथों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के, जो विभिन्न कार्यों के लिए ऋण तथा अग्रिम राशियां देती हैं अथवा 'सिक्योरिटियां, अथवा शेयर खरीदती है और

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० रा० भगत]

इस तरह धन और पूंजी मार्केट पर प्रभाव जमाती हैं। सोचा गया कि इन कार्यवाहियों को देश के एक केन्द्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित कराया जाय। इसके अतिरिक्त जहां तक वाणिज्यिक बैंकों का सम्बन्ध है, उनका बहुत ही महत्व है, उनमें वर्तमान नियंत्रण की पद्धति चालू रहे। इससे उनके बैंकों को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। यदि आवश्यकता हो अथवा कुछ मजबूरी हो तो उपलब्ध संसाधनों का धन आवश्यक परियोजनाओं और उपक्रमों में लगाया जाय और उन्हें विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जाये।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि ऐसी बहुत सी राशि रह जाती है जिसका हिसाब नहीं रखा जा सकता। यह निश्चय कर पाना बहुत ही कठिन है कि जो धन संगठित बैंकिंग क्षेत्र से बाहर रहता है उसका उपयोग ठीक ढंग से होता है, अथवा समाज-विरोधी कार्यों में लगता है। यदि यह धन ठीक से भी लगाया जाये तो जरूरी नहीं कि परिणाम ठीक ही निकले। अतः यह उचित नहीं है कि हम उन संस्थाओं को, जो बैंक नहीं हैं, और जो अन्तर्बैंक करारों द्वारा बाध्य नहीं हैं, एक-दूसरे के साथ अथवा बैंकों के साथ जमा रकम के बारे में ब्याज की दर बढ़ा कर और कुछ मामलों में अनुचित कार्य करके प्रतिस्पर्धा करके एक अजीब सा वातावरण निर्माण करें। यह खातेदारों के हित की बात नहीं है।

ब्रिटेन में इस तरह के हालात के लिए दो मास हुए एक खातेदार संरक्षण अधिनियम, १६६३ लाया गया था। इससे बहुत ही प्रभावशाली परिणामों की आशा है। इसके अन्तर्गत विज्ञापन करके लोगों को रुपया जमा कराने के लिए कहना बन्द कर दिया गया है। यह भी व्यवस्था है कि यदि व्यापार बोर्ड यह समझे कि कोई संस्था खातेदारों के हित में नहीं चल रही तो उपरोक्त कानून के अन्तर्गत उस संस्था को ही बन्द कर दिया जाता है, इसके साथ ही हम इस बात की भी उपेक्षा नहीं कर सकते कि कुछ औद्योगिक संस्थान, सार्थ और सर्राफ अपने व्यापार के लिए लोगों से सीधे धन ले रहे हैं। हम यह नहीं चाहते कि इनका यह व्यापार बन्द कर दिया जाये। परन्तु यह जरूरी है कि हमें यह निश्चित हो कि जिन हालातों में, वह धन लिया गया और प्रयोग में लाया गया, वे उचित हैं और हमारी धन और ऋण नीति के अनुरूप हैं। बहुत सी ऐसी संस्थाओं की गतिविधियों से रक्षित बैंक के हितों को हानि पहुंचती है। कुछ कारणों से रक्षित बैंक इस प्रकार के सौदों तथा लेन-देन पर नियंत्रण नहीं रख सका। कई बार इस प्रकार की स्थिति अविकसित अर्थ-व्यवस्था में बड़ी भारी समस्या बन जाती है।

हम इस विधेयक में व्यवस्था कर रहे हैं कि जहां तक मुद्रा और ऋण नीति के सम्बन्ध में उत्तरदायित्वों के पालन के लिए आवश्यक हो वहां तक रिज़र्व बैंक सब निगमों, समवायों और संबिहित या अन्य फर्मों से जानकारी प्राप्त कर सकेगा,। उनमें सरकारी क्षेत्र के सार्थ भी शामिल हैं और बैंक इस प्रयोजन के लिए इन संस्थाओं को निदेश भी दे सकेगा।

हमें ज्ञात है कि कुछ क्षेत्रों में यह आशंका है कि शायद इन अधिकारों का उचित प्रयोग न किया जाये। मेरा विचार है कि रिज़र्व बैंक की यह आलोचना उचित नहीं कि रिज़र्व बैंक केवल वाणिज्यिक बैंकों के हितों का ध्यान रखेगा और अन्य सब संस्थाओं की उपेक्षा करेगा। रिज़र्व बैंक के अभिलेख से यह प्रमाणित है कि वह संकुचित और पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण नहीं रख सकता। हमारे देश में यही एक संस्था है जो इस प्रकार के उत्तरदायित्वों का पालन करने की योग्यता रखती है। मुझे सभा को यह आश्वासन देने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि जो भी

संस्था या उपक्रम आवश्यक मांग को पूरा करेगी उसे रिज़र्व बैंक के किसी काम के कारण कोई कठिनाई नहीं होगी ।

अब वाणिज्यिक बैंकों को लीजिये । प्रत्यक्षतः यह आवश्यक है कि वाणिज्यिक बैंकों को अपने संसाधन बढ़ाने देना चाहिये और अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने देना चाहिये । किन्तु जब तक वे अपने उत्तरदायित्वों को समझपूर्वक वस्तुगत दृष्टि से न देखें वे बचत का धन एकत्र करने या अर्थव्यवस्था की प्रगति में सहायता देने में महत्वपूर्ण काम नहीं कर सकेंगी ।

बैंक न केवल व्यापारियों और व्यापारी वर्गों के प्रभुत्व से मुक्त होने चाहियें बल्कि उनकी स्वतंत्रता सर्वविदित होनी चाहिये । नियंत्रण की जो पद्धति पिछले पंद्रह वर्ष से शनैः शनैः स्थापित हो रही है उसका प्रयोजन यही है । इस विधेयक में संशोधनों का प्रस्ताव इसी हेतु से है ।

खण्डों सम्बन्धी टिप्पणों में उपबंधों का ब्योरा दिया गया है, अतः मैं केवल महत्वपूर्ण संशोधनों को लूंगा । हम स्वभावतः इस बात के लिए उत्सुक हैं कि गैर-सरकारी वाणिज्यिक बकों का स्वामित्व अधिकाधिक लोगों के हाथ में होना चाहिये । क्योंकि यह सोचना व्यवहार्य या आवश्यक नहीं कि किसी के अधिकार में हिस्सों की सीमा निश्चित हो या इसके लिए कोई शर्तें रखी जायें अतः यह जरूरी नहीं कि किसी हिस्सेदार के मताधिकार जो इस समय कुल मताधिकारों के ५ प्रतिशत तक सीमित हैं उन्हें और कम न किया जाये । हमारा विचार है कि भविष्य में हिस्सेदार का मताधिकार एक प्रतिशत रखा जाये । हमें आशा है कि यथासमय इस संशोधन से वर्तमान हिस्सों का वितरण हो जायेगा । क्योंकि अधिकाधिक लोग गैर-सरकारी उद्योग-क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों के स्वामित्व और प्रबन्ध में हिस्सा लेने लगेंगे इसलिए जो आर्थिक शक्ति थोड़े से लोगों के पास है वह स्वयं ही कम हो जायेगी ।

हमारा विचार है कि उन कम्पनियों और सार्थों को अप्रतिभूत ऋण अनुदानों के बारे में उपबंध कड़े कर दिये जायें जिनमें निदेशकों के हित हैं और ऋणों की छूट बन्द कर दी जाये जब तक रिज़र्व बैंक की अनुमति न हो ताकि निदेशक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में लाभ नकमा सके । विधेयक में एक ऐसा उपबंध भी रखा जा रहा है जिससे रिज़र्व बैंक किसी संस्था, कम्पनी या सार्थ को कुछ हद तक ऋण देने पर प्रतिबंध लगा सके और इस प्रकार कुछ समवायों में जिनमें वे भी शामिल हैं जिन पर कुछ व्यापारी वर्गों का आधिपत्य है, पेशगी का पैसा जमा न पड़ा रहे ।

जैसा सभा को विदित है हम रिज़र्व बैंक को यह भी अधिकार दे रहे हैं कि वह निदेशकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को हटा सके और उनके स्थान पर अन्य लोगों को नियुक्त कर सके और किसी बैंक के प्रबन्ध को संगठित करने के लिए कुछ समय के लिए अतिरिक्त निदेशक नियुक्त कर सके ।

बैंक ऋण देने वाली संस्थाएं हैं और उनके पास पैसा होता है जो हिस्सेदारों का नहीं होता । अतः उनकी व्यवस्था सामान्य औद्योगिक या वाणिज्यिक समवायों की तरह होनी चाहिये । बैंक पर व्यापारियों या व्यापारी वर्गों के नियंत्रण को कम करने या समाप्त करने के बारे में मैंने जो कुछ कहा है, उसे दृष्टिगत रखते हुए ये संशोधन अवांछनीय नहीं हैं ।

विधेयक पुरःस्थापित होने के बाद हमें कुछ अभ्यावेदन मिले हैं कि निदेशकों और अन्य लोगों को पदच्युत करने का अधिकार तानाशाही है । यह ठीक नहीं । पहले तो बैंक स्वयं गलत

[श्री ब० रा० भगत]

या जल्दबाजी में काम नहीं कर सकता और साथ ही जिन परिस्थितियों में निदेशकों आदि को हटाया जा सकता है उनका स्पष्ट उल्लेख धारा ३६-क क में किया गया है। हम नहीं चाहते कि स्वेच्छाचारी ढंग से किसी को पदच्युत किया जाये अतः प्रस्तावित संशोधन में संतप्त व्यक्ति को अधिकार दिया गया है कि वह निश्चित अवधि में केन्द्रीय सरकार के पास अपील कर सकता है।

हम संयोगवश धारा ३६क ख में संशोधन कर रहे हैं, ताकि किसी बैंकिंग कम्पनी के अतिरिक्त निदेशकों की संख्या जहां कुल संख्या पांच से कम हो, उसके एक-तिहाई से अधिक न हो। बचाव के इन उपबंधों के होते हुए कोई आशंका नहीं रहनी चाहिये कि जो अधिकार हम ले रहे हैं उनका उपयुक्त प्रयोग नहीं किया जायेगा।

मैंने इस भाषण के प्रारम्भ में ही कहा था कि यह विधान सकारात्मक है न कि नकारात्मक। हम रिज़र्व बैंक को अतिरिक्त शक्तियां नहीं दे रहे या किसी सिद्धांत तथा विचारधारा के कारण उसके नियंत्रण के क्षेत्र को नहीं बढ़ा रहे। यह विधेयक हम इसलिए लाये हैं कि रिज़र्व बैंक अधिक प्रभावी ढंग से मुद्रा तथा ऋण नीति का नियंत्रण कर सके और इस प्रयोजन के लिए विभिन्न ऋण सम्बन्धी संस्थाओं के कार्यों का समन्वय कर सके। हम यह भी आशा करते हैं कि वाणिज्यिक बैंकों के प्रति भविष्य में लोगों का विश्वास बढ़ेगा और ये आज तक देश के विकास में जितना अंशदान कर सके हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण अंशदान कर सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"भारत का रक्षित बैंक अधिनियम, १९३४, बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ और भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, १९५९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

†**श्री मो० रु० मसानी** (राजकोट) : मैं संशोधन संख्या ४१ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री हिम्मतसिंहका** (गोड्डा) : मैं संशोधन संख्या २४ प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस विधयक के लिये निर्धारित समय ५ घंटे है। सामान्य चर्चा के लिये तीन घंटे और खण्डवार विचार के लिये २ घंटे।

†**श्री प्रभातकार** (हुगली) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इस से रिजर्व बैंक को बैंकिंग सम्वायों पर नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा। हम तो पहले से ही यह अनुरोध करते रहे हैं कि रिजर्व बैंक को देश के वित्त का अधिकाधिक नियंत्रण दिया जाये जिससे बैंकों के संसाधनों को देश के हित में लगाया जा सके। बैंकों के पास २,३०० करोड़ रुपया जमा है और देश के प्रायः ३०० बैंकों में से १२ बैंक इस बड़ी धनराशि के ८९ प्रतिशत पर नियंत्रण रखते हैं। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए हम मांग करते रहे हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। वह तो नहीं हुआ किन्तु यह विधान ठीक कदम है।

धन संग्रह के बारे में श्री मसानी का तर्क तो अच्छा है किन्तु हमें प्रतिशतता से कोई सरोकार नहीं। देखना तो यह है कि दस वर्ष पूर्व टाटा और बिरला की जो सम्पत्ति थी उसकी तुलना में अब कितनी सम्पत्ति उनके पास है। महलनोविस समिति के प्रतिवेदन का न जाने क्या किया गया है। कहा जाता है कि उसमें धन संग्रह का विश्लेषण किया गया है। इस विधेयक के पेश किये जाने पर बैंकों

---

†मूल अंग्रेजी में

की पत्रिकाओं ने इसी लिये इसका घोर विरोध किया था कि उनके धन संग्रह पर आघात किया जा रहा है। इसी लिए स्वतन्त्र उपक्रम के समर्थक क्रुद्ध हैं क्योंकि उनका भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है।

सरकार बैंकों में पैसा जमा करने वाले ६० लाख लोगों की संरक्षक है। अतः उसे यह देखना है कि यह रुपया जन समुदाय के हित में प्रयोग किया जाय और इसके लिये ही ये प्रतिरोध लगाये जा रहे हैं।

रिजर्व बैंक के "ट्रैंड एंड प्रोग्रेस" नामक प्रकाशन से पता लगता है कि बैंक किस प्रकार निदेशकों और एक वर्ग विशेष को ही ऋण देते हैं और इतने अधिकार मिल जाने पर भी रिजर्व बैंक इन बातों पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सका।

कराधान समिति के प्रतिवेदन से पता लगता है कि पूंजीपति किस प्रकार कर अपवंचन करते हैं और विधियों का उल्लंघन करने में दक्ष हैं। सीमा शुल्क और विदेशी मुद्रा का जो भी उल्लंघन होता है उसमें किसी न किसी बैंक का ही काम होता है। अतः जब तक बैंकों पर नियंत्रण न किया जायगा तब तक इस दुराचरण को नहीं रोका जा सकेगा।

खण्ड १२ में ऋण माफ करने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार या तो देना ही नहीं चाहिये क्योंकि यह लोगों का धन है, अथवा यदि अधिकार देना ही है तो इसका प्रयोग सरकार के परामर्श से करना चाहिये।

प्रबन्ध पर नियंत्रण से हजारों लोगों पर प्रभाव पड़ेगा किन्तु यह बहुत आवश्यक है। मैं एक साधारण से बैंक के बारे में जानता हूं जिसके प्रबन्धक को ६०० रुपया मासिक मिलता है किन्तु उसके कलकत्ता में दो विशाल भवन हैं। इस प्रकार बैंकों के पास इतनी आर्थिक शक्ति है कि वे संसद् की योजना को कभी भी असफल बना सकते हैं। एक दिन वित्त मंत्री ने कहा था कि १०,००० करोड़ रुपया ऐसा है जिसका लेखा-जोखा नहीं मिलता। इतने पैसे के साथ लोगों में सामर्थ्य है कि वे योजना को असफल बना सकते हैं अतः उन्हें पकड़ना आवश्यक है। समाजवाद की स्थापना तभी हो सकती है जब इन भेड़ियों को नष्ट किया जायगा।

†**श्री हिम्मतसिंहका** : मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाए क्योंकि इसके उपबन्धों का बहुत व्यापक प्रभाव है। इससे न केवल बैंकिंग समवाय अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है बल्कि बैंकिंग समवायों से भिन्न समवायों और संस्थाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। वित्त व्यवस्था करने वाली, ऋण देने वाली और स्टाक और शयरों का काम करने वाली सभी संस्थाओं को इसके प्रभाव में ले आया गया है।

ऐसा व्यापार न करने वाली संस्थाओं के लिये भी उपबन्ध हैं। रिजर्व बैंक को बहुत सख्त अधिकार दिये जा रहे हैं। इसमें प्रशासनिक कठिनाइयां भी पैदा होंगी। जो समवाय इसके अधीन आयेंगे उन्हें कितना अधिक काम करना होगा। उनमें से बहुत सी संस्थाओं को तो यह भी पता नहीं लगेगा कि यह विधेयक पारित हो गया है।

रिजर्व बैंक के पास अब भी व्यापक अधिकार हैं और वे वाणिज्यिक बैंकों को निदेश दे सकते हैं। कई मामलों में प्रबन्धकों तक को पदच्युत किया गया है। ऐसे सख्त उपबन्ध धारा ४५ जे० के० एल० आदि में किये गये हैं कि वाणिज्यिक बैंकों को सभी प्रकार के आदेश दिए जा सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हिम्मतसिंहका]

खण्ड ११ के अनुसार कुछ पेशगियां कुछ प्रकार के लोगों को नहीं दी जा सकतीं। अन्य उपबन्धों के अधीन रिजर्व बैंक पेशगियों के प्रयोजन के सम्बन्ध में भी आदेश दे सकता है। वास्तव में बैंकों के प्रबन्धक ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हिस्सेदार निर्वाचित करते हैं और निदेशकों के अधिकारों के दुरुपयोग के अधिक मामले नहीं हैं।

रिजर्व बैंक को यहां तक अधिकार दिये जा रहे हैं कि वह प्रबन्धकों और निदेशकों को बिना कारण बताये हटा सकता है जब कि किसी चपरासी को भी हटाया जाए तो वह न्यायालय में सुनवाई के लिये जा सकता है। निदेशकों को यह अधिकार भी नहीं दिया गया।

यदि दस व्यक्तियों के पांच पांच प्रतिशत हिस्से हों तो ये ५० प्रतिशत हिस्से हुए जब एक एक प्रतिशत हिस्से वाले २० व्यक्तियों के २० प्रतिशत हिस्से होते हैं। आप अल्पसंख्यक हिस्सेदारों को बहुसंख्यकों की तुलना में अधिक अधिकार दे रहे हैं। अतः विधयक को प्रवर समिति को सौंपना चाहिये।

†**श्री मो० ए० मसानी** : एक बैंक के मेरी राय में, चार कृत्य होते हैं। पैसा बचाने वालों के पैसे को सुरक्षात्मक ढंग से रखना; इस प्रकार समुदाय की बचतों को जुटाना; इन संसाधनों को उत्पादी प्रयोजनों के लिये उद्योगों में लगाना; तथा अपने उत्पादी कार्यक्रमों को चलाने के लिये उपक्रमियों को ऋण देना। कुछ उन्नत देशों में तो कृषि कार्यक्रमों के लिये भी बैंकों द्वारा धन का प्रबन्ध किया जाता है। बैंकिंग प्रणाली का एक-तिहाई भाग पहले से ही रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है। दो-तिहाई भाग हजारों छोटे छोटे अंशधारियों के हाथ में हैं। उनमें से कुछ बड़े बैंक हैं जिन्हें अनुसूचित बैंकों के नाम से पुकारा जाता है। इन सब पर नियंत्रण रखने के लिये रिजर्व बैंक को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय बैंकिंग समवायों ने अपना कार्य ठीक ढंग से चलाया है और अच्छी प्रगति की है। मुझे खेद है कि मंत्री महोदय ने इस विषय पर चर्चा करते समय इसका उल्लेख नहीं किया।

यदि बैंकिंग उद्योग में कहीं शक्ति का संचय है तो वह भारत के रिजर्व बैंक के हाथ में है। १९६१ में कुछ संचालकों के हाथों में अग्रिम धन का संचय कुल अग्रिम धन के २.३ प्रतिशत के लगभग बैठता है जब कि १९५३ में यह प्रतिशतता ३.८ थी अतः इससे स्पष्ट है कि निजी समवायों के हाथ में धन का संचय कम होता जा रहा है। कोई भी चीज़ जो बैंकिंग उद्योग के नाजुक ढांचे को हानि पहुंचाती है वह देश की अर्थव्यवस्था को ठेस पहुंचायेगी और वही चीज इस विधेयक द्वारा की जा रही है।

मेरे से पहले बोलने वाले साम्यवादी दल के मेरे माननीय सदस्य ने यह दावा किया है कि भारत सरकार ६० लाख निक्षेपकों के हितों की संरक्षक है। परन्तु मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि उन ६० लाख व्यक्तियों का विश्वास प्राप्त किया जाए तो यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि ये लोग निजी बैंकों में विश्वास रखते हैं। सरकार में उन लोगों का अधिक विश्वास नहीं है जो लोग अब बैंकों में अपना रुपया जमा करते हैं वे भविष्य में उसे अपने पास रखेंगे और उससे सोना खरीद कर अपने घरों में दबा लेंगे क्योंकि वे लोग ऐसी सरकार की बातों पर विश्वास नहीं करेंगे जो लोगों का धन जब्त करने पर तुली हुई है। यह ठीक है कि कहीं कहीं कुछ त्रुटियां हैं या कुछ गड़बड़ है परन्तु उसके कारण सारे उद्योग को पंगु कर देना युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि यदि कोई मंत्री अथवा सरकारी अधिकारी भ्रष्ट है तो समूची सरकार को नहीं हटाया जा सकता। हां, जहां कहीं भी सरकार को गोलमाल नजर आती है वह उस बैंकिंग समवाय के बारे में उचित कार्यवाही कर सकती है परन्तु समूचे उद्योग को ही इस विधेयक की लपेट में लाना उचित नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रिजर्व बैंक गत १० वर्षों से काफी अच्छा कार्य करता आ रहा है। इस विधेयक द्वारा जो भार उस पर डाला जा रहा है उससे रिजर्व बैंक अन्य बैंकों पर ठीक तरह से नियंत्रण नहीं रख सकेगा और उनका उचित रूप से मार्ग दर्शन भी नहीं कर सकेगा। स्वयं रिजर्व बैंक भी अपने कृत्यों का ठीक तरह से पालन नहीं कर सकेगा।

साम्यवाद दल के मेरे माननीय सदस्य द्वारा कहा गया है कि यह विधेयक बैंकिंग उद्योग को खत्म नहीं करना चाहता। निस्सन्देह यह विधेयक इस उद्योग का अन्त तो नहीं करता परन्तु यह इसे पंगु जरूर बनाता है जो इसका अन्त करने के लिये पहला कदम है। इसी लिये साम्यवादी सदस्यों ने इस विधेयक का स्वागत किया है। प्रत्येक देश का साम्यवादी दल यही चाहता है कि उस देश की स्थिति और अधिक दयनीय हो जाए। अतः जिस बात का साम्यवादी सदस्यों द्वारा समर्थन किया जाए उस पर सरकार को फिर से विचार करना चाहिये।

मैं कांग्रेस दल के पूर्व वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों से पूर्णतया सहमत हूं। उन्होंने कहा है कि वे यह सोच कर कांपने लगते हैं कि इन शक्तियों के रिजर्व बैंक को दिये जाने के बाद देश के बैंकिंग उद्योग की क्या दशा होगी। मैं कांग्रेस के ऐसे सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे देश की भलाई के लिये कांग्रेस दल को छोड़ कर किसी अन्य दल में सम्मिलित हो जायें।

खण्ड १८, ११, १३ तथा ९ द्वारा जो शक्तियां दी जा रही हैं वे बहुत भीषण हैं। इनके द्वारा रिजर्व बैंक को किसी निदेशक अथवा अन्य कर्मचारी को हटाने की शक्ति होगी। यह ठीक है कि सामान्यतया उसकी सुनवाई होगी परन्तु रिजर्व बैंक, यदि वह ऐसा करना चाहे, तो किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना पद से हटा सकता है। यह सामान्य विधि के सिद्धांतों के विरुद्ध है। क्या हम संविधान के अधीन ऐसी परिस्थितियां पैदा करना चाहते हैं जिसके प्रति हम सब को गर्व है?

रिजर्व बैंक अपने कर्मचारियों को नौकरी से नहीं हटा सकता है परन्तु इसे किसी अन्य बैंक के किसी कर्मचारी को मनमाने ढंग से हटाने का अधिकार दिया जा रहा है। अतः यह एक मजदूर विरोधी विधान है। इस विधेयक के पारित हो जाने से बैंक के प्रबन्धक तथा निदेशक अपने अन्शधारियों तथा निक्षेपकों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर सकेंगे। यही कारण है कि हमारा दल इस विधेयक का विरोध करता है।

गैर-बैंकिंग समवायों के बैंकिंग का कार्य करने के अधिकार को भी छीना जा रहा है। हमारे देश में बैंकिंग उद्योग अभी पनप नहीं पाया है। गांवों में लोगों को बैंकों का कोई ज्ञान नहीं है। वे ऐसे समवायों के हाथों में ही अपना पैसा रख सकते हैं अतः उनके स केवल मात्र साधन को समाप्त करना उचित नहीं है।

स विधेयक के उद्देश्य भ्रमोत्पादक हैं। स विधेयक को बैंकिंग उद्योग को पंगु करने वाले विधेयक की संज्ञा दी जानी चाहिए थी। इसमें कोई भी अच्छा सुझाव नहीं है। मैं स विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने के संशोधन से सहमत नहीं हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अनुभवों से यह स्पष्ट हो गया है कि यह सरकार प्रवर समिति के प्रतिवेदन को कोई महत्व नहीं देती। अतः मैं यह संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं कि इस विधेयक को, उस पर २९ फरवरी, १९६४ तक जन मत जानने के लिये, परिचालित किया जाये। मैं यह जानता हूं कि वे इस संशोधन को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वे जल्दी में विधेयक को पास करना चाहते हैं।

मैं यह सुझाव ूंगा कि एक उच्च स्तरीय जांच आयोग नियुक्त किया जाये। वह आयोग बैंकिंग उद्योग के हर पहलू की जांच करे और उसका प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाये

[श्री मी० रु० मसानी]

और उसकी सिफारिशों के आधार पर यहां विधान लाया जाये। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो सरकार को बिना किसी आधार के बैंकिंग उद्योग के विरुद्ध कार्यकाही करने का कोई अधिकार नहीं है।

†**श्री मुरारका** (झुंझनू) : यहां एक कड़ा उपबन्ध है तथा जब तक इस विधेयक के विभिन्न उपबन्धों की जांच नहीं कर ली जाती, यह संविधि-पुस्त पर रखे जाने के योग्य नहीं है। यह विधेयक प्रवर मिति को निर्दिष्ट किया जाना चाहिये। सके कारण निम्न हैं। पहली बार रक्षित बैंक का कार्यक्षेत्र ब ाया जा रहा है। वाणिज्यिक बैंकों के अतिरिक्त प्रत्येक वित्तीय संस्था पर रक्षित बैंक का नियंत्रण होगा। प्रत्येक ऐसी संस्था पर जो जनता का पैसा जमा करती है रक्षित बैंक का नियंत्रण रहेगा। इस विधेयक द्वारा मूलभूत अधिकार, अर्थात् सम्पत्ति का अधिकार, बहुत कम किया जा रहा है। मतदान अधिकारों को भी पांच प्रतिशत से कम करके १ प्रतिशत किया जा रहा है। इस विधेयक द्वारा रक्षित बैंक को किसी बैंकिंग समवाय के बोर्ड पर पांच निदेशक तक नियुक्त करने का अधिकार दिया जा रहा है। स प्रकार राष्ट्रीयकरण किये बिना ही सरकार बैंकों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगी। सब से आपत्तिजनक बात तो यह है कि रक्षित बैंक को किसी बैंक के चेयरमैन प्रबन्ध निदेशक, निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को पद से हटाने का अधिकार होगा। समवाय अधिनियम में भी, जिसका अभी कुछ दिनों पहले संशोधन किया गया है, एक न्यायाधिकरण का उपबन्ध किया गया है। उस न्यायाधिकरण की सिफारिश पर ही किसी व्यक्ति को समवाय के प्रबन्ध से हटाया जा सकेगा। परन्तु इस विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। रक्षित बैंक को ही यह सब अधिकार दिये जा रहे हैं। चाहे रक्षित बैंक कितना ही पक्षपातरहित क्यों न हो, फिर भी देश के नागरिकों के हितों की रक्षा के लिये किसी संरक्षण का उपबन्ध किया जाना चाहिये।

इस विधान से जिन निकायों पर प्रभाव पड़ेगा उनसे कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस विधेयक को पास करने में तनी जल्दी क्यों की जा रही है। यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये ताकि विधेयक पर पूर्णतया विचार किया जा सके।

इस विधेयक के कई उपबन्ध बड़े अच्छे हैं तथा कुछ ऐसे हैं जिन पर सावधानी से विचार किये जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिये मतदान संबंधी उपबन्ध को ले लीजिये। जीवन बीमा निगम सबसे बड़ा सरकारी अंशधारी है। इसके एक बैंक में २७ प्रतिशत अंश हैं। जैसे ही यह विधेयक पास हो जायेगा, निगम के वर्तमान २७ प्रतिशत मतदान अधिकारों के स्थान पर १ प्रतिशत मतदान अधिकार रह जायेंगे। जहां तक व्यक्तियों का सम्बन्ध है यदि किसी व्यक्ति के २० प्रतिशत अंश हैं तो वह आसानी से उनका हस्तांतरण कर सकता है। वे अंश आसानी से २० व्यक्तियों में बांटे जा सकते हैं और इस तरह उनके मतदान अधिकारों पर इस विधान के पास हो जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः इससे केवल सरकारी संस्थाओं जैसे जीवन बीमा निगम तथा एकक प्रन्यास, जिसकी स्थापना की जाने वाली है, आदि को ही हानि पहुंचेगी। हां, यदि सरकार साथ साथ यह भी उपबन्ध कर देती कि अंश हस्तांतरित नहीं किये जा सकते तो गैर-सरकारी लोग अपने अंशों का हस्तान्तरण नहीं कर सकते थे। परन्तु इस उपबन्ध के न होने के कारण केवल सरकार

को ही हानि पहुंचेगी। इसीलिये मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक के उपबन्धों पर अच्छी तरह विचार किया जाना चाहिये।

यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि रक्षित बैंक अपने निदेशकों अथवा अधिकारियों को तो हटा नहीं सकता परन्तु किसी अन्य बैंक के निदेशक आदि को हटाने का इसे अधिकार होगा और बिना कोई कारण बताये वह ऐसा कर सकेगा। यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। हां, यदि मैं कोई कार्य करता हूं और किसी न्यायिक निकाय द्वारा दोषी पाया जाता हूं तो जो भी दण्ड उचित हो मुझे दिया जाये। परन्तु बिना किसी न्यायिक सुनवाई के तथा बिना कोई कारण बताये किसी व्यक्ति को उसके पद से हटाना सर्वथा अनुचित है।

सरकार ने यह संशोधन दिया है कि रक्षित (रिजर्व) बैंक को एक समवाय के बोर्ड पर ५ अथवा उस बोर्ड पर जितने निदेशक होंगे उनकी संख्या का एक-तिहाई निदेशक, दोनों में से जो भी कम हों, नियुक्त करने का अधिकार होगा। सरकार का इससे यह अभिप्राय है कि वह निदेशक बोर्ड में बहुमत प्राप्त करना नहीं चाहती। यदि ऐसा है तो फिर ५ अथवा एक-तिहाई संख्या में निदेशक रखने की क्या आवश्यकता है। या तो सरकार बहुमत प्राप्त करे और बैंक के कार्यों को चलाये अन्यथा वह निदेशक बोर्ड पर एक ही व्यक्ति से काम चला सकती है। रक्षित बैंक द्वारा ५ निदेशकों का किसी समवाय के निदेशक बोर्ड पर नियुक्त किया जाना किसी के लिये भी हितकर नहीं होगा।

लोक हित तथा व्यापारी वर्ग की नैतिक उन्नति करने की आड़ में नौकरशाही सरकार अधिक से अधिक शक्तियां अपने हाथ में लेना चाहती है। इन शक्तियों के होने से, सरकारी निदेशकों को अपनी मनमानी करने का अवसर मिल जाता है।

इस विधेयक द्वारा रिजर्व बैंक को बहुत व्यापक शक्तियां दी जा रही हैं अतः यह प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये ताकि संबंधित पक्षों को अपने दृष्टिकोण समिति के समक्ष रखने के अवसर मिल सकें।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो बिल इस सदन के सामने आया है उस से कुछ निराशा सी हुई। जिस समय इस हाउस के सामने बैंक्स के राष्ट्रीयकरण का बिल आया था, उसका जितना अच्छा रिस्पांस और जितना स्वागत इस हाउस के अन्दर और देश के अन्दर हुआ था उससे ऐसा मालूम होता था कि सरकार बहुत जल्दी कोई ऐसा कानून लायेगी जिस से कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जायेगा। इस के साथ ही साथ अभी कई सदस्यों ने कहा, और यह कोई नई बात नहीं थी, कि काफी समय नहीं दिया गया, इन सब चीजों पर काफी विचार होना चाहिये।

हमारे यहां सन् १९४७ में कांग्रेस ने एक एकानमिक प्रोग्राम कमेटी बनाई थी जिसके अध्यक्ष हमारे प्रधान मंत्री थे। उन्होंने सन् १९४७ में यह सिफारिश की थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिये। मेरा खयाल है कि सन् १९४७ से ले कर आज सन् १९६३ तक काफी समय हो गया और सरकार तथा कांग्रेस और जो सदस्य इस हाउस के अन्दर और बाहर हैं वे इन सब चीजों पर विचार करते रहे हैं। इस के बावजूद भी, जो निराशा इस से हुई है उस के बावजूद भी, जो बिल इस हाउस के अन्दर आया है मैं उसका स्वागत करती हूं क्योंकि इस बात को सरकार ने महसूस किया कि रिजर्व बैंक के पास जो पावर्स हैं दूसरे बैंकों को रेगुलेट करने के लिये वे काफी नहीं हैं।

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

जो हमारे बैंक हैं उनके साथ दूसरी कम्पनियों की तरह सलूक नहीं होना चाहिये । जैसा मैंने पहले कहा, यह हमारे यहां की एक की इन्डस्ट्री है और सारे देश का इंटरेस्ट उनके हाथों में रहता है । डिपाजिटर्स के इंटरेस्ट के अलावा पब्लिक इंटरेस्ट में आज एक ऐसा बिल अगर लाया गया है जिससे रिजर्व बैंक का कंट्रोल उन पर बढ़े तो हम सब लोग उस का पूरा स्वागत करेंगे ।

जिन माननीय सदस्यों ने इस बिल का विरोध किया है उन के भाषण सुनने के बाद तो मेरा विश्वास और भी पक्का हो गया है कि सचमुच यह बिल बहुत मुनासिब है और जरूर इस से कुछ न कुछ फायदा होने वाला है । इसीलिये वे लोग इस का विरोध कर रहे हैं । उन्होंने अपनी स्पीचों में बहुत सी गलत बातें भी कहीं और कुछ यह भी सिद्ध करना चाहा हम लोगों के सामने कि किस तरह से यह बिल डिपाजिटर्स और देश को फायदा पहुंचाने वाला है । यह भी जिक्र हुआ कि हमारे यहां किस तरह से यह जो बैंक हैं वह मालप्रैक्टिसेज़ में चले जाते हैं, किस तरह से बदइन्तजामी करते हैं और किस तरह से वे अपने लोगों के रुपयों का दुरुपयोग करते हैं । यह कोई नई कहानी नहीं है इसलिये मैं उसको इस सदन के सामने दोहराना नहीं चाहती । लेकिन मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि इस बात को मानते हुए भी कि बैंकों का मिसमैनेजमेंट हो सकता है और उसके रुपये का अच्छी तरह उपयोग नहीं हो पाता है लोग कहते हैं कि बैंकों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है । इस बात को मानते हुए भी कि सरकार ने कोई अच्छा कदम नहीं उठाया, अगर यह कदम उठाने के बाद भी, डाइरेक्शन्स देने के बाद भी, इन्स्ट्रक्शन्स देने के बाद भी, वहां मिसमैनेजमेंट होता है, वहां का प्रबन्ध ठीक नहीं होता है तो क्यों न सरकार उस बैंक को ले ले, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है । हालांकि आज हम समझते हैं कि सब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो सकता है लेकिन अगर कुछ लोगों का विचार हो कि सब बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकता तो जिस बैंक के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक सैटिसफाइड हो, सरकार को सैटिस्फैक्शन हो कि उसका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, बावजूद इन्स्ट्रक्शन्स के, बावजूद सुपरविजन के, बावजूद डाइरेक्शन्स के, गड़बड़ी चल रही है, तो मैं समझती हूं कि रिजर्व बैंक को यह अख्त्यार होना चाहिये कि वह उस पर कंट्रोल करवा सके और अगर मुनासिब समझे तो उस को ले ले ।

कहा गया कि अगर इस किस्म की कोई तहकीकात शुरू हो जाय, तो बैंक पर रश हो जायेगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि कुछ बैंकों के बारे में, जिनका मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझती, लोग कहानियां लिए घूमते हैं, उनके मिसमैनेजमेंट के कागज लिए घूमते हैं, टेप रिकार्ड किए हुए बयान लिए घूमते हैं, चिट्ठियां लिए घूमते हैं, अगर उनकी शिकायतों को सुनने का और उनका इनवेस्टीगेशन करने का सरकार ने इन्तिजाम न किया तो बाहर जो अफवाहें फैलेंगी वे बैंकों को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचायेंगी । अगर रिजर्व बैंक यह कह दे कि हम जांच करेंगे और मिसमैनेजमेंट मालूम होने पर उस बैंक को टेक ओवर कर लेंगे, तो कमसे कम लोगों में बैंकों की तरफ से अधिक विश्वास हो जायगा । बैंक समझेंगी कि शिकायत होने पर हमारी जांच होगी और बैंक को टेक ओवर भी किया जा सकता है, तो वे अच्छा काम करेंगी । इसलिए इसमें यह प्रावीजन होना चाहिये कि अगर जांच करने पर पता चले कि इस बैंक में मिसमैनेजमेंट है तो उसको सरकार को ले लेना चाहिये ।

अभी इस बिल में यह प्रोवाइड किया गया कि सरकार एक से ज्यादा डाइरेक्टर मुकर्रर कर सकती है । मुझे खुशी है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो नया अमेंडमेंट लाए हैं उसमें उन्होंने यह जोड़ दिया है कि परमानेंटली हटाने के अलावा अगर रिजर्व बैंक मुनासिब समझेगी तो वह उनको एक किस्म से ससपेंड भी कर सकती है और काम पर से हटा सकती है । इस बारे में मुरारका साहब ने कहा

कि चोर को भी सजा दी जाती है तो उसको सफाई का मौका दिया जाता है, कातिल को भी सजा दी जाती है तो उसको सफाई का मौका दिया जाता है । पर इतना तो वे जरूर मानेंगे कि अगर किसी पर शुबहा है और विश्वास हो गया है कि वह चोर है तो उसको उस काम से हटा देना ठीक है ताकि वह और भी चोरी न कर सके । आप जानते हैं कि बैंकों में छोटे छोटे लोगों का रुपया होता जिस आदमी पर चार्ज साबित हो जाय या जिस पर पक्का शुबाहा हो जाय, अगर उसको हटाया न जायगा तो मुरारका साहब और मसानी साहब जानते हैं कि वह किस तरह से खुर्द बुर्द कर सकता है । मैं यह नहीं कहती कि वह ऐसा करते हैं, लेकिन वे बिजनेस करते हैं इसलिए जानते हैं कि अगर उस आदमी को वहां से हटाया न जाय तो वह ऐसा नक्शा बना देगा कि आपको पता नहीं लगेगा कि उसने क्या किया है और क्या नहीं किया है । तो यह बहुत अच्छा प्रावीजन है और मैं इसका स्वागत करती हूं ।

लेकिन जैसाकि मुरारका साहब ने कहा कि इसमें जो एक डाइरेक्टर या पांच से कम डाइरेक्टरों को मुकर्रर करने की बात है वह मेरी समझ में नहीं आई । हो सकता है कि यह टैकनिकल मामला हो और हमारी समझ में न आता हो । एक या पांच डाइरेक्टर वहां जा कर क्या करेंगे, शायद खबरें लाकर दें । वे क्या कंट्रोल कर सकेंगे । एक तिहाई से कम डायरेक्टर होने से रिजर्व बैंक किस तरह से उनका खयाल रख सकेगी । इस चीज को मैं चाहती हूं कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब समझायें । मैं तो यह कहना चाहती हूं कि इसके लिए इसमें, एक ऐसा प्रावीजन होना चाहिये कि अनसीक्योर्ड लोन बैंक को अपने डाइरेक्टरों को नहीं देना चाहिये । बल्कि मेरा तो यह भी विचार है कि अनसीक्योर्ड लोन न सिर्फ उसी बैंक के डाइरेक्टरों को न दिया जाय, साथ ही दूसरे बैंकों के डाइरेक्टरों को भी न दिया जाय । क्योंकि अगर यह तरीका जारी रहेगा कि दूसरे बैंक के डाइरेक्टरों को अनसीक्योर्ड लोन दिया जाय, तो एक ग्रुप बन जायगा, और एक बैंक दूसरे बैंकों के डाइरेक्टरों को इस तरह का लोन देने लगेंगे । और यह लेनदेन चलेगा और इसको रोकना मुश्किल हो जायगा । मेरा तो ऐसा कहना है कि एक लिमिट मुकर्रर हो जाय कि उस लिमिट के ऊपर कोई भी अनसीक्योर्ड लोन रिजर्व बैंक की इजाजत के बिना नहीं देना चाहिये क्योंकि अनसीक्योर्ड लोन का बहुत नाजायज इस्तेमाल हो जाता है ।

इसी तरह से मुझे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से यह भी कहना है कि यह रेमिट करने की पावर दी गई है रिजर्व बैंक से पूछ कर और अपने डाइरेक्टर्स को रेमिट न कर सकें यह भी मेरी समझ में नहीं आया । यह बैंक ट्रस्ट की तरह है । जिस तरह से ट्रस्ट से लिया हुआ पैसा रेमिट नहीं किया जा सकता, उसी तरह से बैंक का दिया हुआ कर्जा भी रेमिट करने की किसी को भी इजाजत नहीं होनी चाहिये । इसलिये मैं चाहती हूं कि ऐसा बैंक अपने डाइरेक्टर्स के लिये भी न कर सके ।

और इसमें यह भी प्रोवाइड किया गया है कि अगर कोई रिजर्व बैंक की इजाजत के बिना रेमिट करने की कार्रवाई करेगा तो उस कार्रवाई को बाइड माना जायगा । मेरा ऐसा खयाल है कि यह काफी नहीं है । अगर कोई इतना बड़ा कुसूर करे कि लोगों का डिपाजिट बिना इजाजत के रेमिट कर दे तो मेरा खयाल है उसे एमबैजिलमेंट की तरह ट्रीट करना चाहिये, उस कार्रवाई को नल एंड वायड करना काफी नहीं है । जो इस तरह पबलिक के पैसे को खुर्द बुर्द कर दे उस को सख्त सजा होनी चाहिये, और मेरा खयाल है कि उसको इंडियन पीनल कोड की दफा ४०९ में सजा दी जानी चाहिये । इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहती हूं ।

अभी मसानी साहब ने बैंकों के फंक्शन बतलाए । लेकिन मैं पूछती हूं कि कितने ऐसे बैंक हैं जो अपने फंक्शन को ठीक तरह अंजाम देते हैं । हमने देखा है कि २५ परसेंट तो वे स्टाक एक्सचेंज में लगा देते हैं ।

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

मसानी साहब ने अभी चैलेंज किया है कि इस बिल को लेकर प्लेबिसाइट करा ली जाय। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगी कि वे इस बात को मान लें, और सिर्फ इसी सवाल को लेकर नहीं बल्कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सवाल को ले कर प्लेबीसाइट करा लें। अगर वह ऐसा करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा देश इस बात से सहमत होगा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण फौरन किया जाय और सिर्फ इतना ही अमेंडमेंट करके न छोड़ा जाय।

आज हमारे देश के पूंजीपतियों का रवैया सरकार के साथ यह है कि तुम डाल डाल तो हम पात पात, यानी अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो वे ऐसे तरीके निकालते हैं कि उसमें से किस तरह निकल जायें। तो मेरा कहना है कि सरकार को ऐसा इन्तिजाम कर देना चाहिये कि पबलिक मनी के साथ वे लोग और खेल न खेल सकें।

†श्री बड़े (खारगोन) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि हम नहीं चाहते कि सरकार बैंकों को अपने हाथ में ले। हम यह भी नहीं चाहते कि किसी व्यक्ति के हाथ में धन का संचय हो। हम चाहते हैं कि बैंक नियमित रूप से कार्य करें। मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाय। क्योंकि इस विधेयक में कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जो कृषकों तथा देहात में रहने वाले लोगों के लिये हितकर नहीं हैं। छोटे छोटे साहूकार भी, जो कृषकों को रुपया उधार देते हैं, इस विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत आ जायेंगे। उन्हें भी रिजर्व बैंक को अपना वार्षिक संतुलन-पत्र भेजना पड़ेगा जिसके कारण ये साहूकार कृषकों को ऋण देना बन्द कर देंगे। सहकारी समितियां केवल ३ प्रतिशत ऋण देती हैं, शेष इन साहूकारों द्वारा ही दिया जाता है। ये लोग अनपढ़ हैं। इन साहूकारों द्वारा कृषकों का बहुत शोषण किया जाता था अतः सारे राज्यों ने इस बारे में कोई न कोई विधान लागू किये हैं ताकि ये साहूकार केवल कुछ सीमा तक उधार दे सकें और अधिक ब्याज न ले सकें। इस विधेयक में कोई इस प्रकार का उपबन्ध किया जाना चाहिये कि १०,००० अथवा २०,००० प्रति वर्ष उधार देने वाले साहूकारों पर इस विधेयक के उपबंध लागू नहीं होंगे।

विधेयक में यह भी उपबन्ध है कि कोई भी प्रबन्धक या अन्य व्यक्ति जो अपने पद से हटाया जाता है प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। केवल इसी कारण कि वह अपने पद से हटाया गया है किसी व्यक्ति को प्रतिकर का न दिया जाना सामान्य विधि तथा न्यायशास्त्र के मान्यता-प्राप्त सिद्धांतों के विरुद्ध है।

जहां तक ऋणों के छोड़ जाने का प्रश्न है विधेयक में यह उपबन्ध है कि ऐसा रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति से किया जा सकेगा। श्री मुरारका यह चाहते हैं कि इसके लिये रिजर्व बैंक की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है अपितु निदेशकों की स्वीकृति से ही ऋण छोड़े जा सकते हैं। कुछ ऐसे अशोध्य ऋण होते हैं जिन्हें बैंकों को छोड़ना पड़ता है। यदि इस बारे में कोई समझौता हो जाता है तो बैंकों को ही ऋणों को छोड़ने का अधिकार दे दिया जाना चाहिये।

विधेयक में यह भी उपबन्ध है कि केवल वही समवाय जो अपने को बैंक के नाम से चलाते हैं निक्षेपकों का रुपया जमा कर सकेंगे या उधार दे सकेंगे। यह उचित नहीं है। हमारे देश में लाखों ऐसे व्यक्ति हैं जो किराने की दूकान करते हैं और रुपये उधार पर देने का काम भी करते हैं। उनके लिये यह आवश्यक नहीं होना चाहिये कि वे अपनी दूकानों को बैंक का नाम दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

कई बैंकों द्वारा निक्षेपकों के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है। बैंक सारे बाजार पर अपना एकाधिपत्य जमा लेते हैं। अतः सरकार ने इस विधेयक में इन बैंकों को विनियमित करने का जो उपबन्ध रखा है वह उचित है। मैं दूसरी ओर बैठ हुए अपने माननीय सदस्य द्वारा लाये गये इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि इस विधेयक को सभा की प्रवर समिति को सौंपा जाये ताकि इस विधेयक में जो थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं वे दूर की जा सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री व० बा० गांधी** (बम्बई-नगर मध्य दक्षिण) : सरकार इस विधेयक द्वारा बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त कर रही है। रिजर्व बैंक को पहले से ही रिजर्व बैंक अधिनियम तथा बैंकिंग समवाय अधिनियम के अधीन काफी शक्तियां प्राप्त हैं जिनके द्वारा वह बैंकिंग उद्योग पर अच्छी तरह से नियन्त्रण रख सकता है। मतदान अधिकारों को ५ प्रतिशत से १ प्रतिशत करने का जो उपबन्ध रखा गया है वह उचित नहीं है। इससे बैंक अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर सकेंगे। हमें यह जानकारी दी जानी चाहिये थी कि अन्य किन किन देशों में बैंकों के अंशधारियों के अधिकार इतने अधिक कम कर दिये गये हैं।

विधेयक के खण्ड १८ के अधीन रिजर्व बैंक को प्रबन्ध अधिकारी या अन्य कर्मचारी को पद से हटाने की शक्ति दी गई है। यह उचित ही है कि किसी प्रबन्धक को हटाने से पहले रिजर्व बैंक को यह सिद्ध करना होगा कि लोकहित तथा निक्षेपकों के हित में ऐसा करना आवश्यक है। यह भी दिया हुआ है कि ये कारण लिखित रूप में दिये जायेंगे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण संरक्षण है। परन्तु साथ साथ यह भी दिया हुआ है कि बिना कोई कारण बताये किसी निदेशक आदि को हटाया जा सकता है। अतः रिजर्व बैंक को इस प्रकार की असीमित शक्तियां देना वांछनीय नहीं है। इनसे प्रबन्धकों को हर समय खतरा बना रहेगा। इस विधेयक में मन्त्री महोदय द्वारा अभ्यावदन आदि करने के बारे में जो संशोधन किये गये हैं उनसे स्थिति में काफी सुधार हो गया है।

†**श्री भागवत झा आजाद** (भागलपुर) : श्री मसानी और श्री मुरारका का इस विधेयक के बारे में कहना है कि सरकार राष्ट्र हित में कुछ व्यक्तियों से शक्तियां क्यों छीन रही है, परन्तु मेरा अपना मत है कि सरकार कब तक राष्ट्रहित से खेलती रहेगी और इन कुछ व्यक्तियों के पास शक्तियां रहने देगी।

अब समय आ गया है जबकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये। कांग्रस ने १९४८ में अपने जैपुर के अधिवेशन में स्वीकार किया था कि जीवन बीमा और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये। यह संस्था जनता के धन पर पल रही है।

हमने बार बार इस सभा में यह सिद्ध किया है कि कुछ व्यक्ति जमाकर्ताओं के हितों से खेल रहे हैं। ये चन्द व्यक्ति जिनके हाथों में बैंक संस्थाएं हैं राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था का विनाश कर रहे हैं। ऐसा केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं अपितु कुछ एक अल्प संख्यक व्यक्तियों को छोड़ कर सभा के सभी सदस्यों का यह मत है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये।

हम लोग सिद्धान्तवादी नहीं हैं। श्री मसानी सिद्धान्तवादी हैं। यदि वे इस समय सभा में उपस्थित होते तो मैं उन्हें बताता कि रौस्टो जैसे अर्थशास्त्री ने भी कुछ दुख के साथ यह स्वीकार किया है कि अब अमरीका और यूरोप के लोग ये चाहते हैं कि सरकार उनके हितों के लिये देश के आर्थिक कार्यों में अधिक से अधिक भाग ले। फिर भी अमरीका में राष्ट्र की २० प्रतिशत आय सरकार द्वारा बांटी जाती है जबकि भारत में मुश्किल से १० प्रतिशत आय बांटी जाती है। एकाधिकार और पूंजीवाद बैंक उद्योग में बुरी बातें हैं अतः करोड़ों व्यक्तियों के कल्याण के लिये पूंजीवाद को समाप्त कर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भागवत झा आजाद]

देना चाहिये । हमने समाजवादी ढंग के समाज को स्वीकार किया है जिसका कि अर्थ लोक कल्याण को बढ़ावा देना है । यदि हम इस सिद्धान्त में विश्वास करते हैं तो यह आवश्यक है कि सरकार सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण करे ।

इस विधेयक के उपबन्धों से समस्या का पूरा समाधान नहीं होता । बैंकों के निदेशक कानूनों को तोड़ना मोड़ना अच्छी तरह जानते हैं । अतः अब समय है जबकि सरकार को बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये । ऐसा करना समाजवाद के सिद्धान्त, लोकमत और कांग्रेस के जैपुर के संकल्प में प्रकट किये गये विचारों के अनुसार होगा ।

माननीय मंत्री ने कहा कि इस विधेयक के लाने से आर्थिक शक्ति के कुछ हाथों में इकट्ठा होने को समाप्त कर दिया जायेगा । मेरी समझ में नहीं आता कि केवल ३ या ४ उपबन्ध से ऐसा किस प्रकार हो सकेगा । कानूनों के होते हुए भी सरकार कई दोषों को दूर नहीं कर सकी इससे यह सिद्ध होता है कि इस विधेयक से कोई विशेष लाभ नहीं होगा और इसका एकमात्र समाधान राष्ट्रीकरण ही है ।

मेरे मित्रों ने कहा कि इस विधेयक को प्रवर समिति को दे दिया जाये । परन्तु किस लिये ? श्री मसानी ने बैंकर के कार्यों के सम्बन्ध में केवल तीन या चार बातें कही हैं । एक तो यह कि निक्षेप सुरक्षित रहते हैं दूसरे यह कि संसाधनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और तीसरे यह कि उद्यमकर्ता को सहायता मिलती है । परन्तु वे राष्ट्रहित की सबसे महत्वपूर्ण बात को भूल गये । इन व्यक्तियों के हाथों में धन किस प्रकार सुरक्षित रह सकता है ? वे तो अपने हाथों में धन जमा करने के लिये इसकी हेरा फरी करेंगे । वे सज्जन जो शिष्टाचार की बातें करते हैं मैं उनको बता दूं कि मैंने किसी का शोषण नहीं किया है । इसलिये मैंने पूंजीवादी शिष्टाचार नहीं सीखा और न ही सीखने की इच्छा है । मैं तो केवल एक ही शिष्टाचार जानता हूं और वह जनता का शिष्टाचार है और यह शिष्टाचार चाहता है कि सरकार को शीघ्र ही बैंकों के राष्ट्रीकरण का विधेयक बनाना चाहिये ।

†**श्री गौरी शंकर कक्कड़** (फतेहपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । परन्तु मेरी शिकायत यह है कि देश के निर्धन लोगों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार को बैंकों का राष्ट्रीकरण करने में हिचकिचाहट क्यों है ।

विभिन्न प्रकार के बैंक इस समय कार्य कर रहे हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में महाजनी अभी भी चल रही है । मैं देखता हूं कि किसानों के फायदे के लिये कुछ नहीं किया गया है । सहकारी क्षेत्र में ऋण देने वाली बैंकें होनी चाहियें । यह हर्ष की बात है कि हाल ही में रक्षित बैंक और राज्य सरकारों ने शिखर बैंकों को कुछ धन देना आरम्भ किया है जो अन्त में ग्रामों में सहकारी समितियों को मिल जाता है । परन्तु इससे ग्रामों की केवल ६-७ प्रतिशत जनता को ही लाभ पहुंचता है । यदि बैंकों का राष्ट्रीकरण हो गया होता तो किसान अधिक सूद देने से बच जाता । साहूकारी और महाजनी सूद की ऊंची दरें लेकर किसान का शोषण कर रही हैं ।

मेरी समझ में नहीं आता कि इस विधेयक के विरुद्ध श्री मुरारका ने मूल अधिकारों का सहारा क्यों लिया है । मैं पूछता हूं कि जिस समय जमींदारी को समाप्त किया गया तब मूल अधिकार कहां चले गये थे ? बैंकिंग की वर्तमान व्यवस्था से केवल चन्द पूंजीपतियों को धन इकट्ठा करने में प्रोत्साहन मिलता है । मेरे माननीय मित्र श्री आजाद ने कहा कि उनके दल ने १९४८ में बैंकों और जीवन बीमा

---

†मूल अंग्रेजी में

के राष्ट्रीकरण करने का संकल्प स्वीकार किया था। मुझे खेद है कि वही संगठन जो समाजवादी ढंग की अर्थव्यवस्था का दावा करता है, मुट्ठी भर पूंजीपतियों को धन जमा करने में प्रोत्साहन देता है। हमारे प्रधान मन्त्री के ये शब्द हैं कि हमारे देश में निर्धन लोग दिन प्रतिदिन और निर्धन होते जा रहे हैं और अमीर लोग दिन प्रतिदिन और अमीर होते जा रहे हैं। इसके लिये कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस सरकार और प्रधान मन्त्री।

यदि किसी बैंक में कुप्रबन्ध है तो उसका समस्त प्रबन्ध रक्षित बैंक को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। मैं श्री मुरारका के इस विचार से सहमत नहीं हूं कि रक्षित बैंक अभियोक्ता भी है और न्यायाधीश भी है। मुझे रक्षित बैंक में विश्वास है। रक्षित बैंक के हाथ मजबूत करना किसान और निर्धन लोगों के हित में होगा। यदि इस विधेयक के लाने से बैंकों के राष्ट्रीकरण करने के लिये वातावरण बनाना है तो मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री शीघ्र ही सम्पूर्ण बैंकिंग व्यवस्था के राष्ट्रीकरण का विधेयक लायेंगे। और यह समाजवादी ढंग की अर्थव्यवस्था की दिशा में सही कदम होगा।

†श्री केप्पन (मुवात्तुपुजा) : श्रीमन्, इस विधेयक के द्वारा रक्षित बैंक को जो असीमित शक्तियां दी जा रही हैं मैं उसका विरोध करता हूं। मैं बैंकों के राष्ट्रीकरण का विरोध नहीं करता। यदि आप ऐसा करना उचित समझते हैं तो बेशक कर दीजिये। रक्षित बैंक के पास इस विधेयक के बनाने से पहले ही पर्याप्त शक्तियां थीं। इन सब के होते हुए भी इसने पलाई बैंक और लक्ष्मी बैंक को क्यों असफल होने दिया। इस विधेयक में ३ महत्वपूर्ण उपबन्ध हैं। पहला तो यह कि मताधिकार ५ प्रतिशत से घटा कर एक प्रतिशत कर दिया गया है। परन्तु इससे कोई फायदा नहीं होगा। परिणाम यह होगा कि अंशों को मित्रों और सम्बन्धियों में बांट लिया जायेगा। यदि वे चाहेंगे तो नियंत्रण उनके हाथ में रहेगा। फिर इस विधेयक का क्या फायदा ?

दूसरा उपबन्ध यह है कि रक्षित बैंक को किसी भी बैंक के निदेशक अथवा प्रबन्धक को हटाने का अधिकार दिया गया है। परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि रक्षित बैंक ऐसा किन किन अवस्थाओं में कर सकती है। यह बात स्पष्ट होनी चाहिये।

फिर रक्षित बैंक को निदेशक और प्रबन्ध की नियुक्ति का भी अधिकार दिया गया है। यह एक अनुचित बात है कि उनके वेतन तो बैंक दे और नियुक्ति रक्षित बैंक करे। किसान को लगभग २,२०० करोड़ रुपये का ऋण चाहिये। इसका केवल १५ प्रतिशत सहकारी समितियों और सरकार द्वारा सीधे रूप में दिया जाता है। यदि सभी वित्तीय संस्थाओं को रुपया जमा करने से रोक दिया जाता है तो किसान को ऋण कहां से मिलेगा ? क्या १५ प्रतिशत से उसका काम चल सकता है ? एक ओर तो हम किसान के लिये आवश्यक ऋण की व्यवस्था नहीं करते और दूसरी ओर हम यह आशा करते हैं कि किसान अधिक उत्पादन करे।

केरल को लीजिये। वहां पर लगभग ६०,००० व्यक्ति छोटे पैमाने पर रबड़ का उत्पादन करते हैं। यदि उन्हें ऋण नहीं मिलता तो वे उत्पादन नहीं कर सकते। यदि आप वित्तपोषण की सभी संस्थाओं को अपने हाथ में ले लेते हो तो किसान को खेती के लिये पैसा कहां से मिलेगा। इसका अर्थ तो यह हुआ कि कृषि उत्पादन को क्षति पहुंचेगी। हमें सिद्धान्तों को छोड़ कर वास्तविक दशा को देखना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री केप्पन]

मैं माननीय सदस्य के इस विचार से सहमत हूं कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाये। जब तक किसान के ऋण की समस्या का समाधान नहीं हो जाता हमें इस विधेयक के पारित करने में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिये।

†**श्री बालकृष्णन** (कोइल पट्टी) : श्रीमन्, मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। सरकार बैंकिंग उद्योग की सुरक्षा के लिये सभी सम्भव कार्यवाही कर रही है। मैं श्री केप्पन से पूछता हूं कि जब पलाई बैंक असफल हुआ तो क्या सरकार ने छोटे अलाभप्रद बैंकों को बड़े बैंकों के साथ मिलाकर निक्षेपकों की रक्षा नहीं की ? क्या सरकार ने बीमा योजना लागू करके निर्धन लोगों की रक्षा नहीं की ? कुछ व्यक्तियों का कहना है कि अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीकरण कर देना चाहिये। यदि सरकार ठीक समझती है और यदि परिस्थितियां ऐसी हैं कि ऐसा करना आवश्यक है तो सरकार उनके राष्ट्रीकरण करने से हिचकिचायेगी नहीं।

इस विधेयक का महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यापारिक बैंकों में कुप्रबन्ध को रोकना है। सरकार को सहकारी बैंकों पर नियंत्रण रखने के लिये भी इसी प्रकार का विधेयक बनाना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि सहकारी बैंक बुरे हैं; वे अच्छे हैं; क्योंकि उनका प्रबन्ध जनता करती है। सहकारी बैंक कभी कभी राजनीति में उलझ जाते हैं और अयोग्य और अवांछनीय व्यक्ति निदेशक बन जाते हैं। इसलिये यदि यह विधेयक सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होता तो मैं सरकार से सहकारी बैंकों के नियंत्रण के लिये उपयुक्त विधान बनाने के लिये कहूंगा।

इस विधेयक में सभी प्रकार के बैंकों का जिक्र किया गया है, परन्तु चिटफन्ड का कहीं भी जिक्र नहीं है। आज कल चिटफंड एक आम चीज है और बहुत से मामलों में इसे चालू करने वाले पैसा इकट्ठा करके भाग जाते हैं। केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि चिटफंड पर भी नियंत्रण रखे।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इस समय देश में कई प्रकार के बैंक कार्य कर रहे हैं। मेरा यह सुझाव है कि एक ही प्रकार के बैंक होने चाहियें। छोटे और अलाभप्रद बैंकों को एकीकृत कर देना चाहिये। छोटे बैंकों पर से जनता का विश्वास उठ गया है। इसलिये सरकार को इन्हें बड़े बैंकों के साथ मिला देना चाहिये। बचत बीमा निर्धन लोगों के हित में है। परन्तु वर्तमान अधिकतम सीमा बहुत कम रखी गई है। इसे १५०० रु० से बढ़ा कर ५००० रु० कर देना चाहिये ताकि मध्य-वर्गी लोग भी इसका लाभ उठा सकें।

†**श्री कृ० चं० शर्मा** (सरधना) : अमरीका में १९३६ से लेकर अब तक सरकार बैंकों पर कड़ा नियंत्रण रख रही है और विशषत: ऐसे अवसरों पर जबकि बैंकिंग व्यवस्था संकट में हो या बरोजगारी को दूर करना हो। अमरीका कभी निर्धन नहीं था, परन्तु वहां की बरोज़गारी ने कभी कभी देश की सुरक्षा को संकट में डाल दिया है।

हमारी दशा बहुत खराब है। कोई भी बड़े से बड़ा सिद्धान्त हमारी सहायता नहीं कर सकता, केवल ठोस कार्य से ही कुछ लाभ पहुंच सकता है। आज विश्व की नज़रें हम पर हैं और उन्हीं का विश्वास है कि भारत शीघ्र ही साम्यावाद अथवा पूंजीवाद का शिकार हो जायेगा। अब आंख बन्द करने से काम नहीं चलेगा। देश का भविष्य संकट में है और केवल बड़ी मात्रा

†मूल अंग्रेजी में

में धन का विनियोजन ही इसको बचा सकता है। कृषि और उद्योग में अधिक धन जुटाने की आवश्यकता है।

किसी किसी स्थान पर सुधार करने से कार्य नहीं चलेगा। हमें देश को आत्मनिर्भर और महान बनाना है। हमें इसे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिये शक्तिशाली बनाना है। इन सब बातों के लिये हमें अधिक धन की आवश्यकता है। इसलिये बैंकों का राष्ट्रीयकरण अनिवार्य है।

श्री हेम राज (कांगड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल आज सदन के सामने पेश है, मैं इसका स्वागत करता हूं। जहां तक मैंने देखा है, हमारी सरकार ख़ास तौर से उस समय कदम उठाती है, जिस समय पानी सिर से ऊपर निकल जाये। पलाई बैंक के फ़ेल्योर से पहले बहुत से छोटे-छोटे बैंकों का फ़ेल्योर हुआ। उन छोटे-छोट बैंकों के सम्बन्ध में हमारी जो आवाज़ थी, उसकी किसी सुनवाई नहीं की। किसी ने इस तरफ़ ध्यान नहीं दिया कि छोटे छोटे डिपाज़िटर्ज़ का क्या बनने वाला है।

मुझे ख़ास तौर से याद है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक के डायरेक्टर्ज़ ने काफ़ी रुपया हड़प कर लिया—कुछ अपनी मार्फ़त और कुछ अपने रिश्तेदारों की मार्फ़त, जिससे वह बैंक फ़ेल हो गया। जब हमने उसके बारे में आवाज़ उठाई, तो हमें कहा गया कि इस बारे में रिज़र्व बैंक भी कुछ नहीं कर सकता और सैंट्रल गवर्नमेंट भी कोई दखल नहीं दे सकती। इस लिए, जैसा कि माननीय सदस्या, श्रीमती सुभद्रा जोशी, ने कहा है, जो स्माल डिपाज़िटर्ज़ हैं, उनका ख़ास तौर पर ख़याल रखा जाये। मैं समझता हूं कि रिज़र्व बैंक को अपने ऊपर यह ज़िम्मेदारी ओट लेनी चाहिए कि जिस वक्त इंस्पैक्शन के द्वारा उसको पता लगे कि किसी बैंक का मैनेजमेंट खराब है और वह फ़ेल होने वाला है, तो वह अपने अख़्तियारात के ज़रिये उस बैंक को अपने कब्ज़े में ले ले।

इस बिल इंस्पैक्शन का प्राविज़न किया गया है। मैं यह तजवीज़ रखना चाहता हूं कि जब इंस्पैक्शन से यह पता लगे कि किसी बैंक की हालत ख़राब है, तो सरकार को उसे अपने कब्ज़े में ले लेना चाहिए। रूरल एरियाज़ में जो कान्फिडेंस ज्यादा बहुत घट गया है, ऐसा करने से वह फिर कायम हो जायेगा। रूरल एरियाज़ में अभी तक बैंकिंग नहीं पहुंचा है। अगर कहीं कहीं मामूली कस्बों में पहुंचा भी है, तो वहां पर छोटे छोटे बैंकों के फ़ेल्योर से बहुत ज्यादा हानि पहुंचती है। आज सब से ज्यादा ज़रूरत इस बात की है कि रूरल एरियाज़ में भी काफ़ी रुपया पहुंचे। यह ठीक है कि को-आपरेटिव सोसायटीज़ काम कर रही हैं, लेकिन हम देखते हैं कि रिज़र्व बैंक से जो रुपया दो परसेंट ब्याज पर चलता है, वह वहां पहुंचते पहुंच सात परसेंट ब्याज पर दिया जाता है। जहां तक मुझे ख़याल है, स्टेट बैंक आफ़ इंडिया की एक हज़ार से ज्यादा ब्रांचिज़ नहीं खुली हैं। स्टेट बैंक आफ़ इंडिया वहां पहुंच नहीं पाता है और को-आपरेटिव सैक्टर में रिज़र्व बैंक कम दखल देता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि को-आपरेटिव सेक्टर में सरकार का दख़ल हो और लोगों के पास रुपया इन्ट्रेस्ट की कम से कम शरह पर पहुंचे। इस लिहाज़ से मैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण की हिमायत करता हूं, जिसके बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है, क्योंकि उनका राष्ट्रीयकरण होने से देहात में भी बैंकिंग का सन्देश पहुंच जायेगा और लोगों को रुपया लेने की सहूलियत मिल सकेगी।

माननीय सदस्य श्री बड़े ने यह आबजेक्शन किया है कि "फ़िनांशल इरटीट्यूशन्ज़" की डेफ़िनीशन की गई है, उस से रूरल एरियाज़ के साहूकारा सिस्टम पर आघात लगेगा। मैं

[श्री हेम राज]

समझता हूं कि इस डफ़िनीशन से इंडिविडुअल कवर नहीं होता है। इस लिए उनका यह आबजेक्शन किसी सूरत में दुरुस्त नहीं है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती सावित्री निगम (बांदा) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, मैं बैंकिंग लाज़ (मिस्लेनियस प्राविज़न्ज़) बिल का हार्दिक समर्थन करती हूं,. . . .

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्या अंग्रेज़ी में बोलें ।

अध्यक्ष महोदय : आप उनको बोलने दीजिए ।

श्रीमती सावित्री निगम :. . . . .क्योंकि मेरा यह विश्वास है कि बैंकों के पूर्ण राष्ट्रीयकरण की दिशा में यह पहला प्रभावशाली कदम आज इस एमेंडमेंट बिल के रूप में उठाया जा रहा है।

अनेक माननीय सदस्य इस विषय पर बोल चुके हैं और इस बिल का समर्थन कर चुके हैं। अभी नहीं अनेक वर्षों से बराबर इस सदन में और बाहर देश में भी देश के सब से बड़े बड़े अर्थ-शास्त्रियों ने एक स्वर से इस बात की सिफारिश की थी—और वे अब भी करते आ रहे हैं—कि अब वह समय आ गया है जब कि देश के सारे बैंकों को नेशनलाइज़ेशन जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। किन्तु यह खेद का विषय है कि अब तक उसकी उपेक्षा की गई है । उसी के कारण स्वतन्त्रता के बाद आज तक देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जितनी भी योजनायें बनाई गई हैं जिनका उद्देश्य देश में सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ सोसायटी का निर्माण करना था उनमें हमें सफलता नहीं मिली है। जैसा कि मैंने अभी कहा है, उसका एक मात्र कारण यह है कि हमने इस महत्वपूर्ण विषय की अभी तक उपेक्षा की है। देश इस उपेक्षा का परिणाम यह हुआ है कि जितनी अनहोनी और अनहैल्दी इकानोमिक कन्सेन्ट्रेशन इस देश में इन पिछले १७ सालों में हुई हैं उतनी शायद अभी और किसी देश में नहीं हुई होगी ।

कौन यकीन मानेगा कि इस क्रान्तिकारी युग में भी देश की सारी वैल्थ का तीन-चौथाई हिस्सा केवल सात परिवारों के हाथों में सीमित है ? कौन यकीन मानेगा कि आज भी ये जो सात कुबेर-पुत्र हैं जितना भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का सैक्टर है जितना भी इंडस्ट्रीज़ उद्योग-धंधों का सैक्टर है हर स्थान पर उन्होंने ऐसी मानोपोली कर रखी है जिसमें कोई भी न्यूकमर प्रवेश नहीं पा सकता। एक बेचारा डालमिया पकड़ा गया है कुछ राजनीतिक कारणों से। लेकिन अनेक डालमिया हैं जो उस से भी ज्यादा ग़लतियां कर रहे हैं जो उससे भी ज्यादा इकानोमिक एक्सप्लायटेशन कर रहे हैं और जो बैठे हुए मौज काट रहे हैं और उन पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

आज आप देख लीजिए कि जब कीमतें इस बुरी तरह बढ़ रही हैं और हर एक आदमी और हर एक संसद-सदस्य इस बारे में चिन्तित है उस वक्त भी फूडग्रेन्ज़ में राष्ट्रीय महत्व के पदार्थों में जो फ़ार्वर्ड कन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो होर्डिंग होता है यह किस का किया हुआ है यह कौन नहीं जानता ? बावजूद बहुत कोशिशों के भी इन कुबेर-पुत्रों को इन लक्ष्मी-पुत्रों को अपरिमित स्वतंत्रता मिली हुई है वे अनकंट्रोल्ड फ़्रीडम एन्जाय कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस विषय पर आज इस सदन में जो वाद-विवाद हुआ है उससे मुझे विश्वास हो गया है कि आज युग की पुकार है ज़माने की मांग है कि बैंकों का जल्दी से जल्दी राष्ट्रीयकरण किया जाये । इस सदन में इस विधेयक के विरुद्ध भी कुछ फ़ीवल आवाजें सुनाई पड़ी हैं जिनमें सिफ़ारिश की गई है कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाये । मैं कहती हूं कि इन कमज़ोर आवाज़ों को पूरी तरह से संतोष दिलाने के लिए इस विधेयक को ज़रूर सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाये । मुझे पूरा यकीन है कि सिलेक्ट कमे ी की सिफ़ारिश भी यही होगी कि इस बिल को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाये इसकी धाराओं को और कसा जाये और इसके अतिरिक्त सिलेक्ट कमेटी की तरफ से यह भी सिफारिश होगी कि बैंकिंग का जल्दी से जल्दी नैशनलाइज़ेशन किया जाये--देशहित के लिए, समाज-हित के लिए देश में समाजवादी समाज की रचना के लिए जल्दी से जल्दी बैंकों का नैशनालाइज़ेशन किया जाये ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** (जम्मू तथा कश्मीर): श्रीमान् मैं विधेयक के उद्देश्यों का स्वागत करता हूं । इसका उद्देश्य देश की अर्थ व्यवस्था को विनियमित करना है । परन्तु मुझे भय है कि यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पायेगा ।

मेरे विचार में अभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिये । राष्ट्रीयकरण करने से पहले हमें बहुत सी अन्य बातें करनी होंगी । परन्तु मैं बैंकिंग व्यवस्था को विनियमित करने के पक्ष में हूं । इसके लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । हमारे देश में कम आय वाले लोगों को ऋण मिलने की उचित व्यवस्था नहीं है । उनको ऋण नहीं मिल सकता यदि आप ग्रामों में किसानों के लिये खेती की उपज बढ़ाने के लिये ऋण की व्यवस्था नहीं करते तो हमारी सारी अर्थ व्यवस्था संकट में पड़ जायेगी । जब तक यह बात नहीं होती हमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिये ।

श्रीमान् बैंकिंग और वित्तपोषण दो पृथक चीज़ें हैं । मैं इसके बारे में अधिक विस्तार में नहीं कहना चाहता । परन्तु मेरा निवेदन है कि विधेयक को प्रवर समिति को दे दिया जाये । आज कल कुछ ऐसे भी धन लगाने वाले हैं जो ५० से ६० प्रतिशत तक सूद लेते हैं । जब हम समाजवाद की बातें करते हैं तो हमें इसकी सब बातों को अपनाना चाहिये । इस लिये मेरा निवेदन है कि समस्त मामले की पूर्ण छान बीन होनी चाहिये और उसके बाद अगले सत्र में इस सम्बन्ध में विधेयक लाया जाना चाहिये ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने इस वाद विवाद में इतनी गहरी दिलचस्पी दिखायी है । यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस पर भावनाओं का आवेश में आना स्वाभाविक है । किन्तु कुछ तर्क इतने परस्पर विरोधी थे कि उनसे उनका खण्डन ही हो जाता है । उदाहरण के लिए विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों ने कहा कि रिज़र्व बैंक का नियंत्रण पर्याप्त नहीं है अतः सारी बैंकिंग प्रणाली का ही राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये । दूसरी ओर कुछ सदस्यों ने कहा कि रिज़र्व बैंक को जो अधिकार दिये गये हैं वे इतने सख्त हैं कि इससे तो राष्ट्रीयकरण ही अच्छा होता । ऐसे विषय पर इस प्रकार का मतभेद होना स्वाभाविक है । किन्तु मैं समझता हूं कि मैंने प्रस्ताव पेश करते समय यह स्पष्ट कर दिया था कि विधेयक का प्रयोजन सकारात्मक है । बैंकिंग और वित्तीय कामों के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनके नियंत्रण की राष्ट्रीयहित के लिए आवश्यकता है । पहले तो यह नियंत्रण गैर बैंकिंग निक्षेपों के लिए है और विशेष उपबंध किये गये हैं । नियंत्रण केवल उस व्यापार के सम्बन्ध में निदेश देने तक ह जो वे कम्पनियां करेगी और समय समय पर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० रा० भगत]

उन्हें रिजर्व बैंक को विवरण भेजने होंगे यह मुख्यतः उनके कार्य के सम्बन्ध में है ताकि वे संसाधनों को ऐसे कार्यों में लगा सकें जिन से राष्ट्र का हित हो बैंकिंग समवाय और बैंकिंग कार्यों के सम्बन्ध में अधिक सख्त नियंत्रण किया जायगा यहां तक कि आवश्यकता होने पर प्रबन्धकों और निदेशकों तक को पदच्युत किया जायेगा। तीसरे मताधिकार को ५ प्रतिशत से कम कर के १ प्रतिशत करना है ताकि शक्ति कुछ हाथों में संग्रहीत न हो। अतः यह आरोप कि सरकार ऐसा प्रयत्न कर रही है कि इस विधेयक को सभा शीघ्र से पास कर दे सच नहीं है क्योंकि यद्यपि जो संशोधन किये जा रहे हैं वे महत्वपूर्ण हैं और फिर भी वे मूलभूत महत्व के हैं और विधेयक में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वे तकनीकी जटिल और कानूनी प्रकार के संशोधन नहीं। अतः विधेयक को प्रवर समिति को सौपने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इस से केवल विलम्ब हो सकता है। इसमें विलम्ब देश के हित में नहीं होगा। यह इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव है कि उसे प्रवर समिति को सौपना उचित नहीं है। मताधिकार ५ प्रतिशत होना चाहिये था ? १ प्रतिशत यह विषय ऐसा है जिस पर सभा निर्णय कर सकती है। गैर बैंकिंग निक्षेपों पर नियंत्रण होना चाहिये अथवा नहीं यह एक मूल प्रश्न है, रिजर्व बैंक को कुछ मूल अधिकार देने चाहिये या नहीं, ये सब ऐसे विषय हैं जिनके बारे में प्रवर समिति नहीं बल्कि सभा निर्णय कर सकती है और सोच सकती है कि इससे लाभ होगा या नहीं। प्रवर समिति इसमें कोई सुधार नहीं कर सकती। अतः मैं इस आरोप का विरोध करता हूं कि सरकार अनावश्यक रूपसे इस विधेयक को पास करवाने में जल्दी कर रही है।

दूसरी बात यह उठाई गई थी कि रिजर्व बैंक को, प्रबन्धकों तथा निदेशकों को हटाने के अधिकार दे कर प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया जा रहा है। श्री मसानी और कुछ अन्य मित्रों ने इस बात पर बल दिया था किन्तु उन्होंने इस बात की उपेक्षा कर दी कि हमने स्वयं एक संशोधन रखा है जिस के द्वारा सम्बन्धित लोगों को केन्द्रीय सरकार के पास अपील करने का अधिकार दिया गया है। मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय ही इस का उल्लेख कर दिया था किन्तु किसी ने से नहीं किया। अन्यथा प्राकृतिक न्याय का प्रश्न पैदा नहीं होता क्योंकि खंड में यह लिखा है कि रिजर्व बैंक यह कार्यवाही कतिपय परिस्थितियों में करेगा। ऐसी कार्यवाही केवल तब की जाएगी जब यह निश्चित हो जायेगा कि किसी निदेशक, मुख्य अधिकारी या कार्य पालक अधिकारी या अन्य अधिकारी का काम बैंकिंग कार्यों के विरुद्ध है और सदन को विदित है कि बैंकिंग कार्य ऐसा है कि आयुक्त समय पर कार्यवाही न करने के कारण और इस कारण कि रिजर्व बैंक के पास अधिकार नहीं थे अतः बैंक का दिवालिया निकल गया। बार बार ऐसे मामलों का उल्लेख यहां किया गया है। बैंकिंग कार्य में किसी मुख्य या अन्य अधिकारी के ऐसे कार्य हो सकते हैं जो बैंक के हित के विरुद्ध होते हैं और उनका पता लगाना चाहिये। ऐसी स्थिति में केवल रिजर्व बैंक ही कार्यवाही करेगा। वह विदित प्रणाली का अनुसरण करेगा। लिखित रूप नोटिस किया जाएगा और सम्बन्धित व्यक्ति अभ्यावेदन दे सकता है और उसे अपील का भी अधिकार दिया गया है। यह उपबन्ध किया जा रहा है कि वह कोई शिकायत होने पर केन्द्रीय सरकार के पास अपील कर सकता है। अतः प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का प्रश्न पैदा नहीं होता।

यह भी कहा गया था कि बैंकिंग प्रणाली में शक्ति का केन्द्रीयकरण नहीं होता। श्री मसानी ने यह चित्र प्रस्तुत किया था कि बैंकों का नियंत्रण छोटे हिस्सेदारों के हाथ में होता है अतः ५ प्रतिशत से घटा कर १ प्रतिशत मताधिकार बनाना अनावश्यक है। यदि ऐसा है तो आपत्ति क्यों करते हैं? ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। मेरा निवेदन है कि सम्भवतः माननीय सदस्य को पता है कि कुछ बैंकोंमें शक्ति केन्द्रीकृत है। इसी लिये कुछ वर्ष पूर्व हमने इसे कम कर दिया था और यह उपबन्ध किया

था कि किसी वंश या व्यक्ति की नियंत्रण शक्ति उसके मताधिकार के प्रतिशत होने चाहिये। ऐसा इस लिये किया गया कि हम चाहते थे कि किसी व्यापारी वर्ग के अधिकार अनुपातहीन रूप में अधिक न हों। आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि यदि इसे और कम न किया गया तो शक्ति संग्रह की प्रवृत्ति अधिकाधिक बढ़ जाएगी। अतः जब कुछ माननीय सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि बैंकों पर छोटे हिस्सेदारों का नियंत्रण है और इसका तर्क संगत निष्कर्ष यह निकलता है कि मताधिकार को ५ से घटा कर १ प्रतिशत करने पर आपत्ति नहीं करनी चाहिये। अतः यह व्यवस्था भी बहुत अच्छी है।

तीसरी बात यह कही गई है कि हम गैर बैंकिंग निक्षेपों पर नियंत्रण करने के प्रयत्न में बड़ी संख्या में लोगों पर नियंत्रण करेंगे। मैं समझता हूं कि उनका यह कथन गलत है। इससे व्यक्तियों का कोई सम्बन्ध नहीं। केवल कम्पनियों या फर्मों का सम्बन्ध है। उदाहरण के लिये गांव का साहूकार विधेयक के नियंत्रणाधीन नहीं। एक परिवार का यदि कोई फर्म होगा तो उस पर नियंत्रण अवश्य होगा।

इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए बहुत अधिक धन ऐसा है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं और दूसरे गैर बैंकिंग समवायों के पास हर वर्ष धन की वृद्धि हो रही है। उन्हें नियंत्रित करना राष्ट्र हित में है। जैसा मैंने पहले कहा था कि यह आवश्यक है कि उन्हें नियंत्रित किया जाय क्योंकि इनका प्रभाव बैंकिंग समवायों पर पड़ रहा है। बैंकों के निक्षेप उस दर पर नहीं बढ़ रहे जिस पर बढ़ने चाहिये। इस नियन्त्रण का यही तर्क है।

अब मैं रिजर्व बैंक को वह अधिकार देने के प्रश्न को लेता हूं जिसे श्री मसानी ने पुलिस अधिकार कहा है। मैं समझता हूं कि जब रिजर्व बैंक या अन्य अभिकरण को ऐसा अधिकार दिया जाता तो विशेष विचारधारा के सदस्य के लिये आपत्ति करना स्वाभाविक होता है। किन्तु उन्होंने स्वयं कहा था कि रिजर्व बैंक का अभिलेख बहुत अच्छा है। सभा इस बात को स्वीकार करेगी कि रिजर्व बैंक आदर्श रूप में काम करता रहा है और देश के वित्तीय तथा ऋण सम्बन्धी मामलों में संरक्षक रहा है और इसने बहुत अच्छा काम किया है। जिन बातों में रिजर्व बैंक असफल रहा है और उसके पास पर्याप्त अधिकार नहीं हैं वे यही हैं कि वह बैंक को नष्ट होने से बचा सके और उसे अवांछित ढंग से काम न करने दें। उदाहरणतः उसे निदेशक नियुक्त करने के अधिकार दिये जा रहे हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इस लिये कि इस अधिनियम के अधीन पर्यवेक्षक नियुक्त किए गये थे उनका प्रभाव कुछ ही महीने रहा किन्तु कुछ महीनों बाद वे केवल पर्यवेक्षक रह गये और इसलिये निदेशक उन की बात को अस्वीकार कर सकता था। इस लिये हमने देखा कि यह आवश्यक है कि ऐसे निदेशक होने चाहिये जो प्रबन्ध कार्य में भाग ले सकें और जिनकी आवाज़ का महत्व हो। जब तक ऐसे अधिकार न दिए जाएं बैंकिंग समवायों का नियंत्रण नहीं हो सकता। बैंकिंग कम्पनी और अन्य औद्योगिक तथा वाणिज्यिक समवायों में यह अन्तर है कि पलाई या किसी अन्य बैंक को तो दिवालिया होने से बचाया जा सकता है यदि उपयक्त समय पर कार्यवाही की जाती। किन्तु अधिकार न होने पर उन्हें नहीं बचाया जा सका। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें बैंकों के अवांछित कार्यों को नहीं रोका जा सका यदि पर्याप्त अधिकार होते तो ऐसी स्थिति पैदा ही न होती।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात असंगत है क्योंकि पिछले ही अधिवेशन में सभा ने इस पर चर्चा की थी और २७ के विरुद्ध ११९ मतों द्वारा इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया था। पक्ष और विपक्ष में सभी बातों पर चर्चा की गई थी और सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया गया था कि व्यावहारिक और अन्य कारणों से अभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण राष्ट्र के हित में नहीं होगा। सरकार ने आश्वासन दिया था कि कुछ कुरीतियों और अन्य बातों को दूर करने का प्रयत्न किया जायगा और यह प्रयत्न किया जायगा कि बैंकिंग का कार्य संचालन राष्ट्रीय आधार पर हो। हमने इस आश्वासन को पूरा

[श्री ब० रा० भगत]

किया ह और अधिक अधिकार प्राप्त करने के लिये यह विधेयक लाये हैं । अत: यदि कुछ विरोधी सदस्य कहते हैं कि इस रिजर्व बैंक को पुलिस अधिकार दे रहे हैं तो यह केवल शब्दाडम्बर है किन्तु वित्तीय स्थिति का यह ठीक विश्लेषण नहीं है ।

हर कदम पर शक्ति संग्रह को रोकना है और इस प्रयोजन से रिजर्व बैंक को अधिकार दिये गये हैं। माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में यह स्वीकार करना चाहिये रिजर्व बैंक का गवर्नर स्वेच्छाचारी नहीं है । ऐसे प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों का एक बोर्ड है जिन पर माननीय सदस्यों को विश्वास है अत : रिजर्व बैंक को दिए गए अधिकार एकाधिकार पूर्ण नहीं हैं। यह उपयुक्त समय है कि रिजर्व बैंक के पास ऐसे अधिकार होने चाहिये जिन्हें वह राष्ट्रीय प्रयोजन के लिये और बैंकिंग संगठनों के हित के लिये प्रयोग कर ।

न शब्दों के साथ मैं विधेयक की सिफारिश करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २४ और ४१ मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये और अस्वीकृत हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत का रक्षित बैंक अधिनियम, १९३४, बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ और भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, १९५९ में अंतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : खण्डवार चर्चा कल होगी । अब अल्प सूचना प्रश्न किए जायेंगे ।

अल्प-सूचना प्रश्न और उत्तर

अमेरिका के पास भारतीय मुद्रा

+

†अल्पसूचना प्रश्न संख्या ५.

श्री कपूर सिंह :
श्री गुलशन :
श्री प्रकाशबीर शास्त्री :
श्री नाथ पाई :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सोलंकी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में प्रतिरूप निधियों के रूप में अमेरिका के पास अब १५,०००० लाख रुपये से अधिक हो गए हैं जो कि देश में चालू कुल मुद्रा के लगभग आधे के बराबर है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने देश की अर्थ व्यवस्था और राजनीति पर उसके प्रभाव का क्या अनुमान लगाया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) और (ख). पी०एल० ४८० के अन्तर्गत अमरीका से आयातित कृषि उत्पादों के विक्रय से प्राप्त प्रतिरूप रुपया निधियों की राशि ३१ अक्तूबर, १९६३ को ८२२.८१ रुपये थी ।

इस आयात तथा रुपया अ ुवृद्धि सम्बन्धी करारों के अनुसार, अमरीका के प्रयोग के लिये, जिनमें अन्य बातों के अतिरिक्त निम्न कार्य भी सम्मिलित हैं, कुल १७५ करोड़ रुपये की धनराशियां रक्षित की गई हैं :—

(१) भारत स्थित अमरीकन दूतावास का प्रशासकीय व्यय ;

(२) भारत की व्यापारिक क्रियाओं के लिये, जिन में अमरीका की व्यापारिक संस्थाओं का सहयोग है, भारत सरकार की सम्मति से, ऋण ; और

(३) कृषि विपणन विकास सम्बन्धी बातों तथा शिक्षा तथा अनुसंधान सम्बन्धी सहमत परियोजनाओं के लिये ।

शष बची ८० प्रतिशत निधियां भारत के रक्षित बैंक में जमा कर दी जाती हैं तथा भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में, जिन पर १½ प्रतिशत ब्याज मिलता है, ये विनियोजित रहता है । यह निधियां परिचलन के में तभी आ सकती हैं जब कि अमरीका तथा भारत सरकारों की परस्पर सहमति से दी कालीन ऋणों के रूप में तथा भारत की विकास परियोजनाओं के हेतु अनुदान देने के लिये इनको निकाला जाए । अत: यह सुनिश्चित करने के लिये सावधानी बरती गई है कि देश की मु ा सम्बन्धी स्थिति पर इन निधियों का कोई मुद्रा-स्फीतिकारी प्रभाव न पड़े और इस हेतु कि स्थिति ठीक रहे हर प्रकार से पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है ।

†**श्री कपूर सिंह**: क्या किसी अन्य विदेश के पास भी भारत में बहुत अधिक रुपया निधियां हो गई हैं ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा देश की अर्थ-व्यवस्था और राजनीति पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है?

†**श्री ब० रा० भगत**: इतनी अधिक नहीं। परन्तु यह एक पृथक प्रश्न है।

†**श्री दाजी**: क्या सरकार बता सकती है कि क्या यह सच है कि अमरीका की सरकार के पास जो रुपया निधियां है, निश्चिालित अथवा अन्यथा, वे हमारे देश की कुल द्रव निधियों का ५० प्रतिशत हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत**: यदि आप डिमांड डिपोजिट्स को सम्मिलित कर लें, तो कुल द्रव निधियां, ३,३०० करोड़ रुपये हो जाती हैं। यह केवल ८०० करोड़ रुपये के लगभग है।

†**श्री नाथ पाई** : यह खबर लगभग एक सप्ताह पहिले प्रकाशित हुई थी। हमने तत्काल एक प्रश्न रखा। वित्त मंत्री जी निश्चित रूप से जानते हैं कि जिनके हाथ में धन सम्बन्धी बागडोर होती है वे संभवतया सत्ता की बागडोर भी संभाल सकते हैं। इस समाचार से अमरीका सरकार के जो भारत के साथ राजनैतिक सम्बन्ध हैं, उनके बारे में बहुत गलत धारणा बनने की सम्भावना हो सकती थी। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने स्पष्टीकरण देने में इतनी देरी क्यों की ? क्या यह सरकार का कर्त्तव्य नहीं है कि जब इस प्रकार के समाचार अखबारों में प्रकाशित हों—क्योंकि यह समाचार **न्यूयार्क टाइम्स** जैसी अत्यन्त महत्वपूर्ण पत्रिका में प्रकाशित हुआ

†मूल अंग्रेजी में]

था—तो स्पष्टीकरण जारी करके स्थिति को साफ कर दे? क्या देश के आत्म-सम्मान की चिन्ता करना केवल हमारा ही कर्त्तव्य है?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न साफ है।

†**श्री नाथ पाई** : आपके लिये। परन्तु मुझे संदेह है कि मंत्री जी के लिये भी साफ है या नहीं।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं भविष्य में इस सलाह से लाभ उठाने की कोशिश करूंगा।

†**श्री नाथ पाई** : यह उत्तर नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्योंकि इससे देश की जनता के मन में गलत धारणा बन जाती है, अतः सरकार को इस का खंडन करके स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये थी। यही वस्तुतः प्रश्न था।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि इतनी भारी धनराशि इस देश में अमरीका की होने के बावजूद भारत की आर्थिक व्यवस्था पर भविष्य में उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, इस के लिए भी कुछ यत्न किया गया है?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो उन्होंने कहा।

†**श्रीमती रणु चक्रवर्ती**: कृषि वस्तुओं के संभरण के लिये जब हमने करार किया था तो क्या उस समय का कोई लिखित करार है जिसमें यह दिया हुआ है कि यदि अमरीका की सरकार किसी गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग को या किसी और को सहायता देने के लिये निधियों का उपयोग करना चाहे और भारत सरकार इस के लिये तैयार न हो, तो क्या स्थिति होगी? क्या सरकार इंकार कर सकती है?

†**श्री ब० रा० भगत**: यदि भारत सरकार इंकार करती है, तो वह नहीं किया जायेगा।

†**श्री यशपाल सिंह** : क्या सरकार यह विचार कर रही है कि इस रकम को डिफेंस परपजेज के लिए खर्च किया जाए?

†**श्री ब० रा० भगत** : जी नहीं।

†**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख** : समाचार के दूसरे भाग का सम्बन्ध अमरीका की सरकार की इस कथित चिन्ता से था कि पी० एल० ४८० करार के अन्तर्गत जो निधियों का संचय हो गया है, उसके बारे में वह क्या करे। सरकार की भी उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

†**श्री ब० रा० भगत** : जैसा मैंने बताया, ८० प्रतिशत रिजर्व बैंक में जमा किया जाता है। यह भी दोनों देशों के बीच हुये एक करार के अन्तर्गत होता है। इसको स्वीकृत परियोजनाओं में लगाया जाता है। कुछ बातों के बारे में तो पहिले ही समझौता हो चुका है जैसेकि ३३५ करोड़ रुपये के ऋण तथा १७८ करोड़ रुपये के अनुदानों के बारे में।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि जिस समाचारपत्र ने यह खबर दी थी, जो कि यहां भी प्रकाशित हुई थी, कि संचित निधियां भारत में जो कुल परिचालित मुद्रा है उसकी आधी हैं, वह **न्यूयार्क टाइम्स** जैसा एक जिम्मेदार समाचार पत्र था? मंत्रालय के पी० आर० ओ० ने तत्परता क्यों नहीं दिखाई और इसका खंडन क्यों नहीं किया?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह पूछा जा चुका है।

दिल्ली के दुकानदारों द्वारा मूल्य सूचियों का लगाया जाना

+

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६.

श्री कछवाय :
श्री बड़े :
श्री लखमू भवानी :
श्री कशी राम गुप्त :
श्री राम सेवक यादव :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती शशांक मंजरी :
श्री कपूर सिंह :
श्री प० ह० भील :
श्री युद्धबीर सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री माते :
श्री गौरी शंकर कक्कड़ :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्रीमती बसन्त कुमारी :
श्री किशन पटनायक :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री भू० ना० मण्डल :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली में जिन दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर मूल्य सूची नहीं लटकाई थी, उनको भारत प्रतिरक्षा नियम की धारा १२५(९) के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है और उन पर जुर्माने किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दुकानदारों की संख्या कितनी है और क्या यह भी सच है कि इन दुकानदारों ने मूल्य सूची दूकान के बाहर नहीं बल्कि भीतर लटकाई हुई थी;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली सेन्ट्रल कोआपरेटिव स्टोर ने गुड़ में बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके संचालकों को भी भारत प्रतिरक्षा नियम की धारा १२५(९) के अन्तर्गत गिरफ्तार किया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उनके साथ ऐसी नरमी बरतने के क्या कारण हैं, और जनता पर इसका क्या असर पड़ा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभासचिव (श्री शिन्दे): (क) और (ख). १५ दिसम्बर, १९६३ तक दिल्ली और नई दिल्ली में ३७ दुकानदारों को दिल्ली (मूल्य प्रदर्शन) आदेश, १९६३ के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय द्वारा १५ दिसम्बर तक दो मामलों का निर्णय कर दिया गया है, इनमें से एक मामले में न्यायालय ने जुर्माना किया और दूसरे मामले में कैद और जुर्माने की सजाएं दीं।

३२ मामलों में मूल्य सूची का बिलकुल प्रदर्शन ही नहीं किया गया था। शेष ५ मामलों में मूल्य सूची दुकानों के काफी भीतर पायी गयी थी और आदेश के अनुसार दुकानों के द्वारों के निकट से निकट इस प्रकार प्रदर्शित नहीं की गयी थीं जिस पर ग्राहकों का ध्यान आकर्षित हो।

(ग) यह सत्य है कि दिल्ली सेन्ट्रल कोआपरेटिव स्टोर्ज़ ने गुड़ की कुछ मात्रा जोकि उन्होंने दिल्ली प्रशासन द्वारा दिए गए कोटे से बाहर से मंगायी थी, की बिक्री से बहुत मुनाफा कमाया।

(घ) और (ङ) सरकार को परामर्श दिया गया है कि कोआपरेटिव स्टोर का यह कार्य भारतीय प्रतिरक्षा नियमों के किसी भी उपबन्ध को आकृष्ट नहीं करता है क्योंकि गुड़ का नियन्त्रित मूल्य भारतीय प्रतिरक्षा नियमों के अधीन निर्धारित नहीं किया गया था। इससे दिल्ली खण्डसारी और गुड़ व्यापारियों के लाइसेंसिंग आदेशों का उल्लंघन होता है और इसके लिए यथेष्ट उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है। अतः उनसे किसी भी प्रकार की नरमी बरतने या रियायत करने का प्रश्न ही नहीं उठता ह ।

श्री कछवाय: क्या यह बात सही है कि उस में लाखों रुपयों का मुनाफा कमाया है ? सैंट्रल कोआपरेटिव सोसाइटी के जो प्रमुख लोग थे वे दिल्ली प्रदेश के एक बहुत बड़े कांग्रेसी पद पर काम करने वाले व्यक्ति हैं और उसमें एक संसद सदस्य चौधरी ब्रह्म प्रकाश भी हैं, बड़े लोग उस में हैं, इसलिए उन पर कोई कानून नहीं लगाया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) :** नवम्बर के लिये हमने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को १००० टन का कोटा मंजूर किया । यह कोटा उत्तर प्रदेश से मंगाया जाना था। इसमें से कोआपरेटिव स्टोर को कोटे के रूप में ३०० टन दिये गये थे जिसमें से स्टोर ने केवल १०० टन अर्थात १००० क्विन्टल ही मंगाया। स्टोर ने इसमें से कुछ मात्रा ८०—८५ रु० के भाव पर बेची। दिल्ली प्रशासन ने इस समाचार के बाद कि स्टोर ने इस दर पर गुड़ बचा है, मल्य निर्धारित करने के लिये कार्यवाही की है। मंगाई गई मात्रा में से केवल थोड़ी सी मात्रा ही स्टोर द्वारा इस मूल्य पर बेची गई थी। फिर भी यह अनुचित था क्योंकि उन्होंने इस सौदे से भारी मुनाफा कमाया है। दिल्ली प्रशासन

---

†मूल अंग्रेजी में

ने इस समय यह किया है कि शेष कोटा रद्द कर दिया गया है तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिये गुड़ मंगाने के लिये उन्हें कोई कोटा नहीं दिया गया है।

श्री कछवाय : इस सोसाइटी द्वारा १००० टन गुड़ खरीदा गया था। उस में से ५०० टन गुड़ दूसरी सोसाइटियों को दिया गया और ५०० टन अन्य दुकानदारों को दिया गया जिसको कि दुकानदारों ने ६५ रुपये क्विंटल पर बेचा, जिसके लिए एक दुकानदार ने कहा कि मैं गुड़ ५७ रुपये क्विंटल बेच सकता हूं लेकिन इस सब के बावजूद भी इस सोसाइटी ने गुड़ ८७ रुपये क्विंटल के हिसाब से बेचा.....

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय क्या बतला सकते हैं कि दुकानदारों ने क्या भाव बेचा या एक दुकानदार ने क्या कहा कि वह इतने में बेच सकता है? आप उन से कोई सवाल करें।

श्री कछवाय : मेरा ऐसा कहना है कि दुकानदारों ने इस गुड़ को ६५ रुपये क्विंटल बेचा और एक दुकानदार ने कहा कि मैं ५७ रुपये पर क्विंटल बेच सकता हूं लेकिन इसके बावजूद इस सैंट्रल कोआपरेटिव सोसाइटी ने ८५ रुपये क्विंटल गुड़ बेचा और उसने इतना नाजायज़ तौर पर मुनाफा कमाया. . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। अब एक दुकानदार ने किसी को किसी वक्त क्या कहा इस बारे में मिनिस्टर साहब कैसे जवाब दे सकते हैं? अलबत्ता मिनिस्टर साहब पहले हिस्से का जवाब दे दें।

†**श्री अ० म० थामस :** इस विषय के बारे में, मैं पहिले ही उत्तर दे चुका हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** वही गुड़ जोकि कोआपरेटिव स्टोर को दिया गया था, अन्य दुकानदारों तथा फुटकर व्यापारियों के पास पहुंच गया जिन्होंने इसको बहुत ऊंचे भाव पर बेचा। क्या किया गया है? प्रश्न यह है।

†**श्री अ० म० थामस :** जांच से पता चला है कि स्टोर द्वारा उत्तर प्रदेश से मंगाये गये गुड़ का कुछ भाग मेसर्स शिव दयाल जुगल किशोर नाम की एक गैरसरकारी फर्म के गोदामों में रखा हुआ था। २९-११-६३ को स्टोर ने इस फर्म के श्री जुगल किशोर को लिखा कि उन्होंने मंगाये गये गुड़ को रखने के लिये उनके गोदामों का उपयोग किया था तथा वह उनकी ओर से इस गुड़ को ८५ रु० प्रति क्विन्टल के हिसाब से बेच सकते हैं। उसी दिन, श्री जुगल किशोर ने स्टोर को सूचित किया कि फर्म के गोदाम किरायामुक्त आधार पर स्टोर के लिये हैं तथा यह व्यवस्था स्टोर के सभापति को भी बता दी गई है।

यह कुछ भी हो, जांच से पता चला है कि भांडागार आदि के सम्बन्ध में गुड़ व्यापारी लाइसेंसिंग आर्डर की शर्तों का प्रथमदृष्टया उलंघन किया गया है। उसके लिये, मामले दर्ज कर लिये गये हैं तथा प्रशासन ने कदम उठाये हैं।

श्री बड़े : क्या यह सच है कि सैंट्रल कोआपरेटिव स्टोर ने ८५ या ८७ रुपये क्विंटल के भाव पर गुड़ बहुत दिन बेचा, यदि हां, तो उसने इसमें कितना मुनाफा कमाया और क्या यह लाइसेंसिंग आर्डर डिफैंस आफ इंडिया एक्ट के अन्तर्गत निकाला गया है, यदि हां, तो उनके खिलाफ कोई ऐक्शन क्यों नहीं लिया गया?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थॉमस** : गुड़ लाइसेंसिंग तथा नियंत्रण आदेश अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत तथा मूल्य प्रदर्शन आदेश भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत जारी किये गये हैं। अतः अन्य दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत की गई है। यह मामला गुड़ लाइसेंसिंग आर्डर की शर्तों के उल्लंघन करने से सम्बन्ध रखता है और इस लिये मैंने बताया कि उसके अधीन इस संस्था के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

†**श्री काशीराम गप्त** : कुल राशि कितनी है ?

†**श्री अ० म० थामस** : कुल राशि ? हमारी जानकारी यह है कि उन्होंने १०० टन मंगाया था जिसमें से उन्होंने कुछ भाग ८५ रु० के भाव से बेचा। १००० क्विन्टल गुड़ में से लगभग ३०० क्विन्टल ८५ रुपये के हिसाब से फुटकर में तथा लगभग ४०० क्विन्टल ८० रु० प्रति क्विन्टल के हिसाब से थोक में बेचा गया। बाद के आदेश के अनुसार गुड़ को विभिन्न किस्मों के थोक मूल्य ६६ से ६६ रुपये तथा फुटकर मूल्य ६८ से ७१ रुपये हैं। ८५ रु० के हिसाब से, माननीय सदस्य राशि निकाल सकते हैं।

श्री काशी राम गुप्त : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दुकानदारों के लिए जो वस्तुओं के मूल्यों की सूची लगाने की पाबंदी है वह पाबंदी क्या इस कोआपरेटिव स्टोर पर भी थी, यदि हां, तो क्या उन्होंने उस पाबंदी का पालन किया, यदि नहीं किया तो फिर उन का डीलर्स लाइसेंस रद्द करने के लिए सरकार का विचार है कि नहीं ?

†**श्री अ० म० थामस** : मैं पहिले ही बता चुका हूं कि गुड़ मंगाने की परमिट रद्द कर दी गई है।

†**श्री काशी राम गुप्त** : मेरा कहना है कि व्यापारियों का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिये।

†**श्री अ० म० थामस** : व्यापारियों के लाइसेंस रद्द करने के बारे में बात यह है कि इन व्यापारियों की एक बहुत बड़ी संस्था है जो अनेक वस्तुओं का लेनदेन करती है तथा थोक व्यापार के मामले में इसका दिल्ली में प्रमुख स्थान है। ये व्यापारी सीमेंट, कोयला तथा अन्य वस्तुओं का भी लेनदेन करते हैं। अतः यदि इन सब वस्तुओं के लेनदेन सम्बन्धी लाइसेंस रद्द कर दिया जाय, तो इस से जनता को बड़ी परेशानी हो जायेगी और इसलिये हमने ऐसा नहीं किया है। मैं नहीं सोचता कि ऐसा करना आवश्यक है। फिर मामलों का भी फैसला करना है।

†**श्री काशी राम गुप्त** : पहली बात का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कोआपरेटिव स्टोर को जो लाइसेंस दिया गया था तो क्या लाइसेंस की शर्तों में एक शर्त्त यह भी थी कि यह सोसाइटी जिन को गुड़ बेचेगी तो रसीद के ऊपर जिसको कि वह दिया जा रहा है उस का नाम लिखा जायेगा लेकिन सोसाइटी ने जिन को गुड़ बेचा है उसमें इस नाम लिखने की शर्त्त का पालन नहीं किया है यदि हां तो फिर इस सोसाइटी के विपरीत क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री अ० म० थामस** : जी, नहीं। लाइसेंसिंग आर्डर में ऐसी कोई शर्त नहीं है। वस्तुतः, इनके लिए व्यक्तियों को बेचे गये माल का हिसाब रखना आवश्यक है और मांगने पर हिसाब देने के लिये वे बाध्य हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राम सेवक यादव : क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि चीज़ों को बढ़े हुए दाम पर और काले बाज़ार में थोक व्यापारी बेचते हैं, यदि यह सही है तो उन पर रोक लगाने की क्या कार्यवाही की गई और यह जो ३७ लोग पकड़े गये उनमें फुटकर व्यापारी कितने हैं और थोक व्यापारी कितने हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : मूल्य सूची न लटकाने के अनेक मामले थे और इस बारे में कार्यवाही की गई है। दो मामलों में दण्ड मिल चुका है तथा अन्य के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इनमें कितने थोक व्यापारी हैं तथा कितने फुटकर व्यापारी ?

†**श्री अ० म० थामस** : ये सब फुटकर व्यापारी हैं।

†**श्री दाजी** : बड़े पैमाने पर हुई मुनाफाखोरी को देखते हुए क्या सरकार इस संस्था द्वारा किये गये अन्य सौदों के बारे में भी सामान्य जांच कराने का विचार रखती है अथवा नहीं ?

†**श्री अ० म० थामस** : अन्य सौदों के बारे में भी मुख्य आयुक्त को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वह इन के बारे में भी जांच कर रहे हैं।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या इन सहकार्य संस्थाओं के अतिरिक्त, अन्य लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों ने भी ऐसा किया है और यदि हां, तो उन्होंने कितना गुड़ मंगाया तथा उसे किस मूल्य पर बेचा ?

†**श्री अ० म० थामस** : और भी लाइसेंस प्राप्त व्यापारी थे और स्टोर का बहाना यह था कि चूंकि अन्य थोक व्यापारी भी करीब-करीब इसी मूल्य पर बेच रहे थे, अतः उनके द्वारा इस मूल्य पर बेचना न्यायसंगत है।

†**श्री जसवन्त मेहता** : सब सहकारी समितियों सहित व्यापारियों की मुनाफाखोरी की प्रवृत्तिको अनुभव करते हुए तथा यह देखते हुए कि गुड़ उत्पादन करने वाले क्षेत्रों तथा गुड़ कमी प्रधान क्षेत्रों में प्रचलित मूल्यों में बहुत अन्तर है, क्या सरकार गुड़ को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर जो प्रतिबन्ध लगा हुआ है, उसके समाप्त करने को सोच रही है ?

†**श्री अ० म० थामस** : वह एक नीति सम्बन्धी विषय है।

†**श्री गौरी शंकर कक्कड़** : क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि उपविधियों तथा सहकारी समितियों सम्बन्धी कानूनों के अनुसार वे इस प्रकार की मुनाफाखोरी नहीं कर सकते और यदि हां, तो क्या रजिस्ट्रार अथवा अन्य अधिकारियों का उस सोसायटी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने इस का उत्तर पहिले ही दे दिया है।

†**श्री अ० म० थामस** : वह एक व्यापक प्रश्न है। प्रश्न तो इस समय यह है कि क्या उन्होंने कोई दाण्डिक अपराध किया है। अन्य बातों के बारे में जांच करना सहकारी विशेषज्ञों का कार्य है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री नाथपाई। ध्यान दिलाने वाली सूचना।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कपूर सिंह :** श्रीमान्, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा नाम भी सूची में था।

†**अध्यक्ष महोदय :** और भी बहुत से व्यक्तियों के नाम थे जिन्हें मैंने अवसर नहीं दिया है। मुझे इसका खेद है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

†**श्री नाथ पाई :** मैं प्रधान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उन से निवेदन करता हूं कि वे इस पर वक्तव्य दें :

"संयुक्त राज्य अमरीका के सातवें बेड़े द्वारा अपनी कार्रवाई का क्षेत्र हिन्द महासागर तक बढ़ानां और उस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया"

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलालनेहरू) :** अख़बारों में ऐसी ख़बरें देखने में आई हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार अपने सातवें बेड़े की कार्रवाई का क्षेत्र चीन सागर से बढ़ा कर हिन्द महासागर तक कर रही है। इस संबंध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है और न ही अमरीका सरकार ने इस मामले में हमसे कभी कोई सलाह ली है। १७ दिसम्बर को जब जनरल मैक्सवैल टेलर मुझ से मिले थे, तब अन्य बातों के अलावा उन्होंने मुझे यह भी बताया था कि वे इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इस क्षेत्र के समुद्र की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से अमरीकी सातवें बेड़े के कुछ जहाज़ों को इन इलाक़ों में समुद्री अभ्यास के लिये भेजना कहां तक ठीक रहेगा। लेकिन, इस मामले में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। समुद्री अभ्यास के लिए सातवें बेड़े के कुछ नौसैनिक जहाज़ काम में लाये जा सकते हैं। अगर संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ऐसा करने का फ़ैसला करती है तो आज हम जो कुछ कह सकते हैं वह सिर्फ इतना ही है कि भारतीय जल-प्रदेश के बाहर महासागर स्वाभाविक रूप से उनके लिए उतना ही खुला है जितना कि किसी अन्य देश के नौसैनिक जहाज़ों के लिए।

†**श्री नाथ पाई :** प्रधान मंत्री ने जो वक्तव्य एक और स्थान पर दिया था और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है कि उसे दृष्टिगत रखते हुए मैं पूछना चाहता हूं कि अमरीका का इसमें उद्देश्य क्या है और इसका दक्षिण-पूर्व एशिया की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** वे सीधा और संक्षिप्त प्रश्न पूछें तो मैं उसकी अनुमति दे सकता हूं।

†**श्री नाथ पाई :** भारत सरकार के अनुमान के अनुसार इस कार्य का मंतव्य क्या है? क्या जैसा कि दावा किया जाता है यह चीनियों की रोक थाम के लिए है या जिन देशों में अमरीकां के अड्डे हैं वहां की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इस प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं। मैं उनके मंतव्य नहीं जानता। इस बारे में मैं जो अनुमान लगा सका हूं उसे सभा को बताना उचित नहीं। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने कुछ समाचारपत्रों में समाचार पढ़ा है। मुझे तो यह बताया गया है कि यह जानकारी रखने के लिए है। जेनरल

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मेक्सवेल मुझे मिलने आये थे उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि हमारे समाचार पत्रों में यह समाचार है किन्तु उसका अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया। किन्तु इस पर विचार किया जा रहा है। जैसा मैंने बताया बेड़े के कुछ जहाज आयेंगे और संभवतः अफ्रीका भी जायेंगे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये जहाज हमारे पत्तनों पर या समुद्री क्षेत्राधिकार में आयेंगे।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सरकार की यह प्रवृत्ति है कि अमरीका चीन जापानी किसी भी देश को हिन्द सागर और अरब सागर में घुसने का अधिकार है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूं कि हमारी अनुमति लेने का कोई प्रश्न नहीं है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यदि कोई परामर्श नहीं किया गया तो क्या यह आभास दिया गया है कि आपको उस पर कोई आपत्ति नहीं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह प्रश्न नहीं उत्पन्न होता कि वे हम से पूछें। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे क्या करने वाले हैं। अभी हमें पता नहीं। एक सदस्य ने कहा कि वे सैर के लिये आ रहे हैं। हां वे सैर के लिए ही आ रहे हैं।

†**श्री वासुदेवन नायर** : युद्धपोत सैर के लिये कैसे आ सकते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : संभवतः आस पास के देशों पर प्रभाव डालने के लिए। कुछ औचित्य हो सकता है। किन्तु वे भारत नहीं आ रहे। हिन्द सागर बहुत बड़ा है अफ्रीका से दक्षिण ध्रुव तक फैला हुआ है। हम किसी से नहीं कह सकते कि वह यहां न आये।

श्री यशपाल सिंह : मान लीजिये कि भारत सरकार के प्यारे प्रोपोज़ल्ज़ को, यानी कोलम्बो-प्रोपोज़ल्ज़ को, चाइना मान लेता है, तो फिर ारत सरकार का सैवन्थ फ्लीट के बारे में क्या रुख़ रहेगा ? (**अन्तर्बाधा**) मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य बैठ जायें।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : समाचारपत्रों के अनुसार तो अमरीकी बेड़े के दो चार जहाज नहीं बल्कि अणु शस्त्रों से सज्जित जहाज और विमान वाहक जहाज आयेंगे और उनका उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों की रक्षा करना है और इस सागर में अपना प्रभुत्व जमाना है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पता नहीं समाचारपत्रों की यह खबर कहां तक सच है कि अणु शस्त्रों से सुसज्जित जहाज आयेंगे। श्री टेलर के कथन से मैं यह समझा हूं कि एक विमान वाहक कुछ विध्वंसक, यदि उन्होंने ऐसा निश्चय किया तो, हिन्द सागर में एक दो महीने में आयेंगे। मैं समझता हूं कि इसका यह है कि वे एसा इसलिए कर रहे हैं कि उन देशों को पता लग जाये कि वे यहां हैं।

†**श्री स्वेल** : इस वर्ष १८ अप्रैल को रक्षा मंत्री ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में बताया था कि आंध्र के तट पर चुंग सिंग नामक एक विदेशी जहाज देखा गया था और उसे रोका नहीं जा सका। अतः क्या प्रधान मंत्री समझते हैं कि सातवें बेड़े के यहां होने पर चीनियों की दिलेरी की रोकथाम हो सकेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वासुदेवन् नायर** : क्या सातवें बेड़े के यहां आने पर स्वतंत्र देशों में तनाव पैदा होगा और क्या यह अब अमरीका को प्रेषित किया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यहां के देशों में कोई आतंक नहीं फैलना चाहिये । दक्षिण-पूर्व एशिया के देश अमरीका के मित्र हैं । उनमें से अधिकांश तो मित्र हैं ।

†**श्री दाजी** : श्रीलंका की प्रधान मंत्री ने गहरी चिन्ता व्यक्त की है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कुछ एक चिन्तित हो सकते हैं ।

†**श्री वारियर** : क्या यह सच है कि जनरल टेलर ने पेशकश की है कि वे विमान वाहक जहाज़ सुरक्षा हेतु दे देंगे और प्रतिरक्षा मंत्रालय उससे सहमत हो गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस तरह की कोई पेशकश नहीं थी, कोई प्रस्थापना नहीं थी, जैसे कि अखबारों में छपा है । उन्होंने कहा था कि इस बारे में अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है । परन्तु अमरीका जाने से पूर्व उन्हें बताया जा रहा था कि सातवें बेड़े का कुछ अंश इधर आ रहा है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : मैं जानना चाहता हूं कि प्रेज़ीडेंट कैनेडी की मृत्यु पर न जाकर जो भूल हुई थी, क्या उसका प्रायश्चित इसके द्वारा किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका इसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : आजकल अमरीकी और ब्रिटिश अखबारों में इस बारे में बड़ी अधिकृत खबरें छप रही हैं कि अमरीका का सातवां बेड़ा हिन्द महा सागर में आ रहा है । क्या यह स्थायी होगा, इस बारे में अमरीकी सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : आगे वे क्या करने वाले हैं, इस बारे में क्या कहा जा सकता है, न ही हमने उनसे कुछ पूछा ही है । उन्होंने बताया यही है कि वह एक ही बार आयेंगे ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह अमरीका का विस्तार है ?

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अखबारों में ऐसा छपा है कि प्रधान मंत्री ने राज्य सभा में कहा था . . . .

अध्यक्ष महोदय : राज्य सभा का कोई ज़िक्र न करें ।

श्री राम सेवक यादव : अखबारों की बात कर रहा हूं । अखबारों में छपा है प्रधान मंत्री के ध्यान के बारे में . . . .

अध्यक्ष महोदय : उसका ज़िक्र न करें ।

श्री राम सेवक यादव : प्रधान मंत्री ने कहा है कि अमरीकी सातवां बेड़ा आ सकता है । फिर कहा था कि दो चार जहाज़ ही आ सकते हैं । यह दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं । मैं जानना चाहता हूं कि वस्तुस्थिति क्या है और प्रधान मंत्री इस प्रकार के अनिश्चित ब्यान क्यों देते हैं और अगर कोई बात है तो पक्की बात इस सदन को वह बतायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे मालूम नहीं कौन सी बात इस में माननीय सदस्य को ऐसी मालूम हुई जिसके आपस में दो माने हों। मैंने वहां यही कहा था कि उनके जहाज़ों में से कुछ तीन-चार आयगे शायद। ठीक मालूम नहीं था मुझे। मेरा खयाल था। लेकिन आज जनरल मैक्सबैल ने कहा है यहां से जाते जाते, यह छपा भी है अखबारों में, टेलीप्रिंटर में मैंने देखा है, कि उनका इरादा है, अगर भेजें तो एक ट्रांस्पोर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके साथ चार पांच डैस्ट्रायर और एक आयल टैंकर, भेजें।

†**श्री हेम बरुआ**: : ठीक है, इस कार्य के लिए अमरीका हमारी अनुमति थोड़े ही लेगा, परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि इससे अन्य शक्तियां भी न उठ खड़ी हों और हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ जाय।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे सन्देह है कि ऐसा होगा। यदि हमने देखा कि हालात हमारे विरुद्ध जा रहे हैं तो हम विरोध करते हैं। ऐसे ही नहीं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अशोक होटल लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन और उस पर सरकार की समीक्षा

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत, अशोक होटल लिमिटेड, नई दिल्ली की ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(२) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष १९६२-६३ का वार्षिक तिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणिएों सहित।

(ख) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० २१७७/६३ और २१७८/६३]

हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उस पर महा लेखा परीक्षक की समीक्षा

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उपधारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रघुरामैया]

के वर्ष १६६२-६३ के वार्षिक तिवेदन की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की समीक्षा सहित, सभा पटल पर रखता हूं । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २१७६/६३]

संघ लोक सेवा आयोग का १३वां प्रतिवेदन तथा उस पर अभ्यावेदन

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरतवीस)**: मैं संविधान के अनुच्छेद ३२३(१) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) १ अप्रैल, १६६२ से ३१ मार्च, १६६३ तक की अवधि के लिये संघ लोक सेवा आयोग का तेरहवां प्रतिवेदन ।

(दो) उपरोक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले में आयोग की सलाह न मानने के कारण बताने वाला ज्ञापन ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० २१८०/६३] ।

सीमा शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिनियम तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

†**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: मैं निम्नलिखित को सभा पटल पर रखता हूं :

सीमा-शुल्क अधिनियम, १६६२ की धारा १५६ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) दिनांक ७ दिसम्बर, १६६३ की जी० एस० आर० संख्या १८५६ ।

(दो) दिनांक ६ दिसम्बर, १६६३ की जी० एस० आर० संख्या १८८० ।

सीमा-शुल्क अधिनियम १६६२ की धारा १५६ और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १६४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम १६६० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ७ दिसम्बर, १६६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८६० की एक प्रति ।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १६४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक ३० नवम्बर, १६६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८४३ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (उन्तीसवां संशोधन) नियम, १६६३ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या क्रमशः एल० टी० २१८१/६३, २१८२/६३] और २१८३/६३]।

एयर इंडिया तथा इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : मैं विमान निगम अधिनियम, १६५३ की धारा १५ की उपधारा (४) के साथ पठित धारा ३७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्न लिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(१) एयर इंडिया का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष १९६२-६३ के वार्षिक लेखे तथा उस पर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सहित ।

(२) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष १९६२-६३ के वार्षिक लेखे तथा उस पर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सहित ।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या क्रमशः एल० टी० २१८४/६३ और २१८५/६३ ।]

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति सातवां प्रतिवेदन

†श्री खाडिलकर (खेड) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पुनर्गठन समिति की सिफारिशों के बारे में वक्तव्य और सरकार द्वारा उन पर किये गिये निर्णय

†योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : वक्तव्य लम्बा हैं, अतः मैं इसे सभा-पटल पर रखता हूं : [पुस्तकालय में रखा गया देखिए संख्या एल.टी०—२१८६/६३]।

सदस्य द्वारा वक्तव्य

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करता हूं कि विदेश मंत्री ४ दिसम्बर और १९ नवम्बर की गलत बयानियों को सुधारें ।

४ दिसम्बर को श्री मनीराम बागड़ी के प्रश्न पर क्या चीन से अफरीका पहुंचने का हिंदुस्तान के सिवाय अन्य कोई रास्ता नहीं है उत्तर देते हुए विदेश मंत्री ने कहा "कोई और रास्ता होगा तो बहुत लम्बा होगा कोई सीधा रास्ता नहीं होगा । मैं नहीं जानता । शायद सीलोन हो कर जा सकें ।" हिन्दुस्तान के अलावा किसी और रास्ते के बारे में विदेश मंत्री को इतना सन्देह था कि उन्होंने कहा कि वह नहीं जानते और श्री लंका मार्ग का संदिग्ध अन्दाजा लगाया । किन्तु इस गलती को अगर नजरअन्दाज भी कर दें तो सीधा रास्ता न होने की ओर लम्बे रास्ते की गलत बयानी जरूर सुधरनी चाहिये । पीकिंग से काहिरा नैरोबी जाने के लिये दो सीधे रास्ते हैं। एक काशगर-करांची का रास्ता है । दूसरा ताशकंद हो कर है । दोनों में से किसी भी रास्ते से दो हजार मील से ज्यादा की उड़ान कम हो जाती । काशगर में बड़ा हवाई अड्डा है । और हर हालत में आधुनिक जेट हवाई जहाज पीकिंग से करची बिना कहीं उतरे आसानी से उड़ सकता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० राम मनोहर लोहिया]

यह प्रसंग उठाना बेमतलब होगा कि बी० ओ० ए० सी० अथवा के० एल० एम० के साधारण हवाई जहाज किस रास्ते उड़ा करते हैं। चीनी हमलावर साधारण जहाजों में नहीं उड़ रहे हैं। उन्होंने इन कम्पनियों के विमान विशेष भाड़े से लिये अथवा चार्टर किये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कायदों के अनुसार पट्टे पर लिये विमान का विशिष्ट इकरारनामा होता है और उन्हें सदा सूचित रास्तों का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। क्योंकि गलत तथ्यों को सुधारना भर है इसलिये मुझे मजबूरन मतलब नहीं इस बात से कि चीनी नेताओं ने हिन्दुस्तान के रास्ते क्यों उड़ना चाहा और न इस बात से कि हिन्द की धरती पर हमला करने वालों को हिन्द की वायु का इस्तेमाल क्यों करने दिया गया। मैं आशा करता हूं कि इन असंगत प्रश्नों को न उठाने दिया जायेगा। वरना मुझे भी इन पर बोलने का मौका मिलना चाहिये।

उसी तारीख को श्री प्रकाशवीर शास्त्री का जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने कहा "हमारी राय में अन्तर्राष्ट्रीय कायदों के हिसाब से और नैतिकता के भी हिसाब से हमारा उस लाइन को रोकना ठीक नहीं था जो कि रोजाना चलती हैं"। इकतरफा अथवा दुतरफा गोलाबन्दी के मेरे प्रश्न का विदेश मंत्री ने जवाब दिया "इस तरह का हवाई जहाज की उड़ान का इजाजत देने पर इस बात का क्या असर हो सकता है।" नैतिकता राय की चाज है किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कायदे तथ्य की। एक गलती विदेश मंत्री ने यह की कि विशेष पट्टे पर लिये गये विमान को रोजाना चलने वाली लाइन से जोड़ दिया। दूसरी गलती विदेश मंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीय कायदों के बारे में की। ऐसा एक भी अन्तर्राष्ट्रीय कायदा नहीं है, जो भारत सरकार को चीनियों को वायु रास्ता देने के लिये मजबूर करता हो। इस संदर्भ में विदेश मंत्री ने दूत सम्बन्धों का जिक्र किया। न इनका कोई अर्थ है और न युद्ध के ऐलान होने का। यह सर्वसम्मत है कि डि फैक्टो यानी अमली युद्ध डि जूरे यानी कानूनी युद्ध है। यह भी सर्वसम्मत है कि एक तरफा गोलीबन्दी को कौन कहे युद्ध विराम हो जाने के बाद भी शान्ति नहीं होती अस्थायी शान्ति तक नहीं होती और लड़ाई बन्द होने के अलावा सब बातों में युद्ध समरों में युद्ध की स्थिति रहती है।"

अध्यक्ष महोदय, आप ने मुझे आदेश दिया है कि मैं श्री कैनेडी की अन्त्येष्टि क्रिया के सम्बन्ध में न पढ़ूं। तो इस सम्बन्ध में मुझे एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना है जो इस वक्त उठाने दें।

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैं इस वक्त उस की इजाजत नहीं दे सकता।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न किस पर है। जो आप ने बोला है क्या उस पर व्यवस्था का प्रश्न है।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह जो मेरा अपना ब्यान है उस की आप ने परसों मुझे इजाजत दी थी। आप मेरे व्यवस्था के प्रश्न को सुन कर ही अपना हुक्म दें उस के पहले नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आप ने जो ध्यान देना चाहा था मैं जब उस की इजाजत दी थी देख कर तो आप ने कहा कि वह तो मेरी चिट्ठी थी। मैं ने कहा कि आप अपना ब्यान दे दें। आप ने अपना ब्यान दे दिया। मैं ने जिस हिस्से की इजाजत दी थी वह आप ने पढ़ दिया। मैं दूसरे हिस्से की इजाजत नहीं दे सकता। प्राइम मिनिस्टर कुछ कहना चाहते हैं क्या।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय मैं आप को याद दिलाऊं । शायद आप भूल रहे होंगे कि १७ तारीख की कार्य सूची में इस को शामिल किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप दूसरा सवाल उठाना चाहते हैं कि चूंकि कार्य सूची में रक्खा गया था इस वास्ते आप को हक हो गया तो वह आप किसी और वक्त उठाइये । इस वक्त जितना मैं ने आप को पढ़ने की इजाजत दी थी वह पढ़ा गया ।

डा० राम मनोहर लोहिया : आखिरी पैरा है जो इससे सम्बन्ध नहीं रखता । अगर आप मुझे इजाजत दें तो शायद मैं कोई रास्ता निकाल लेता जिस से यह मामला हल हो । विदेश मंत्री भी ठीक .

अध्यक्ष महोदय : मैं उस की इजाजत नहीं दे सकता ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जिस का चीनियों के साथ सम्बन्ध है उसे मैं पढ़ दूं । आखिरी पैरा जो है उस का कोई सम्बन्ध कैनेडी से नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : जितना ब्यान मेरे पास आया था उतना आप ने पढ़ दिया । आगे नहीं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : आखरी पैरा आप देख लीजिये । आखिर हम सब लोग अपनी समझ के अनुसार लोक सभा की सेवा करते हैं । (**अन्तर्बाधा**) । सवाल यह है कि अपनी समझ के अनुसार . .

अध्यक्ष महोदय : आप को मैं ने जो कैनेडी के सम्बन्ध में था उस की इजाजत नहीं दी ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जी हां आखिरी मैं पढ़े देता हूं ।

"मैं विदेश नीति अथवा भावना और आदर्श के प्रश्न नहीं उठा रहा हूं न सच्चे न खोखले क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस तथ्य सुधार के संदर्भ में विदेश मंत्री को असंगत बातें कहने का मौका न मिले ।"

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं ने बगैर सुने जो डा० लोहिया ने कहा और उन्होंने इस बात को साबित करने की कोशिश की कि जो मैं ने उस वक्त कहा था श्री प्रकाशवीर के जवाब में वह गलत था। मेरी राय में अब तक वह बिल्कुल सही है और मैं अब भी फिर कहने को तैयार हूं कि मेरी समझ में नहीं आता क्या गलती थी बावजूद उन को सुनने के। मैं ने यह कहा था उन से कि अगर जिस जहाज पर चीन के प्रधान मंत्री जा रहे थे उसे हम यहां से न जाने देते तो उन को ज्यादा चक्कर लगा कर जाना पड़ता । एक सर्क्यूटस रूट मैं कहा था । मुझे मालूम नहीं है कि वह और क्या होता । शायद उन को लंका हो कर जाना पड़ता । यह मैंने कहा था । और यह बिल्कुल सही बात है इस में कोई भी गलतफहमी नहीं हो सकती किसी को । उन्होंने बतलाया कि वह ताशकन्द होकर जाते या कहीं और हो कर जाते इधर उधर से । ताशकन्द कोई रास्ता नहीं है हवाई जहाज का सिवा इस के कि खास हवाई जहाज कभी जायें तो और बात है । लेकिन आम तौर से जाते नहीं हैं नये रास्तों पर जो मालूम न हों । काफी मुश्किल है ताशकन्द की रूट । पहाड़ों के ऊपर से है । अगर जाना

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

ही हो तो हलके हलके उस पर उड़ान करते हैं क्योंकि हां कोई फेसिलिटीज नहीं कोई आराम नहीं इत्तला वगैरह की उन्हें। इस लिये वह रास्ता नहीं था। लेकिन मैं ने इस का हिसाब नहीं लगाया था कि वह ताशकन्द हो कर जायें। सीधी बात है कि उन्हें चक्कर लगा कर जाना पड़ता।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय मैं कह रहा हूं मैं अर्ज कर रहा हूं कि गलत ब्यानी फिर हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। आप रोज देखते हैं कि जब एक मेम्बर क्वेश्चन करे कि ब्यान ठीक नहीं दिया गया तो मैं उस को अवसर दे सकता हूं कि वह अपना ब्यान दे दें और दूसरा ब्यान भी हो जाय। दोनों ब्यान ऊपर आ जाते हैं। इस के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता।

डा० राममनोहर लोहिया : मुझे बीस दिन लगे इस सवाल को बनाने में।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस से ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरी राय यह है कि जो कुछ मैंने कहा था वह बिल्कुल सही था। आप भी समझेंगे कि उस में कोई गलत बयानी नहीं थी कि चक्कर लगा कर जाना पड़ेगा। जैसे एक चिड़िया उड़ कर जाती है वैसे हवाई जहाज नहीं जाता। कुछ और भी बात देखनी होती हैं कि किधर जा सकता है या उतरने की जगह है या नहीं, क्या उसे इत्तला मिलती है, वगैरह। जैसा उन्होंने कहा उधर से जा सकते थे, उत्तर से हिन्दुस्तान के, उस में पचासों दिक्कतें होतीं। अलावा इस के बी०ओ०ए०सी० वहां कभी गया नहीं है, आज तक मेरी इल्म में वह कभी वहां उड़ा नहीं है। बी० ओ० ए० सी० और के० एल० एम०, दोनों वहां नहीं गये हैं। वहां जाना मुश्किल था। मैं ने आम बातें कहीं थीं कि चक्कर लगा कर जाना पड़ता। वह चाहे पूरा चक्कर न होता, सीधा होता, फिर भी चक्कर ही हुआ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ रास्ते के बारे में पूछ रहा हूं कि वह रास्ता छोटा होता या बड़ा।

अध्यक्ष महोदय : अब वह सवाल नहीं कर सकते।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ने अर्ज किया कि मैं नहीं जानता, शायद नक्शे से छोटा हो, लेकिन नक्शे से छोटा होने की वजह से हवाई जहाज वहा नहीं उड़ रहे हैं।

डा० राम मनोहर लोहिया : उड़ रहे हैं और उड़ सकते हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : कराची के ताशकन्द को उड़ते हैं, लेकिन न तो बी० ओ० ए० सी० और न के० एल० एम० के जहाज वहा गये हैं। (**अन्तर्बाधाएं**) मेरी अर्ज यह है कि यह जो माननीय सदस्य डा० लोहिया ने ऐतराज किया है इसमें कोई असलियत नहीं है सिवा इसके कि नक्शे से उन्होंने नाप लिया हो। मैं ने कहा कि वह बिल्कुल सही बात थी जहां तक मुझे इल्म था। मैं ने नक्शे से तो नहीं नापा, शायद नक्शे से बिल्कुल सीधा हो। लेकिन हवाई जहाज सीधे नहीं उड़ते हैं। जो हवाई जहाज उन्होंने लिया था वह सीलोन हो कर या इधर उधर हो कर जा सकता था।

दूसरी बात उन्होंने गोली बन्दी या सीज फायर के बारे में कही कि वह इकतरफा हुई दो तरफा नहीं हुई। यह बात सही है कि हमने अभी तक जाबते से चीन के खिलाफ लड़ाई का ऐलान नहीं किया है। हमारे यहां उनकी एम्बेसी खुली है और उनके यहां हमारी एम्बेसी खुली है। यह गलत है या सही यह सवाल नहीं है।

डा० राम मनोहर लोहिया : बिना ऐलान के भी युद्ध होता है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि बिना ऐलान के भी युद्ध होता है या नहीं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, होता है। लेकिन इस वक्त तक ऐसा ऐलान नहीं हुआ है। और ऐसे मोके पर हम इस बुनियाद पर कि साल भर हुआ उन्होंने युद्ध किया था, उन को न जाने देते, यह मेरी समझ में नहीं आया।

दूसरी बात उन्होंने यह कही थी कि बी० ओ० ए० सी० का इधर जाना यह मामूली बात है।

हम आम तौर से उसे नहीं रोक सकते। यह जरूर था कि हम उन से यह कहते कि उतर जाएं कहीं हिन्दुस्तान की जमीन पर, चीन के प्राइम मिनिस्टर को लेकर उतर जाएं। यह हमारा कायदा है, लेकिन जब कोई खास आदमी होता है तो यह कायदा अमल में नहीं लाया जाता, और हम इसरार नहीं करते। चुनाचे हमने इसरार नहीं किया और. . .

डा० राम मनोहर लोहिया : प्रधान मंत्री को मालूम होना चाहिये कि साधारण हवाई जहाजों के नियम और होते हैं और चार्टर्ड हवाई जहाजों के नियम और होते हैं।

विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन के बारे में

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : श्रीमान्, मैं कर्तव्य की दृष्टि से सभा का सम्मान बनाये रखने के लिये यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। अमरीका के सातवें बेड़े के संबंध में कुछ माननीय सदस्यों द्वारा १२ अथवा १३ तारीख को ध्यान दिलाने वाली सूचना दी गई थी। अध्यक्ष महोदय ने इस सूचना का उत्तर दिये जाने के लिये १९ तारीख निश्चित की थी।

१७ तारीख को कुछ माननीय सदस्यों ने १२ बजे यह प्रश्न उठाया था और आपने प्रधान मंत्री की उपस्थिति में सभा को यह सूचित किया था कि यह प्रश्न १९ तारीख को लिया जायेगा। किन्तु प्रधान मंत्री के यह जानने के बाद भी कि वह प्रश्न १९ तारीख की कार्य सूची में रखा गया है उन्होंने यहां प्रश्न पूछे जाने के कुछ घंटे बाद ही सम्वाददाताओं के सामने और अन्य स्थानों पर इस संकल्प में वक्तव्य दिया। उस आचरण से सभा का विशेषाधिकार भंग किये जाने का प्रश्न उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त भी जैसा कि मैं ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ १२० पर कहा है:

> "अन्य कार्य जो अप्रत्यक्ष रूप से इस सभा का अवमान करने ते हैं अथवा इस के प्राधिकार को कम करके दिखाते हैं; अवमानपूर्ण समझे जायें।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री याजी]

प्रधान मंत्री ने १७ तारीख को इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और कुछ घंटों बाद ही दूसरी सभा में इस प्रश्न का उत्तर दिया । इससे इस सभा का अवमान होता है ।

श्रीमान्, आपको और आपने पूर्वाधिकारियों ने यह विनिर्णय दिया था कि नीति संबंधी स्वतः दिये गये वक्तव्यों और स्वतः घोषणाओं के संबंध में जब सभा का सत्र हो रहा हो तब प्रथा ऐसी है कि पहले सभा के सम्मुख इनकी घोषणा हो । इस विषय में भी क्योंकि यह स्वतः घोषणा थी यही विनिर्णय लागू होगा । यह प्रथा का ही नहीं, अपितु विशेषाधिकार का भी प्रश्न है, क्योंकि एक बार कार्य सूची में रखने के बाद जब यह बात सरकार की और सदस्यों की जान कारी में है तब इससे संबंधित विषयों पर पहले सभा में ही चर्चा होनी चाहिये । इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि या तो इस विचार को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये अथवा सभा में ही इस पर चर्चा की जाये ।

†**श्री कपूर सिंह** (लुधियाना) : सभा के सामने निर्णय के लिये पहला प्रश्न क्या मे की पुस्तक का उद्धरण इस विषय में लागू होता है और दूसरा प्रश्न यह है कि प्रधान मंत्री ने वह वक्तव्य अन्य स्थानपर स्वतः दिया था अथवा प्रश्न पूछे जाने पर यदि यह प्रश्न के उत्तर में दिया गया था तो समस्या बिल्कुल ही दूसरी हो जायेगी । क्योंकि प्रधान मंत्री से केवल इसी लिये प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार करने की आशा नहीं की जा सकती कि वह प्रश्न इस सभा की कार्य सूची में रख लिया गया था ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाडा) : क्या प्रधान मंत्री को यहां की सूचना राज्य सभा में पूछे जाने वाले प्रश्न की सूचना के पहले मिली थी ? यदि ऐसा था तो औचित्य इसी में था कि पहले यहां वक्तव्य दिया जाता ।

†**श्री दाजी** : अध्यक्ष महोदय के घोषणा करने के समय प्रधान मंत्री यहां उपस्थित थे ।

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : श्रीमान्, मैं इस विशेषाधिकार के प्रस्ताव को अच्छी तरह नहीं समझ पाया हूं । माननीय सदस्य ने कहा की यह कार्य सूची में थी १६ तारीख की कार्य सूची में अथवा किसी और दिन की ?

†**श्री दाजी** : १७ तारीख । सुबह के समय आपको सूचना दे दी गई थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह नियमानुसार कार्यसूची में नहीं रखा गया था किन्तु मैं ने सभा को सूचित कर दिया था कि १६ तारीख को इसका उत्तर दिया जायेगा ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी ।

†**श्री दाजी** : १२.२० बजे जब अध्यक्ष महोदय ने सभा को सूचित किया तथा आप यहां उपस्थित थे ।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : वास्तव में आप १८ ता० को उत्तर चाहते थे । प्रधान मंत्री ने कहा कि वे १८ को यहां नहीं होंगे, इस लिये यह १६ तारीख को लिया जाये ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह बाद की बात है । मैं उसके पहले की बात कर रहा हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

१७ तारीख की सुबह मैंने श्री टेलर से मुलाकात की। ११ बजे के कुछ पहले अथवा ठीक ११ बजे जब मैं अपने कमरे से बाहर आ रहा था तब कई सम्वाददाताओं ने मुझे घेर लिया और पूछने लगे कि "उन्होंने सातवें बेड़े के विषय में क्या कहा है?" मैंने उनको टालना चाहा किन्तु मैंने उनसे चन्द शब्द कहे। मुझे याद नहीं कि वे क्या थे। मैं कोई आधा मिनट उनके साथ रहा। शायद मैं ने यह कहा था कि उन्होंने कुछ अधिक तो नहीं कहा किन्तु यह कहा था कि संभवतः अभी इस विषय पर निर्णय नहीं लिया गया है, कुछ जहाज आ सकते हैं, भारतीय समुद्र में आ सकते हैं, अथवा ऐसी ही कुछ बात। इससे अधिक मैंने कुछ नहीं कहा। तुरन्त ही मुझे राज्य सभा में जाना था वहां प्रश्नों का घंटा समाप्त होने पर जब मैं बाहर निकल ही रहा था कि राज्य सभा के एक माननीय सदस्य को .....

†**श्री दाजी** : आपने मुझे राज्य सभा की कार्यवाही के विषय में निर्देश करने से मना कर दिया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उनसे भी कहूंग कि उसका निर्देश न करें।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जो कुछ राज्य सभा में हुआ उसके विषय में चर्चा नहीं की जाये। ठीक है। फिर मैं जानना चाहूंगा कि विशेषाधिकार का प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है?

†**अध्यक्ष महोदय** : समाचारपत्रों को भी जानकारी दे दी गई है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पहली बात तो यह है कि उस समय मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि आपने १६ तारीख निर्धारित कर दी है। मैं भूल गया हूंगा। कल भी और १७ तारीख की रात के बाद मैंने कहा था कि उस समय मेरे लिये वक्तव्य देना आवश्यक नहीं था। किन्तु तब मुझ से कहा गया कि आपने आज का दिन निर्धारित कर दिया है। १७ तारीख को जब मैंने सम्वाददाताओं से बात की थी तब मुझे जानकारी नहीं थी। वस्तुतः बाद में आपने ऐसा कहा था, १७ तारीख को ११ बजे के पहले जब मैं सम्वाददाताओं से मिला था उस के पहले नहीं कहा। सलिये मेरे विचार में विशेषाधिकार का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। उस दिन भी मैंने अपना निर्णय दे दिया था कि सौजन्यता, औचित्य और वांछनीयता का प्रश्न हो सकता है, विशेषाधिकार का नहीं। किन्तु श्री दाजी ने कहा था कि यह १६ ता० की कार्यसूची में है। वास्तव में मैंने केवल घोषणा ही की थी कि यह १६ तारीख को लिया जायेगा।

भारत के और अन्य देशों के भी विनिणय मैंने पढ़ हैं। उन सबके अनुसार मंत्री द्वारा सभा के बाहर दिये गये नीति संबंधी वक्तव्यों आदि से सभा का विशेषाधिकार भंग नहीं होता।

श्री दाजी द्वारा पढ़े गये उद्धरण का आशय है कि शब्दों के अतिरिक्त अन्य साधनों द्वारा भी विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है। यह एक भिन्न विषय है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

कार्यसूची में विषय सम्मिलित किये जाने पर भी विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं होता।

जैसा कि प्रधान मंत्री ने कई बार कहा है। वे कि जब सभा का सत्र हो रहा हो तब यह वांछनीय है कि नीति संबंधी स्थूल बातों के संबंध में वक्तव्य पहले सभा के सम्मुख दिया जाये। किन्तु उन्होंने यह वक्तव्य सम्वाददाताओं के सामने सभा में आने के पहले दिया था। इसलिये इसमें विशेषाधिकार का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सभा अब कल ११ बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इस के पश्चात् लोक सभा शक्रवार, २० दिसम्बर, १९६३/२९ अग्रहायण, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, १९ दिसम्बर, १९६३

२८ अग्रहायण, १८८५ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—		२८५३—७७
तारांकित प्रश्न संख्या		
६५७	निवृत्ति वेतन पाने वालों को सहायता	२८५३–५४
६५८	दिल्ली से कार्यालयों का स्थानान्तरण	२८५४–५५
६५९	अधिमूल्य पुरस्कार बन्ध पत्र	२८५५–५६
६६०	राजघाट समाधि	२८५६—५९
६६१	अधिमूल्य दरें	२८५९–६०
६६२	कुष्ठ रोगियों तथा पागलों का बन्ध्यीकरण	२८५०—६२
६६३	बिजली बनाने के यंत्रों की खरीद	२८६२–६३
६६४	माताटीला परियोजना	२८६३—६५
६६५	कोयला परिवहन	२८६५–६७
६६७	धोखाधड़ी निरोधक दस्ता	२८६८–६९
६६८	परियोजना-अतिरिक्त ऋण	२८६९–७०
६७१	दन्त क्षय	२८७०—७३
६७४	गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस, नासिक	२८७३—७५
६७५	अमरीकी ऋण	२८७५–७६
६७६	किशाउ बांध	२८७६–७७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—		२८७७—२९०४
तारांकित प्रश्न संख्या		
६६६	बाल पक्षाघात निरोधक औषधि	२८७७
६६९	शरणार्थियों के लिए ऋण	२८७८
६७०	दिल्ली में बिजली का बन्द हो जाना	२८७८

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर —(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

६७२	नदी घाटी परियोजनायें	२८७८—७६
६७२-क	थाईलैंड की एक फर्म के साथ सहयोग करार	२८७६
६७३	नजफ़गढ़ विकास खण्ड, दिल्ली में पानी का भर जाना	२८७६—८०
६७७	राज्य वित्त मंत्रियों का सम्मेलन	२८८०
६७८	कृषि आय-कर	२८८०

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१६२५	कोठागुडम तापीय परियोजना	२८८०—८१
१६२६	आन्ध्र प्रदेश में नर्सिंग कालेज	२८८१
१६२७	इण्डो-कमर्शियल बैंक	२८८१—८२
१६२८	कुत्ते की शल्य चिकित्सा	२८८२
१६२६	दिल्ली के उपनगर	२८८२
१६३०	पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए विदेशी सहायता	२८८२—८३
१६३१	लाजपतराय मार्केट, दिल्ली	२८८३
१६३२	बाल पक्षाघात (पोलियो)	२८८३
१६३३	अल्प-बचत	२८८४
१६३४	राजस्थान में मेडीकल कालेज	२८८४
१६३५	ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें	२०८५
१६३६	श्रवण यंत्रों पर सीमा शुल्क	२८८५
१६३७	सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क विभागों में पुरस्कार	२८८५—८६
१६३८	स्वर्णकारों को लाइसेंस	२८८६
१६३६	दिल्ली में बिक्री-कर	२८८६—८७
१६४०	नई दिल्ली में मेहरौली के निकट अस्पताल	२८८७
१६४१	उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	२८८७
१६४२	आयकर अधिकारियों के लिए आवास व्यवस्था	२८८७—८८
१६४३	विद्युत संयंत्र	२८८८
१६४४	आन्ध्र प्रदेश में ताप विद्युत संयंत्र	२८८८
१६४५	वारासी में विदेशी सोने का पकड़ा जाना	२८८८—८६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--- (क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१९४६	आन्ध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनायें	२८८९
१९४७	लाहौल घाटी में बिजली घर	२८८९
१९४८	मध्य प्रदेश को सहायता	२८८९–९०
१९४९	दण्डकारण्य परियोजना पर व्यय	२८९०
१९५०	सरकारी आदाता द्वारा एक कार का खरीदा जाना	२८९०–९१
१९५१	राजस्थान नगर के लिए अर्जित भूमि	२८९१
१९५२	दामोदर घाटी निगम	२८९१–९२
१९५३	मोटवाने प्राइवेट लि०, बम्बई	२८९२
१९५४	राजस्थान तथा पंजाब के बीच पानी तथा बिजली का बांटा जाना	२८९२–९३
१९५५	बम्बई की बिजली कम्पनियों की तलाशी	२७९३
१९५६	सेलेनियम मेटल पाउडर पर सीमा शुल्क	२८९३–९४
१९५७	स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी हिन्दी पत्रिका	२८९४
१९५८	चार्टर्ड एकाउन्टेंट एप्रेन्टिस	२८९४
१९५९	ब्रिटेन से सहायता	२८९५
१९६०	चीनी राजदूतावास को आवंटित प्लाट	२८९५
१९६१	भारत पाक बैंक करार समझौता	२८९५–९६
१९६२	एस० एम० अब्दुल्ला बिल्डिंग, दिल्ली	२८९६
१९६३	होम्योपैथी की डिस्पैंसरियां	२८९६
१९६४	गैर-सरकारी संस्थाओं को बंगले देना	२८९७
१९६५	विदेशों में फिल्मों की शूटिंग	२८९७
१९६६	नागपुर निगम को भुगतान	२८९७–९८
१९६७	नागापट्टिनम पर यात्रियों की जांच	२८९८
१९६८	व्यायामशालायें	२८९८–९९
१९६९	सोने के तस्कर व्यापारियों की गिरफ्तारी	२८९९
१९७०	केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य सेवा के कार्ड	२८९९–२९००
१९७१	भारत तथा पश्चिम जर्मनी के बीच विनियोजन प्रत्याभूति करार	२९००
१९७२	व्यास नियंत्रण बोर्ड	२९००
१९७३	शाहजहां रोड (नई दिल्ली) पर क्वार्टर	२९०१
१९७४	सोने के तस्कर व्यापार के लिए गिरफ्तारी	२९०१

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर— (क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१९७५	कलकत्ता में निषिद्ध माल की पकड़	२९०१
१९७६	सरगोधा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि०	२९०२
१९७७	मन्दिरों को दान	२९०२
१९७८	सी० एच० एस० की नई डिस्पैंसरियां	२९०२–०३
१९७९	तेवरा दाल	२९०३
१९८०	'मल्टिपल आफिसर्स रेंज' योजना	२९०४
विधेयक पारित		२९०४—१७
	१७–१२–६३ को प्रस्तुत निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हुई। विचार करने के प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ, पक्ष में २३९, विपक्ष में ७३, और तदनुसार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडवार चर्चा के बाद पारित करने के प्रस्ताव पर सभा में पुनः मत विभाजन हुआ, पक्ष में २३६, विपक्ष में ६८, तदनुसार विधेयक पारित किया गया।	
विधेयक विचाराधीन		२९१७—३८
	योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने प्रस्ताव किया कि बैंकिंग विधियों (विविध उपबन्ध) विधेयक पर विचार किया जाये। सर्वश्री मी० रु० मसानी और हिम्मतसिंहका ने विधयक को क्रमशः (१) लोकमत जानने के लिये परिचालित करने और (२) प्रवर समिति को सौंपने, के संबंध में संशोधन प्रस्तुत किये। दोनों संशोधन अस्वीकृत हुए और विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पर अग्रेतर चर्चा समाप्त नहीं हुई।	
अल्पसूचना प्रश्न और उत्तर		२९३८—४६
	अमरीका के पास भारतीय मुद्रा और दिल्ली के दुकानदारों द्वारा मूल्य-सूचियों के लगाये जाने के बारे में क्रमशः वित्त मंत्री और खाद्य तथा कृषि मंत्री को संबोधित दो अल्प-सूचना प्रश्नों, क्रमशः संख्या ५ और ६, के मौखिक उत्तर दिये गये और उन पर अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर दिये गये।	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—		२९४६—४९
	श्री नाथपाई ने अमरीका के सातवें बेड़े द्वारा अपना कार्य-क्षेत्र हिन्द महासागर तक बढ़ाये जाने और इस बारे में भारत सरकार की प्रतिक्रिया की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया।	

विषय **पृष्ठ**

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २९४९—५१

(१) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत, अशोक होटल लिमिटेड, नई दिल्ली का ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उक्त कंपनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(२) (क) समवाय अधिनियम,१९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष १९६२–६३ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उक्त कंपनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(३) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष १९६२–६३ का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(४) संविधान के अनुच्छेद ३२३(१) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) १ अप्रैल, १९६२ से ३१ मार्च, १९६३ तक की अवधि के लिये संघ लोक सेवा आयोग का तेरहवां प्रतिवेदन।

(दो) उपरोक्त प्रतिवेदनों में उल्लिखित मामले में आयोग की सलाह न मानने के कारण बताने वाला ज्ञापन।

(५) सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ७ दिसम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १८५९।

(दो) दिनांक ९ दिसम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १८८०।

(६) सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ७ दिसम्बर

विषय	पृष्ठ
१९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८६० की एक प्रति।	
(७) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत, दिनांक ३० नवम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८४३ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (उन्तीसवां संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति।	
(८) विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा १५ की उप-धारा (४) के साथ पठित धारा ३७ की–उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—	
(१) एयर इंडिया का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष १९६२–६३ के वार्षिक लेखे तथा उस पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सहित।	
(२) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष १९६२–६३ के वार्षिक लेखे तथा उस पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सहित।	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति प्रतिवेदन उपस्थापित—	२९५१
सातवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।	
मंत्री द्वारा वक्तव्य	२९५१
योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क पुनर्गठन समिति की सिफारिशों के बारे में एक वक्तव्य और सरकार द्वारा उन पर किये गये निर्णयों संबंधी विवरण भी सभा पटल पर रखे।	
सदस्य द्वारा वक्तव्य	२९५१—५५
डा० राम मनोहर लोहिया ने प्रधान मंत्री द्वारा ४ दिसम्बर, १९६३ को चीन के प्रधान मंत्री तथा उप-प्रधान मंत्री को ले जाने वाले विमान को भारत के ऊपर से उड़ने के लिये दी गई अनुमति के बारे में कही गई कुछ बातों के संबंध में एक वक्तव्य दिया।	
प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने उत्तर दिया।	
विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन के बारें में . . .	२९५५–५८
शुक्रवार, २० दिसम्बर, १९६३/२९ अग्रहायण, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि	
बैंकिंग विधियां (विविध उपबन्ध) विधेयक पर अग्रेतर चर्चा तथा इसका पारित किया जाना, दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक पर चर्चा तथा इसका पारित किया जाना और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार।	

विषय सूची--जारी

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२९४९—५१
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति . .	२९५१
सातवां प्रतिवेदन	
केंद्रीय उत्पादन शुल्क पुनर्गठन समिति की सिफारिशों के बारे में वक्तव्य और सरकार द्वारा उन पर किये गये निर्णय	२९५१
श्री ब० रा० भगत .	
सदस्य द्वारा वक्तव्य	२९५१—५५
डा० राम मनोहर लोहिया	२९५१—५५
विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन के बारे में . . .	२९५५—५८
दैनिक संक्षेपिका	२९५९—६४

PLS. 41. XXIV. 24. 64.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।